खण्ड-142, अंक-4
गुरूवार, 8 आश्विन, शक संवत् 1876
(30 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 142 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह,, श्री
रघुवीरसिंह श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी , श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उद्योग विभाग के कार्यों का विकास

**१—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग विभाग के कार्यों की क्या रूप रेखा है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में जो द्वितीय पंच-वर्षीय योजना बनाई गयी है वह अभी सरकार के विचाराधीन है।

**२—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार खादी व ग्रामोद्योगों को संरक्षण देने के लिये कोई नवीन योजना सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। ऐसी कुछ योजनायें बना कर सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये भेजी है।

**३—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या उद्योग विभाग के किसी पदाधिकारी को जापान भेज कर वहां के ग्रामोद्योग को अध्ययन कर यहां भी उसी प्रकार उद्योग-धन्धों की उन्नति करने के प्रश्न पर सरकार विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह—उद्योग विभाग के दो पदाधिकारियों को पाट्री (मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य) और रेशम उद्योग की उच्च ट्रेनिंग के लिये सरकार ने जापान भेजा है।

श्री मदनगोपाल वैद्य—सरकार ने जो योजना खादी बोर्ड के पास भेजी है, क्या उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—उसकी डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान को इस सदन के भी कुछ माननीय सदस्य भेजे जायंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—अगर कोई भेजे जायंगे, तो मदनमोहन जी का ध्यान रखा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जापान जो व्यक्ति सीखने के लिये भेजे गये हैं उन पर सरकार का मासिक व्यय कितना पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह---खर्चा तो मासिक पड़ा है, लेकिन उसके डिटेल नहीं हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार, जब यहां के कुछ मेम्बरों को जापान भेजेगी तो उस वक्त हमारे साथ चलने के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी को भी भेजने का विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार सरकारी कर्मचारियों को आफिस काल में खादी ही आफिस ड्रेस निर्धारित करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह---वैसे इत्तला की गयी है, कोई मजबूर नहीं किया गया।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या इस योजना के अन्दर बेकारी को दूर करने के लिये कोई खास योजना बनायी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह---उद्योग के जितने काम हैं उनसे जरूर कुछ न कुछ सहायता अन-एम्पलायमेंट को दूर करने में मिलेगी।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार ने उद्योग विभाग का स्कोप बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव रखा था ?

श्री हुकुमसिंह---वह सब योजनायें विकास की हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या सरकार खादी उद्योग को संरक्षण देने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में खादी के लिये केंद्र खोलने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---बहुत जगह खोले गये हैं।

हायर जुडीशियल सर्विस के अफसरों का वेतन

**४---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को विदित है कि उसने यू० पी० (जुडीशियल ब्रान्च) के उन पदाधिकारियों को जो १ जनवरी, सन् १९५१ से अथवा उसके पश्चात् से सिविल एण्ड सेशन जज के पद पर नियुक्त हैं यह आश्वासन दिया था कि उनका वेतन वर्तमान पद पर उनके प्रथमवार नियुक्ति के दिन से संशोधित वेतन-क्रम (Revised Scale of pay) के अनुसार हायर जुडीशियल सर्विस के जूनियर स्केल में, जिसके नियम विचाराधीन थे, नियत किया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां, यह ठीक है।

**५---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि हायर जुडीशियल सर्विस रूल्स १ अप्रैल, १९५३ से लागू कर देने के बाद भी उपर्युक्त पदाधिकारियों का न तो वेतन ही नियत किया गया और न उन्हें १ जनवरी, १९५१ से १ अप्रैल, १९५३ की बीच की अवधि के वेतन का शेषांश (Arears of pay) ही अभी तक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

**६---क्या यह सच है कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने इस सम्बन्ध में सरकार से पूछताछ की है ? यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—एकाउन्टेन्ट जनरल ने हायर जुडीशियल सर्विस के अफसरों की तनख्वाह १-४-५३ से नियत कर दी है। परन्तु चूंकि एकाउन्टेन्ट जनरल को हायर जुडीशल सर्विस के संशोधित वेतन-क्रम के अनुसार उनके प्रथम बार नियुक्ति के दिन से वेतन को नियत करने में कुछ शंकायें हुई थीं, इसलिये उन्होंने सरकार से पूछा था कि किस प्रकार इन रूलों की व्याख्या (interpretation) की जाय। इसके उत्तर में एकाउन्टेन्ट जनरल को यह लिख दिया गया है कि वह इन सब अफसरों की तनख्वाहें उनके प्रथम बार नियुक्ति के दिन से संशोधित क्रम के अनुसार नियत कर दे और वेतन का शेषांश (arears of pay) जो अभी तक नहीं दिया गया है वह उनको दे दिया जाय। सरकार को आशा है कि अब एकाउन्टेन्ट जनरल तुरन्त ही इन सब मामलों को तय कर देंगे।

तारांकित प्रश्न

चुरक राजकीय सीमेंट कारखाने का अंग्रेजी फर्म द्वारा संचालन

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि चुरक राजकीय सीमेंट कारखाने का संचालन किसी अंग्रेजी फर्म को दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं। कारखाने का संचालन एक अपने डाइरेक्टर के द्वारा सरकार स्वयं कर रही है। परन्तु कारखाने में सीमेन्ट के उत्पादन कार्य की देख भाल करने के लिये एक अंग्रेजी फ़र्म की नियुक्ति की जा रही है।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म का क्या नाम है तथा किन शर्तों पर उसको काम सौंपा गया है ?

श्री हुकुमसिंह—यह कार्य सर्वश्री हेनरी पूली को, जो कि कारखाने के निर्माण के लिये परामर्शदाता इंजीनियर थे, दिया जा रहा है। शर्तों के विषय में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मुख्य शर्तें, जो तय हो गई हैं, निम्नलिखित हैं :—

(१) अनुबन्ध (agreement) की अवधि १ सितम्बर, १९५४ से ३ वर्ष के लिये निर्धारित की गयी है। परन्तु राज्य सरकार अथवा सर्वश्री हेनरी पूली, तीन महीने का लिखित नोटिस दे कर किसी भी समय इसे समाप्त कर सकते हैं।

(२) सर्वश्री हेनरी पूली कारखाने में उत्पादन-कार्य की देखभाल करेंगे, परन्तु उन पर राज्य सरकार, सीमेंट फैक्टरी बोर्ड तथा सरकार द्वारा मनोनीत अन्य अफसरों का नियंत्रण रहेगा।

(३) सर्वश्री हेनरी पूली निम्नलिखित कार्यकर्ता कारखाने में काम करने के लिये भेजेंगे तथा उनका पारिश्रमिक भी देंगे—

१—जनरल मैनेजर	.. ..	एक
२—प्रोडक्शन मैनेजर	.. .. ..	एक
३—चीफ कैमिस्ट	.. .. ..	एक
४—चीफ़ बर्नर	.. .. ..	एक

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जब वह उचित समझे, चीफ़ कैमिस्ट के अतिरिक्त सर्वश्री हेनरी पूली के उपरोक्त कार्यकर्ताओं के स्थान पर अपने आदमी नियुक्त करे। ऐसी अवस्था में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं का वेतन भी सर्वश्री हेनरी पूली देंगे।

(४) सर्वश्री हेनरी पूली को फ़ीस के रूप में राज्य सरकार की ओर से अनुबन्ध की अवधि में उत्पादित सीमेन्ट पर १ रु० ६ आना प्रति टन के हिसाब से दिया जायगा।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि १ रु० ६ आना टन जो टैक्नीकल ऐडवाइस के लिये चार्जेज तय किये गये हैं वह नेगोसियेशन्स द्वारा तय किये गये हैं अथवा टेंडर्स काल कर के जो सब से कम टेंडर पाया गया, उसके द्वारा तय हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--अपने सूबे की कई फर्म्स ने भी टेंडर आफर किये थे लेकिन मेसर्स हैनरी पूली का टेंडर सब से अधिक फेवरेबिल था इसलिये उन्हीं को यह कंट्रेक्ट दिया गया।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो टर्म्स मेसर्स हेनरीपूली ने आफर किये उससे कम क्या किसी और फर्म ने नहीं किये तथा उनमें से प्रत्येक के नाम तथा टर्म्स क्या क्या थे ?

श्री अध्यक्ष--टर्म्स का ब्योरा तो बहुत होगा। आप फर्म्स के नाम पूछ सकते हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्म्स के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने टेंडर्स आफर किये थे ?

श्री हुकुमसिंह--डालमिया के साहू जैन, दूसरे एक सज्जन कानपुर के और तीसरे मोदी नगर के भी थे।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि श्री बालचन्द, हीराचन्द ने भी एक टेंडर दिया था और वह सब से कम था ?

श्री हुकुमसिंह--मेसर्स हेनरी पूली के अतिरिक्त जितने और टेंडर्स आये थे सब रिजेक्ट हुये, क्योंकि वे फेवरेबिल नहीं थे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका प्रबन्ध करने के लिये किसी फाइनेंशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक बोर्ड निर्माण करने को गवर्नमेंट सोच रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--इसके लिये इस वक्त एक बोर्ड बना हुआ है और जो इसका काम हेनरी पूली को दिया गया है उसका सिर्फ प्रोडक्शन विभाग से ताल्लुक़ है। श्री हेनरी पूली पहले कंसल्टिंग आर्किटेक्ट थे और उन्हीं की देख-रेख में यह बना है और यह समझा गया कि कुछ अरसे के लिये जब इतनी बड़ी एक चीज़ बनी है तो ऐसे में उसका मशविरा और मदद होना फायदेमन्द है जो इसके बनाने में हमारे साथ रहा है। जिन लोगों से हमने मशविरा किया उन सबों ने भी यह बताया कि इससे अच्छे टर्म्स नहीं मिल सकते हैं। १ रु० ६ आ० करीब ३ पैसे फी मन पड़ता है जो उसको मिलेगा और मैं खुद यह समझता हूं कि बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। एक ग़लती होती अगर हम ऐसा न करते।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ रु० ६ आ० के अलावा हेनरी पूली को रेजिडेंशिल हाउस वगैरह के बारे में भी सुविधा दी गयी है, अगर दी गयी है तो क्या उसका ब्योरा आप देंगे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--श्री हेनरी पूली को और कोई सुविधा नहीं दी गयी है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि करीब-करीब १०,१५ हजार रुपये माहवार तक यानी १०-१५ के बीच वह अपने आदमियों को वहां रखे जिनका खर्चा उसको देना होगा और जो हमारा काम करेंगे। हमसे १ रु० ६ आ० के अलावा उनको और एक पाई भी नहीं मिलेगी।

विधान पुस्तकालय २३७

जौनपुर जिले में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का प्रस्ताव

*३—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जौनपुर जिले में कोई N.E.S. block खोलने जा रही है?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)—जौनपुर जिले में एन० ई० एस० खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन जिलों की नियोजन समितियों ने सर्व सम्मति से पारित किया था उसके स्वीकार करने में सरकार की नीति क्या है?

श्री फूलसिंह—जिन जिलों में अभी तक केवल एक ही ब्लाक खुला है उनमें दूसरा ब्लाक खोलने का विचार है।

*४—श्री लालबहादुर सिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले की प्लानिंग कमेटी ने अपने मई, सन् ५४ के बैठक में केराकत तहसील के पूर्वी हिस्से में ब्लाक खोलने की सिफारिश की है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

*५—श्री लालबहादुर सिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या प्लानिंग कमेटी की सिफारिश को उन्होंने स्वीकार कर लिया है?

श्री फूलसिंह—यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

*६-७—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किये गये।]

जिलों के स्थायी चपरासियों को वर्दी न देने का आदेश

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि जिलों में काम करने वाले स्थायी चपरासियों को वर्दी न देने का सरकार ने निश्चय किया है?

श्री हुकुमसिंह—सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। पिछले साल १९५३-५४ माल बोर्ड ने बचत योजना के सिलसिले में अपने दफ्तर में वर्दी उस साल न देने का निश्चय किया था। माल बोर्ड ने जिला अधिकारियों को भी ऐसा करने का सुझाव दिया था जिसके फलस्वरूप कुछ जिलों में वर्दी उस साल नहीं बांटी गयी और कुछ रुपये की बचत भी हुयी।

*९—रामसुन्दर पांण्डेय—यदि हां, तो इस कटौती से कितने रुपये की बचत हो रही है?

श्री हुकुमसिंह—माल बोर्ड के सुझाव के कारण पिछले साल १९,१६९ रु० १२ आ० ९ पा० की बचत हुयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि कौन कौन-जिले हैं जहां यह बचत योजना लागू की गयी है और जहां चपरासियों को वर्दी नहीं दी गयी?

श्री हुकुमसिंह—वह हैं देहरादून, आगरा, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, बांदा, झांसी, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, रायबरेली, मिर्जापुर, बस्ती, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, टेहरी-गढ़वाल, बहराइच और मेरठ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---जिन जिलों के अधिकारियों ने बचत योजना लागू नहीं की उन के क्या कारण थे ?

श्री हुकुमसिंह---कारण तो उन्हीं से पूछ कर बताये जा सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार ने जिलाधिकारियों से ऐसी कोई लिखापढ़ी की कि इस तरह की बचत योजना न बनायी जाय ?

श्री हुकुमसिंह---अब ऐसी बचत योजना नहीं बनेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या पिछले साल माल बोर्ड की सिफारिश पर प्रादेशिक सरकार ने वर्दियां न बनाने की आज्ञा दी या जिलाधिकारियों ने स्वयं ऐसा कर लिया ?

श्री हुकुमसिंह---सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन चपरासियों को पिछले साल वर्दियां नहीं मिलीं उनकी बचत का रुपया वर्दियों के बजाय फिर उन को दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो विवाद है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जब सरकार ने आदेश दे दिया है कि वह बचत ठीक नहीं थी तब तो यह सवाल उठ सकता है .....

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से विवाद नहीं कर सकते।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि पुलिस विभाग और सचिवालय आदि स्थानों में जो चपरासी काम करते हैं उनके साथ सरकार यह बचत योजना लागू नहीं करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---सिवा माल बोर्ड के और कहीं नहीं लागू हुयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बचत को संबंधित चपरासियों में बांटने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---ऐसा विचार नहीं किया जा रहा है ।

हमीरपुर जिले में श्रमदान

*१०---श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिला में श्रमदान से गत वर्ष और इस साल कितना-कितना काम किन-किन तहसीलों में हुआ है ?

श्री फूलसिंह---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९८-३०२ पर।)

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मौदहा में श्रमदान से जो कच्ची सड़कें मरम्मत की गयी हैं वह कौन-कौन सी हैं ?

श्री फूलसिंह---सड़कों का नाम बताने के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या सरकार इन सड़कों में से किसी को पुख्ता कराने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह---यह भी इस वक्त नहीं कहा जा सकता ।

जिला हमीरपुर में कुलपहाड़ के निवासियों की वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*११--श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में किन-किन ग्रामों का और कितना रकबा वन विभाग में लिया गया ? क्या कुलपहाड़ आदि ग्रामों की जनता ने वन विभाग के अधिकारियों की शिकायतें सरकार के पास भेजी हैं ? यदि हां, तो उन शिायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जिला हमीरपुर के ग्रामों का जो रकबा वन विभाग में लिया गया है वह विज्ञप्ति संख्या ६१७/१४, दिनांक ११ अक्तूबर, १९५२ में, जो १८ अक्तूबर, १९५२ के उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित हुयी है, दिया हुआ है।

कुलपहाड़ के कुछ काश्तकारों की एक शिकायत सितम्बर, १९५२ में सरकार के पास आयी थी। शिकायत यह थी कि उन लोगों को भूतपूर्व निजी वनों से जो लकड़ी इत्यादि मिलती थी वह नहीं मिल रही थी। इस पर की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप उनको लकड़ी इत्यादि, जो पहले मिला करती थी, फिर मिलने लग गयी।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस साल वन विभाग ने लोगों को लकड़ी नहीं दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है कि उनको जलाने तथा काश्तकारी की चीजें आदि बनाने के लिये लकड़ी लेने की आज्ञा दे दी गयी है और कोई ऐसी शिकायत नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई निश्चित फार्मूला है जिसके मुताबिक वन विभाग द्वारा सुरक्षित रकबे लिये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक सुरक्षित वनों का प्रश्न है वहां तो वर्किंग प्लान के मुताबिक है लेकिन जो जमींदारों से फारेस्ट आये हैं जब तक उसका वर्किंग प्लान नहीं बनता और सेटिलमेंट में राइट्स वगैरह रिकर्ड नहीं हो जाते तब तक स्टेट्स को यानी जैसा पहले था पूर्ववत् उसी तरह की सुविधा गवर्नमेंट ने दी है ताकि काश्तकारों को यह महसूस न हो कि सरकार के पास जंगलों के आ जाने से उनकी दिक्कतें बढ़ गयी हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि इस विज्ञप्ति के अनुसार गतवर्ष किसानों को लकड़ी दी गयी थी लेकिन इस वर्ष नहीं दी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां से तो आज्ञा दे दी गयी है कि जब तक सेटिलमेंट न हो जाय तब तक वह बराबर दी जाय और वह बराबर जारी रहेगी।

*१२---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---[स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपूर में केराकत से पेसारा तक सड़क की व्यवस्था

*१३---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में केराकत से पेसारा तक सड़क बनवाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया है ?

श्री फूलसिंह---जी हां।

*१४---श्री बाबूनन्दन---यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह---चूंकि गांव पंचायत या जिला बोर्ड इस सड़क को बनवाने के लिये असमर्थ हैं इसलिये सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया ।

*१५---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्लानिंग विभाग की तरफ से उपर्युक्त सड़क की नाप-जोख हुयी तथा उसका कुछ भाग कच्ची सड़क के रूप में बनवा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक ?

श्री फूलसिंह---जी हां, प्रांतीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गांव की जनता के सहयोग से ८ मील लम्बी तथा १६ फीट चौड़ी सड़क बना दी है सिर्फ ४ फर्लांग सड़क मौजा टेहरी के पास ग्रामीणों के आपसी झगड़ों के कारण बनाने को रह गयी है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत या जिला बोर्ड की असमर्थता को देखते हुए सरकार इस पर विचार करके कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---पहले उन सड़कों को पक्का करने का विचार किया जाता है जिनमें मुकामी जनता सहयोग दे ?

श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा टेहरी के पास ग्रामीणों में आपसी झगड़े के कारण जो सड़क बनने से रह गयी उसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री फूलसिंह---उसकी देखभाल की जायगी ।

शाहजहांपुर जिले के कलक्टिव सब्स्क्रिप्शन तथा वार फण्ड का आडिट

*१६---श्री प्रतिपालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि Collective Subscription और war fund शाहजहांपुर के उस रुपया का जो कमेटी द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत हुआ था उसके खर्चे का आडिट करा लिया गया है ?

श्री फूलसिंह---Collective Subscriptions का आडिट इन्सपेक्शन पिछले साल लोकल फंड एकाउन्ट्स आडिटर ने किया था, लेकिन अभी तक विभिन्न कार्यों के लिये जो रुपया war fund और Collective Subscriptions में से खर्च हुआ है उसका आडिट इन्सपेक्शन नहीं हुआ है।

श्री प्रतिपालसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जो रुपया विभिन्न कार्यों के लिये दिया गया है उसके अब तक आडिट न होने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---इधर तो अभी आडिटर भी नहीं गये हैं और कुछ संस्थाओं ने अपने एकाउन्ट्स पेश नहीं किये हैं ।

श्री प्रतिपालसिंह---क्या यह बात सही नहीं है कि पिछली मर्तबे आडिटर महोदय एक जो सोसाइटी को रुपया दिया गया था उसके एकाउन्ट्स आडिट करने के लिये गये थे और उस सोसाइटी ने कोई भी कागज वगैरह देने से इन्कार किया और आडिटर महोदय ने क्या कोई रिपोर्ट आडिटर जेनरल महोदय को दी ?

श्री फूलसिंह---जो आडिटर की रिपोर्ट है उससे यह मालूम होता है कि सोसाइटी ने उसके यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट नहीं भेजी ।

श्री प्रतिपालसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रुपया जो विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न व्यक्तियों को दिया गया था उसके खर्च करने की कोई मियाद भी मुकर्रर कर दी गयी थी ?

श्री फूलसिंह—मियाद तो कोई मुकर्रर नहीं हुयी थी । मगर यह खयाल किया जाता है कि जल्दी ही रुपया खर्च किया जाय ।

श्री प्रतिपालसिंह—क्या यह बात गलत है कि सरकार की तरफ से ऐसे आदेश दिये गये थे कि रुपये को एक साल के अन्दर खर्च कर दिया जाना चाहिये और उसका यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मारफत सरकार के पास भेज देना चाहिये ?

श्री फूलसिंह—मैं ठीक नहीं कह सकता ।

नैनीताल जिले की सड़कों को बनाने में सहायता

*१७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जिला प्लानिंग कमेटी, नैनीताल ने यह प्रस्ताव किया है कि चार पट्टी कोस्यां और तल्ला मल्ला कोटा तथा कुटौली को मिला कर एक राष्ट्रीय विकास ब्लाक खोला जाये ? अगर हां, तो यह विकास ब्लाक कब तक खुल जायगा ?

श्री फूलसिंह—जी हां । भविष्य में जब अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास केन्द्र खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मिल जायगी तब इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा ।

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि सेल्फ हेल्प योजना के अनुसार नैनीताल जिले की किन-किन सड़कों को सरकार बनाने में सहायता दे रही है ?

श्री फूलसिंह—सेल्फ हेल्प योजना के अनुसार नैनीताल जिले की जिन सड़कों को बनाने में सहायता दी जा रही है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार की जिस मंजूरी का जिक्र उत्तर में किया गया है, वह कब तक मिल जायगी ?

श्री फूलसिंह—बहुत जल्द मिलने की आशा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन सड़कों के बनाने में जो ज्यादा दिया गया वह कुल रकम का कितना था ?

श्री फूलसिंह—वह तो हर सड़क के सामने रुपया लिखा हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नहीं लिखा है । मेरे पास तो नहीं आया ।

श्री फूलसिंह—इसमें १४ सड़कों का एक है और ६ सड़कों का एक है, टोटल करने में देर लगेगी ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बाद में आपसे मिल कर प्राप्त कर लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सेल्फ हेल्प योजना भविष्य में भी जारी रखी जायगी?

श्री फूलसिंह—यह तो असेम्बली पर निर्भर है । अगर आप बजट में उसके लिये जगह देंगे तो जारी रहेगी ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेल्फ हेल्प योजना में स्थानीय सोशलिस्ट पार्टी ने भी कुछ मदद दी थी ?

श्री फूलसिंह—कह नहीं सकता लेकिन आशा की जाती है कि सब लोग मदद करेंगे ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में विकास कार्य

*१९--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के मातहत आजमगढ़ जिले में कौन कौन विकास कार्य, सिंचाई कार्य आदि आयोजित तथा कार्यान्वित होने जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह--आजमगढ़ जिले में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विकास कार्य तथा सिंचाई कार्य आयोजित तथा कार्यान्वित होने जा रहे हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०४-३०८ पर)

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई शीर्षक उत्तर में जो पिकिया और पैसो नदी योजना का जिक्र किया गया है उसका खुलासा क्या है?

श्री फूलसिंह--खुलासा तो बताना मुश्किल है। अगर आप नोटिस दें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आने जाने वाली सड़कों को पक्का करने का विचार इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है?

श्री फूलसिंह--जो सड़कें पक्की करायी जायंगी उन पर वहां की प्लानिंग कमेटी से अवश्य मशविरा किया जायगा और जो माननीय सदस्य वहां की कमेटी के मेम्बर हैं अगर उनका प्रस्ताव किसी सड़क के सम्बन्ध में आता है तो उस पर अवश्य विचार होगा।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनारस जिले में जनहित कार्य

*२०--श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनारस जिले में जनहित के कौन-कौन से कार्य होने जा रहे हैं?

*२१--क्या सरकार उपर्युक्त योजना की तहसीलवार सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*२२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना का कोई कार्य इस समय बनारस जिले में पूरा हो रहा है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य के पास भेज दी जायेगी।

राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

*२३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाली है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य कार्य क्या होंगे?

श्री फूलसिंह--सरकार ने अंतिम रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी नहीं बनायी है। इस योजना में मुख्य कार्य क्या होंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में अब तक क्या प्रगति हुयी है?

श्री फूलसिंह--पहले सब डिपार्टमेंट से कहा गया कि अपने-अपने डिपार्टमेंट की योजना बनाकर रखें, उस पर करीब साढ़े चार करोड़ के एस्टीमेट हो रहा था। मुनासिब यह समझा गया कि योजना साढ़े तीन करोड़ की होनी चाहिये। लिहाजा फिर कागजात डिपार्टमेंट्स को भेजे गये कि उसको काट छांटकर भेजें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी योजना को अंतिम रूप से फाइनलाइज करके सरकार के पास भेज दिया है। और उसे प्रकाशित कर दिया है, जैसे सिंचाई विभाग ने ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं। अभी प्रकाशित होने का सवाल ही नहीं उठता। तमाम योजनायें आ जायंगी तो कैबिनेट के सामने जायंगी और तब फाइनलाइज होंगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज को हिदायतें दी गयी हैं कि जो डेवलपमेंट ब्लाक्स हैं उनसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये स्कीमें मांगें ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने जिले के लिये बनाने के सम्बन्ध में राय ली जायगी ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

ग्रामों की परती जमीनों का सीमांकन

*२४--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ग्राम ग्राम में जो परती जमीन नियमतः वन विभाग को मिली है उसका सीमाकरण शीघ्र कराने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस विषय पर विचार करने के बाद सरकार ने आदेश बहुत पहले जारी किये थे। उसके फलस्वरूप बहुत-सी जगहों में सीमाकरण हो भी गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार इस खाली जमीन पर कोई मुआविजा भी देने का विचार रखती है गांव समाज को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो डिमार्केशन का प्रश्न है और मैं समझता नहीं हूं कि यह गांव समाज का प्रश्न कहां से आ गया, क्योंकि वह तो नोटीफाई हो चुका था कि गांव समाज से अलग की जमीनें जो फारेस्ट के अन्दर आयी हैं वे गांव समाज को, जो बंजर जमीन दी गयी हैं, उससे भिन्न हैं।

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[स्थगित किया गया।]

*२६-२७--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[स्थगित किये गये।]

*२८-२९--श्री हमीद खां (जिला कानपुर)--[स्थगित किये गये।]

मानिकपुर (करबी) में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना

*३०--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले महीने में बांदा जिले की प्लानिंग कमेटी ने मानिकपुर (करवी) में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना खोलने की प्रार्थना की है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २४ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री फूलसिंह---ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है और न सरकार का अभी कोई नया कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक खोलने का विचार है।

*३१---श्री जगपतिसिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस योजना को कब तक शुरू करने का उसका विचार है ?

श्री फूलसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

*३२-३४---श्री रामनारायण त्रिपाठी---[स्थगित किये गये।]

हैन्डलूम के कपड़े को प्रोत्साहन

*३५---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों को कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि हैन्डलूम कपड़े का प्रयोग आफिस सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक से अधिक किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हैन्डलूम कपड़े का अधिक से अधिक प्रयोग हो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह---सेक्रेटेरिएट के कुल विभागों को तथा और तमाम हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स को हिदायत कर दी गयी है कि ज्यादा से ज्यादा हैन्डलूम के कपड़े का इस्तेमाल करायें।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये हिदायतें कब से जारी की गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह---जून में इंडस्ट्रीज की स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी, उसने यह प्रस्ताव पास किया था और उसके बाद से ये हिदायतें जारी की गयी हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह हिदायत डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के लिये भी लागू है ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, लागू है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह हिदायत जिलाधीशों को भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह---इसकी जरूरत नहीं मालूम होती।

*३६-३७---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---[स्थगित किये गये।]

*३८---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---[स्थगित किया गया।]

*३९-४१---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[स्थगित किये गये।]

*४२---श्री झारखंडे राय---[स्थगित किया गया।]

*४३-४४---श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---[स्थानान्तरित किये गये।]

*४५-४६---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---[स्थगित किये गये।]

शरणार्थी बस्ती रामनगर, फैजाबाद पर व्यय तथा उसके क्वार्टर

*४७---श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रामनगर शरणार्थी बस्ती फैजाबाद में कुल कितना रुपया बनवाने में लगा, कितने क्वार्टर बने, उनका क्या किराया रखा गया और वहां कितने लोग रहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---रामनगर शरणार्थी बस्ती, फैजाबाद में कुल ३१४ क्वार्टर लगभग ७,१६,६२७ रुपये की लागत पर तैयार हुए हैं। उनका मासिक किराया दस रुपया है। इस बस्ती में रहने वालों की संख्या लगभग १२५० है।

*४८---श्री नारायणदास---क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों के पीछे गन्दे पानी के निकास के लिये पक्की नाली, शिक्षा के लिये स्कूल और पानी के लिये अच्छे कुओं तथा रोशनी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं। शिक्षा, पानी और रोशनी को उचित व्यवस्था है। शिक्षा के स्कूल तथा कालेज बस्ती के अति निकट हैं। बस्ती में मीठे पानी के आठ कुएं हैं जिसमें समय-समय पर नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी असन्क्रामक पदार्थ डाल कर उनका जल स्वच्छ रखते हैं। रोशनी के लिये बस्ती में सड़कों पर बारह बत्तियां लगी हैं। पर अभी नगरपालिका ने जिस पर पानी के निकास के लिये नालियां बनाने का उत्तरदायित्व है अभी पक्की नालियां नहीं बनायी हैं।

*४९---श्री नारायणदास---क्या सरकार जानती है कि क्वार्टरों का किराया अधिक होने से क्वार्टर खाली पड़े हैं ? क्या सरकार इन क्वार्टरों का किराया कम करके किराये की कठिनाई को दूर करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---पुराने बने हुए क्वार्टर सब भरे हैं। नये क्वार्टरों का किराया उनकी बनावट और लागत देखते हुए बहुत मुनासिब रखा गया है। यह आर्थिक किराये से कम है। इसके घटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदास---जब आम तौर पर मकानों के किराये के छोटे बड़े शहरों की स्थिति के अनुसार कमोबेश होते हैं तो क्या सरकार इसी आधार पर छोटे शहरों में जो शरणार्थी रहते हैं उनकी आमदनी को देखकर किराया कम करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---किराया पहले से ही आर्थिक दृष्टि से कम लिया जा रहा है।

श्री नारायणदास---क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका फैजाबाद के ऊपर चार-पांच हजार रुपए का कर्ज है ऐसी दशा में यदि वह बस्ती के गन्दे पानी की निकास के लिये नालियां न बना पावे तो क्या सरकार उस पर ध्यान देकर शरणार्थियों का कष्ट दूर करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---नगरपालिका उसे करेगी।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतायेगी कि ये सब क्वार्टर्स खाली हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह---अभी फिलहाल आबादी के अन्दर छोटे-छोटे मकान कम किराये पर उनको मिले हुए हैं, शायद यही कारण है।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर---क्या यह सच है कि जो शरणार्थी फैजाबाद में हैं उनके लिये जो क्वार्टर्स बने हुए हैं उनसे अच्छे क्वार्टर्स कम किराये पर मिलते हैं ?

श्री हुकुमसिंह---यह बात तो सच नहीं मालूम होती।

श्री जोरावर वर्मा---अगर इन क्वार्टर्स में शरणार्थी आने को तैयार नहीं हैं तो क्या सरकार दूसरों को प्रेफरेंस देने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---नहीं। बहुत से ऐसे शरणार्थी हैं जिनके वेरीफाइड क्लेम्स हैं, उनको मकान दिये जायेंगे।

*५०-५१---श्री रामसुभग बर्मा (जिला देवरिया)---[स्थगित किये गये।]

*५२--श्री बसन्तलाल शर्मा---[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले के बादशाहपुर ब्लाक पर व्यय

*५३--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के बादशाहपुर ब्लाक पर अब तक कितना व्यय हुआ है और वह व्यय किस-किस मद में कितना हुआ ?

श्री फूलसिंह---राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र, बादशाहपुर में जुलाई ३१, १९५४ तक विभिन्न मदों में कुल ६५,३५७-५-६ खर्च हुआ। मदों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

*५४--श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार उपर्युक्त ब्लाक के अब तक किये गये कामों का पूरा विवरण बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---३१ अगस्त, १९५४ तक होने वाले कामों की सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ घ' आगे पृष्ठ ३१० पर।)

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान के लिये २५,००० रुपये स्वीकृत हैं उनमें से २३,००० रुपए क्यों खर्च नहीं हुए ?

श्री फूलसिंह---मैं इसको अभी बिना नोटिस के नहीं बतला सकता। वैसे कई कारणों से रुपया खर्च नहीं हुआ।

मुरादाबाद के कलई के बर्तन बनाने के घरेलू उद्योग के विकास की योजना

*५५---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद के कलई के बरतन बनाने के घरेलू उद्योग को जीवित रखने और उसे बढ़ाने के लिये उसने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री हुकुमसिंह---मुरादाबाद के कलई के बर्तन तथा पीतल के बर्तन बनाने के घरेलू उद्योग को विकसित करने के लिये सन् १९५० से नान फेरस मेटल योजना चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बर्तनों पर कलई करने तथा नये नये ढंग के बर्तन बनाने की शिक्षा देना है। इस योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद में ही एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन केन्द्र खोला गया है, जहां पर पक्की कलई करने, बर्तनों की नई डिजायनें निकालने, कलापूर्ण बर्तन व वस्तुयें बनाने, बिजली द्वारा बर्तनों पर कलई करने आदि की शिक्षा दी जाती है। यह केन्द्र मुरादाबाद के अन्य बर्तन बनाने वालों को टेकनिकल तथा अन्य प्रकार की सहायता तथा सलाह भी देता है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ६१ व्यक्तियों को शिक्षा दी जा चुकी है। उपर्युक्त केन्द्र ने लगभग ३५,९८२ रुपए का माल बनाया और लगभग २६,४९६ रुपए का माल बेचा भी है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में कलई के बरतन बनाने वालों को कच्ची धार सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री हुकुमसिंह---सरकार एक इंसपेक्शन केन्द्र खोलने का विचार कर रही है उसके जरिये यह प्रबन्ध किया जायगा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस तरह की सूचना है कि पिछले तीन वर्षों में इस काम में काफी कमी हुयी है और लोग बेकार हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह---बेकार होने की कोई खास सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या योजना कमीशन की सिफारिश के अनुसार बरतन का निर्यात बढ़ाने के हेतु बरतनों के डिजाइन बदलने के लिये कोई रिसर्च हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह---जवाब पढ़ें । उसमें सब दिया हुआ है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कलई करने वालों तथा पीतल के बरतन बनाने वालों की कितनी संख्या है और उनको कितनी सरकारी सहायता प्राप्त हुयी है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

सरकारी पेन्शनरों के लड़कों को नौकरी में प्राथमिकता

*५६---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सरकारी पेन्शनर लोगों के लड़कों को किसी पद के लिये आवश्यक योग्यता रखने पर दूसरे उम्मेदवारों की अपेक्षा प्राथमिकता देती हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---वैधानिक नियमों के अनुसार कोई भेद इस तरह का नहीं हो सकता ।

*५७---श्री नारायणदत्त तिवारी---[स्थगित किया गया ।]

लौनी परगना, जिला मेरठ में विकास योजना पर व्यय

*५८---श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लौनी परगना, जिला मेरठ विकास योजना के लिये कितना रुपया सरकार ने स्वीकार किया है तथा इस विकास योजना के अन्तर्गत बागपत तहसील, जिला मेरठ के कितने गांव सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---शायद प्रश्न का आशय राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड (National extension service block) से है जिस का सदर कार्यालय लोनी में है । इस योजना के लिये सरकार ने ७,२०,००० रुपया स्वीकार किया है जो कि ३ साल में व्यय किया जायगा । इस में ३ लाख रुपए सहकारी समितियों से कर्ज दिलाने का लक्ष्य भी शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत बागपत तहसील के २८ गांव सम्मिलित हैं ।

नैनीताल में विभागों के रेस्ट हाउसेज

*५९---श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल में किन-किन विभागों के पास अपने Rest Houses हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---नैनीताल में निम्नलिखित विभागों के पास अपने Rest Houses हैं :

१---पावर विभाग
२---पब्लिक वर्क्स विभाग
३---एल०एस०जी० इन्जीनियरिंग विभाग
४---ट्रांस्पोर्ट विभाग

देवरिया में हाकिम परगना हाटा के इजलास का स्थानान्तरण

*६०—श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिला के अन्तर्गत कसिया में सोलह वर्षों से जो हाकिम परगना हाटा का कोर्ट होता चला आ रहा था उसको १७ जुलाई, १९५४ को जिलाधीश ने देवरिया में स्थानान्तरण कर दिया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इतने दिनों के लिये यानी १७ जुलाई, १९५४ से २४ अगस्त, १९५४ तक हाकिम परगना हाटा का इजलास देवरिया में होता था। अब कसिया में ही होता है।

*६१—श्री शिवप्रसाद—क्या यह सच है कि हाटा तहसील का अधिक भाग देवरिया से कई मील की दूरी पर है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां।

श्री शिवप्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना हाटा का कोर्ट कसिया में आ जाने के पश्चात् भी तहसील के स्टेशन के इंक्वायरी के मुकदमे देवरिया में ही देखे जायेंगे या कसिया में, जैसे कि पहले कसिया में देखे जाते थे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जिस सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के वहां मुकदमे होते हैं, वह उनके अख्तियारात के लिहाज से वहीं हुआ करेंगे।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कसिया से देवरिया कोर्ट लाने के क्या कारण थे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उन दिनों आफिसर्स की कुछ जरूरत थी देवरिया में, इसलिये कसिया से ले गये थे। कुछ कलेक्टर का जाती खयाल यह भी था कि कसिया से देवरिया ज्यादा अच्छी जगह है।

श्री गेंदासिंह—क्या कसिया से देवरिया में अदालत को हटाने के लिये सरकार से कलेक्टर ने इजाजत ली थी, और अगर नहीं ली थी तो ऐसी कार्यवाही करने का कलेक्टर को अधिकार है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—अपने जिले के अन्दर चन्द रोजा किसी भी मैजिस्ट्रेट को कहीं बुला लेने और जिले के अन्दर किसी काम को उस जगह पर कराने का जहां पर मैजिस्ट्रेट बुलाया जाय, इसका कलेक्टर को अख्तियार है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को फिर यहां से आदेश कलेक्टर को दिया गया कि कसिया में अदालत का कार्य किया जाय हाटा का, और कब से कार्यवाही फिर हुयी है हाटा की कसिया में ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि जवाब में दिया जा चुका है कि २४ अगस्त से हाकिम परगना हाटा का इजलास देवरिया में हो रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी कि कोर्ट कसिया से देवरिया और देवरिया से फिर कसिया क्यों ले आयी गयी ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दिया जा चुका है। आप शायद सुन नहीं रहे थे।

ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट, महोबा की अदालत में मुकदमे

*६२—श्री जोरावर वर्मा—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट महोबा, जिला हमीरपुर की अदालत में सन् १९५२ और १९५३ के कितने मुकदमें बिना निर्णय के पड़े हुए हैं और क्यों ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—कोई नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर के विकास के कार्य

१—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कौन कौन से विकास के कार्य हाथ में लिये गये हैं तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने वाले हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में जो विकास कार्य पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथ में लिये गये हैं तथा आयोजित हैं, उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३११–३१२ पर ।)

गाजीपुर जिले की भितरी-शादियाबाद रोड का निर्माण

२—श्री कमलासिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील की भितरी-शादियाबाद रोड को प्लानिंग विभाग द्वारा दो-तिहाई मदद देकर बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां ।

बरेली जिले की विकास योजनाओं पर व्यय

३—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में सन् १९५३ ई० में प्लानिंग कमेटी की मार्फत कितना रुपया खर्च हुआ और वह तहसीलवार किन-किन कामों में खर्च किया गया ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१३–३१४ पर ।)

४—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब वह यह रुपया देती है तब क्या कार्यों की कोई सूची भी जिले को भेजती है जिन पर वह रुपया खर्च होता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां ।

५—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बरेली को कुल कितना रुपया दिया गया था और वह किन-किन कार्यों पर खर्च होने को था ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१३–३१४ पर ।)

चितौरी, जिला इलाहाबाद में पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मलखान सिंह ने भेजा है । उसमें ये शब्द हैं कि "गांव चितौरी, थाना घूरपुर, जिला इलाहाबाद में पड़ता है । यहां पर पुलिस के अत्याचार मानवीय सीमा को पार कर गये हैं । गत २७ सितम्बर, सन् १९५४ की जांच से यह निश्चय हो गया है कि पुलिस ने गांव को लूटा, स्त्रियों को नंगा करके अपमानित किया

[श्री अध्यक्ष]

और अन्न वस्त्र और बरतन भी वह ले गयी। हथियार बन्द पुलिस का वहां पर पहरा है। पुलिस के अत्याचार और गांव में हथियारबंद पुलिस की तैनाती से बड़ी संकटमय विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। अतः इस महत्वपूर्ण और आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

इसके सम्बन्ध में मेरे पास कुछ कागजात और जो तहकीकात हुयी है उसकी रिपोर्ट और कुछ बयान भी भेजे गये हैं। मैंने माननीय गृह मंत्री के पास उनको भेज दिया था। यह निश्चित विषय है या नहीं यह जानने के लिये मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकें तो अच्छा है। यह सत्य है कि यह महत्वपूर्ण विषय प्रतीत होता है किन्तु इस विषय में जो फैक्ट्स हों इसको निश्चित करने के लिए मैं उनको जानना चाहता हूं। इसलिये माननीय गृह मंत्री इसके ऊपर अपने विचार कृपाकर प्रकट कर दें।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कल जब इस कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था तो उसमें केवल इतना ही लिखा था कि अमुक तारीख की जांच की रिपोर्ट के आधार पर जैसा आपने स्वयं कहा है कि उसमें इस बात का संकेत नहीं दिया गया था कि कैसी जांच, कौन सी जांच और उस जांच की रिपोर्ट किस जगह निकली और किसने देखी। कल के लीडर अखबार में जरूर एक रिपोर्ट छपी थी। मैं समझता हूं कि माननीय मलखान सिंह जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। परन्तु उस रिपोर्ट को श्रीमान् ने भी देखा होगा और अन्य लोगों ने भी देखा होगा कि इसके अन्दर जितने आरोप लगाये गये हैं उनमें से एक आरोप भी उसमें नहीं लिखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि किस वजह से उस अखबार ने रिपोर्ट की सब बातों को छापना उचित नहीं समझा। जो चीज माननीय सदस्य के सामने है उस वक्त भी थी जिस रिपोर्ट का जब उन्होंने जिक्र किया लेकिन उसमें चर्चा नहीं है। मेरे पास कुछ कागजात भेजे गये जिनको देखने का मुझे अवसर मिला। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे पास जो रिपोर्ट है जो बातें कही गयी हैं उनमें से उसमें किसी बात की भी चर्चा नहीं है। इस सदन के सदस्य माननीय बहुगुणा जी की कांस्टीट्यएन्सी में वह जगह पड़ती है। उनको वहां की घटनाओं का ज्ञान हो सकता है तो मैंने उनसे पूछा। उनसे मालूम हुआ कि जो रिपोर्ट मेरे पास भेजी गयी है उनका कहना है कि वह बिलकुल ही असत्य है। हमारे पास जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें भी उन आरोपों का कोई आधार नहीं है जो कि बतलाये गये हैं। इसलिये यह सर्वथा अनुचित है।

मैं इतना और निवेदन कर दूं कि इस मामले की जांच हो रही है और जांच होने के बाद यह मामला अदालत में जायगा अगर कोई बात सत्य हुयी होगी तो उसका निश्चय अपने आप ही हो जायगा। हमारे पास भी उस घटना की रिपोर्ट है अगर आप चाहें तो उसे पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---श्री मलखान सिंह इस सम्बन्ध में कि यह विषय कैसे निश्चित है, इस पर प्रकाश डालें।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने यह "लीडर" अखबार की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है, ऐसा नहीं है। मेरे पास वहां के सज्जनों के बयान आये और वहां के हालात की जो रिपोर्ट है वे मैंने आपके सामने रक्खे हैं। "लीडर" में भी जो नाम दिये हुये हैं उनको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

श्री के०के० भट्टाचार्य, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, श्री टी० एन०सप्रू०, बार-एट-ला, श्री एस०एन० चड्ढा ऐडवोकेट, श्री सरवर हुसैन ऐडवोकेट .....

श्री अध्यक्ष---आप यह तो अखबार पढ़ रहे हैं, इससे तो यही सिद्ध होगा कि आपने उसके अनुसार ही लिखा है।

श्री मलखानसिंह—मैंने जो वहां के असल बयान थे वे आपके पास भेज दिये हैं और अंगूठा निशानी भी थी जिनकी नकल भेज दी है। मेरा कहना यह है कि इस बात की रिपोर्ट लीडर और अमृत बाजार पत्रिका में भी निकली है। वहां की फोटोज भी ली गयी हैं, एक आटे की बोरी भी वहां भेजी गयी, पुलिस ने वहां बरतन और कपड़ा भी नहीं छोड़ा।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री मलखानसिंह—यह तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। बहुगुणा साहब भी बता दें कि वहां से बरतन नहीं ले जाये गये, कपड़े नहीं ले जाये गये, क्या वहां पर आटा था। मैं श्री बहुगुणा जी से पूछना चाहता हूं कि वे वहां किस तारीख को गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—मैं श्री मलखान सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अवसर दिया और इस प्रकार से उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं यह उसी क्षेत्र का वाकया है। वह इलाहाबाद से करीब १० मील दूर है। माननीय मलखान सिंह जी को शायद यह भी पता न होगा कि वह सड़क के बायीं तरफ है या दायीं तरफ है। पिछले शनिवार को मैं वहां गया था। उस गांव के बारे में सुनने के बाद मैं वहां गया था यद्यपि यहां पर मेरी स्त्री बीमार थीं। मैं उसी स्थान पर ही नहीं गया बल्कि आसपास के पांच छः गांवों में मैं गया और वहां पर लोगों की आम राय यह थी .....

श्री अध्यक्ष—तो आपकी राय यह है कि यह वाकया नहीं हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में अब मैं अपना निश्चय देना चाहता हूं। यह एक महत्व का प्रश्न अवश्य है लेकिन वाकयात के विषय में उसमें निश्चितता नहीं है। इन्क्वायरी के बारे में मैंने पहले यह समझा था कि मैजिस्टोरियल इन्क्वायरी हुयी होगी या सरकार की ओर से कोई कार्यवाही हुयी होगी, उसका गोलमोल हवाला इसमें दिया गया है लेकिन यह केवल भ्रांति थी क्योंकि गृह मंत्री के कथन के बाद यह प्रतीत होता है कि वह एक पार्टी की तरफ से ही इंक्वायरी हुई। इन कथित वाकयात से यह भी जाहिर नहीं होता कि उसका सम्बन्ध सरकार से किस प्रकार है और न सरकार के सामने इस मामले की कोई शिकायत भेजी गयी। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे स्पष्ट मालूम होता है कि वाकयात हुआ ही नहीं। क्योंकि यहां पर सत्य असत्य के सम्बन्ध में शंका है इसलिये यह बहुत ही अनिश्चित प्रश्न हो जाता है। इसलिये मैं इसको वैध करार नहीं देता।

आइन्दा कामरोको प्रस्तावों के विषय में मैं यह बता देना चाहता हूं कि पहला काम यह होना चाहिये कि प्रश्न पूछ कर वाकयात के सम्बन्ध में मालूमात हासिल की जांय। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट से सम्बन्ध जोड़ने के लिये गवर्नमेंट के पास शिकायत पहुंचनी चाहिये क्योंकि जब तक कोई तहकीकात सरकार की ओर से न हो तब तक गवर्नमेंट से उसका क्या सम्बन्ध हो सकता है ? एक दम एकाएक गांव में किसी वक्त कोई घटना हो जाय और उसके सम्बन्ध में सदन का समय लिया जाय जबकि कोई कार्यवाही न हो सरकार की तरफ से तो मैं समझता हूं कि यह सदन के समय का अपव्यय होगा। यह मैं आगे के लिये इस सम्बन्ध में सूचना दे देना चाहता हूं।

विरोधी दल के प्रश्नों को दबाकर कांग्रेस दल के प्रश्नों के उत्तर देने की शिकायत

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, एक प्रश्न के सम्बन्ध में आपसे मुझे कुछ निवेदन करना है। आज के एजेंडे में पेज ४ पर प्रश्न संख्या ५०-५१

[श्री राजनारायण]

जो श्री राम सुभग वर्मा के नाम है उसमें लिखा हुआ है कि ७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये। और फिर वही प्रश्न नं० ६० पर श्री शिवप्रसाद जी के नाम से आया है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की जो चिट्ठी श्री रामसुभग वर्मा के नाम आयी है वह भी इस समय हमारे हाथ में ही है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इससे हमको ऐसा लगता है कि हमारे नाम से कोई सवाल जाता है तो उसको दबा दिया जाता है और वही सवाल जब कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य के नाम से आ जाता है तो उसका उत्तर आ जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी तहकीकात करने की जरूरत है। आप कृपा करके मेरे दफ्तर में आ जायं तो मैं बतला दूंगा कि वे प्रश्न क्यों स्थगित किये गये। क्योंकि यह सम्भव हो सकता है जिस वक्त प्रश्न आया हो उस वक्त गवर्नमेंट के पास उसका उत्तर न आया हो जिससे गवर्नमेंट उत्तर देने के लिये तैयार न हो। इसके बाद दूसरे ने प्रश्न रखा हो और उस वक्त उत्तर आ गया हो। तो दूसरे ने वही प्रश्न पूछा है यह जानकारी तो नजर से चूक जाने की बात है। मेरी यह हिदायत है कि जिसका पहला प्रश्न हो वही प्रश्न कायम रहेगा। दूसरे प्रश्न को मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। लेकिन हमारे दफ्तर में हजारों प्रश्न आया करते हैं। कभी-कभी गलती हो जाती है। सम्भव है कि मेरे दफ्तर की गलती हो या सरकार के दफ्तर की गलती हो। यह सम्भव हो सकता है लेकिन इसमें कोई नियत का सवाल नहीं उत्पन्न होता है। ऐसी आपको शंका हो सकती है। लेकिन वह ठीक नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न का हवाला देकर इस प्रकार के गम्भीर आरोप करना यह कहां तक उचित है कि यहां पर इस बात में अन्तर किया जाता है कि इधर से सवाल आता है तो उनका जवाब नहीं दिया जाता है और जब इधर से आता है तो उनका जवाब दे दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित बात है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई यह देखता भी नहीं कि किसका सवाल है। जो सवाल आते हैं उनके जवाब के लिये दफ्तर में कार्यवाही करने के लिये उनको भेज दिया जाता है। कोई कमी होती है तो उसको करना जरूरी होता है। इस तरह की बातें करना तो एक तंगदिली को जाहिर करना है। आखिर हमारा कर्त्तव्य है कि जो प्रश्न पूछा जाय उसके लिये जानकारी हासिल की जाय और उसको हाउस के सामने रखें। मगर हर बात में इस तरह की बातें करना तो मैं समझता हूं कि नीयत पर हमला करना है। यह तो नियम के भी खिलाफ है और यह सौजन्यता के भी खिलाफ है। अगर किसी बात के कहने में गलती हो तो यह तो कह सकते हैं लेकिन यह कहना कि इरादतन ऐसा किया जाता है यह सर्वथा अनुचित है।

श्री राजनारायण—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कतई भी हमारी यह इच्छा नहीं है कि हम उनकी नीयत पर हमला करें। हमारे तरफ के एक ही प्रश्न के ऊपर यह चोट नहीं पड़ी है बल्कि दर्जनों बार ऐसी चोट पड़ी है। मैं यहां निवेदन कर दूं कि स्वयं मैंने एक प्रश्न पूछा था और यह मेरी जानकारी है कि जिस माननीय मंत्री जी से वह प्रश्न संबंधित था उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य को बुला कर उनसे कहा कि तुम अपने नाम से इस प्रश्न को दो।

श्री अध्यक्ष—आप बगैर तहकीकात के आरोप करते हैं यह अनुचित है। यह तो स्पष्ट बात है कि मैंने भी एक दो दफा इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था।

श्री गेंदासिंह से सम्बद्ध प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से श्री गेंदासिंह से सम्बद्ध प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन *उपस्थित करता हूं।

---

*प्रतिवेदन कार्यवाही में छापा नहीं गया।

इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात सदन की सूचना के लिये कह देना उचित समझता हूं। इससे पूर्व समिति का यह रवैया रहा था कि एक तो हम बहुमत से जो रिपोर्ट पास होती थी वह तो प्रतिवेदन में आती ही थी और जो अल्प मत की राय होती थी वह भी असहमति के नोट की तरह प्रकाशित होती थी परन्तु इस बार समिति ने एक मत हो कर तय किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की परम्परानुसार यदि एक से अधिक कई प्रतिवेदन हों तो हम उन पर वहीं पर समिति में विचार कर लें और एक प्रतिवेदन तो समिति की ओर से उपस्थित हो और जो दूसरा हो उसको भी स्थान दिया जाय और वह भी कार्यवाही में प्रकाशित हो। हालांकि दोनों प्रतिवेदनों की रिपोर्ट के साथ श्री नारायणदत्त तिवारी वाले मामले में भी और श्री गेंदा सिंह वाले मामले में भी दूसरी रिपोर्ट को भी स्थान दिया गया है। इसलिये उसके साथ-साथ जो दूसरी राय का विचार था उसको भी इसमें प्रकाशित किया गया है। इसकी सूचना इस समय मैं यहां देना उचित समझता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं यह जानना चाहूंगा हूं कि यह जो दोनों रिपोर्ट्स आई हैं उन पर बहस कब होगी?

श्री अध्यक्ष—कोई दिन मुकर्रर किया जायगा और उसकी सूचना दे दी जायगी?

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय तथा श्री तेजप्रतापसिंह के संशोधन पर कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय, विवाद जारी रहेगा।

†श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आप की आज्ञा से प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थिति का एक चित्र, जो मैंने स्वयं देखा था, सदन के सम्मुख रखा था और मैंने यह कहा था कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो अन्धकार से प्रकाश में जाने की भावना जो आज से यहां युगों पहले भरद्वाज के आश्रम से निकली थी वही प्रतिध्वनि आनन्द भवन से भी निकली और अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपके द्वारा प्रार्थना की थी और उस प्रतिध्वनि के ऊपर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उसको पाया और अध्यक्ष महोदय यह सत्य है कि हमें विश्वविद्यालय से प्रेरणा न ले कर के, इसलिये नहीं कि हम प्रेरणा लेना नहीं चाहते थे बल्कि इसलिये कि हमें वहां से प्रेरणा नहीं मिल सकती थी हमने बाहर से प्रेरणा ली और अन्धकार से प्रकाश की तरफ चले क्योंकि उस समय हमारे सामने एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटी में उन चीजों का साधन न होते हुये भी माननीय नारायणदत्त जी अच्छी तरह से जानते हैं और और भी बहुत से साथी जो बैठे हुये हैं जानते हैं कि हम आगे बढ़ गये। किन्तु ४७ के बाद जब वह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विद्यार्थियों के सामने कोई लक्ष्य न रह गया और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अधिकारी और उसके चलाने वाले रास्तों से अलग हो गये थे उसी प्रकार से वहां के विद्यार्थी वर्ग उस रास्ते को छोड़ कर के न जाने किन दिशाओं की तरफ निकल पड़े और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी तकलीफ के साथ प्रयाग की सड़कों पर प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उस महान् कलाकार का जिसकी कला

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

और लेखनी के सम्मुख इस देश के ही नहीं विदेश के लेखकों और विद्वानों ने सर झुकाया, पुतला और जनाजा लिये हुये देखा है और मैं आप के द्वारा सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि यही नहीं देखा, यह भी देखा कि ४७ के बाद जो प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा था विध्वन्सात्मक शक्तियों के द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया और साम्प्रदायिक पंजों में वह फंस गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रयाग विश्वविद्यालय में, जैसे और विश्वविद्यालयों में आज जो इस तरह से साम्प्रदायिक आन्दोलन हो रहे हैं उसमें वहां के विद्यार्थियों का हाथ नहीं है। हमने तकलीफ के साथ इन चीजों को सात वर्ष तक देखा और उम्मीद यह की कि हमारी सरकार जिन ख्वाबों को हमारे विश्वविद्यालयों के विषय में देखा करती थी उसे शीघ्र पूरा करेगी और सात वर्ष तक इन्तजार करने के बाद वह संशोधन विधेयक आया। इसको हमने ध्यान से पढ़ा और अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जी बधाई चाहते हैं तो मैं उसे सहर्ष देने के लिये तैयार हूं केवल इस बात के लिये कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था इस संशोधन विधेयक द्वारा पैदा की, ऐसी एक स्थिति लाने का प्रयत्न किया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और प्रवर्तकों में ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि वहां दलबन्दी और पार्टीबन्दी बन्द हो। इस प्रयत्न में माननीय मंत्री जी और सरकार कहां तक सफल होगी यह तो भविष्य ही जान सकता है लेकिन मुझे तो इस विधेयक में केवल एक ही चीज दिखाई दी और वह चीज यही है कि मंत्री जी इस हद तक सफल हुये हैं कि एक शरीर की रचना उन्होंने कर दी है, मशीन उन्होंने बना दी है लेकिन मुझे तो कम से कम इसमें वह चीज नहीं दिखाई देती जो शरीर की आत्मा या प्राण होती जो मशीन में शक्ति होती है। कहां इस संशोधक विधेयक में वह तेजी है जो मुल्कों और कौमों को आगे ले चलती है। कहां इस संशोधक विधेयक के अन्दर वह चीज है जो सरकारों को कायम रखती है। मुझे तकलीफ के साथ देखना पड़ा कि ७ वर्ष तक इन्तजार करने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात के लिये जो विख्यात हैं कि वह सख्त और दृढ़ क़दम उठाते हैं उन्होंने कहां इस शिक्षा प्रणाली को बदला है, कहां उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में वह रास्ते खोले हैं जिनसे कौम को ताकत मिल सकती है। जिन स्थितियों में आज प्रयाग विश्वविद्यालय चल रहा है ठीक उन्हीं स्थितियों में हमारे पड़ोसी देश में विश्वविद्यालय चल रहे थे और ठीक उन्हीं स्थितियों में क्रांति होने के पहले रूस था। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा चीन की उस स्थिति का वर्णन करना चाहता था जिस स्थिति के अन्दर यह देश भी रहा है, और इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में, उन्होंने शायद मांग की है इसकी, उस उदाहरण को रखना चाहता हूं :

> "विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने की योजना बनाने के लिये पहले के अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में इतनी सूक्ष्मता और तत्परता से विचार नहीं करते थे और कक्षा में मन चाहा लक्ष्य आदि दे कर अपने काम से छुट्टी पा लेते थे। वह विद्यार्थी समाज के विषय में अधिक सोच-विचार करना आवश्यक नहीं समझते थे। विद्यार्थियों की भी यही दशा थी। उनका अध्ययन निरुद्देश्य होता था। किसी प्रकार परीक्षायें पास कर के नौकरी प्राप्त करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था।" यह पेज ४८ है।

श्री अध्यक्ष—यह कौन सी किताब है ?

श्री रामनरेश शुक्ल—"चीनी जनता के बीच" इस किताब का नाम है बाई जगदीश चन्द्र जैन। आगे चल कर उन्होंने लिखा है:

> "इसके अतिरिक्त वहां की ठीक वही स्थिति थी जो हमारे देश की थी। पहले उन विश्वविद्यालयों का पठन-पाठन पूंजीवादी आदर्शों पर चलता था

जो एक प्रकार से जापान और अमेरिका के विश्वविद्यालयों की नकल थी। उस समय चीन का इतिहास तोड़-मरोड़ कर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था। वस्तुतः विदेशी साम्राज्य और सामन्तवादी आदर्श चीन की उन्नति में सदा बाधक रहे हैं इसलिये साम्राज्यवादी और सामन्तवादी पिछड़ी हुई जन विरोधी मनोवृत्ति में सुधार करना चीन की आधुनिक शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उदाहरण को देने का मेरा तात्पर्य केवल इतना था कि जिस प्रकार से चीन विदेशी शक्तियों के मातहत था उसी प्रकार से यह देश भी विदेशी साम्राज्यवाद के मातहत था और ठीक वही स्थिति और परिस्थिति इस देश में थी। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय, चीन ने अपनी शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने बीच में टोंकने का प्रयत्न किया, क्या चीन के अन्दर आज कोई भी ऐसा विश्यविद्यालय है जो कि अपने जननायक के विरुद्ध गलत बातों का प्रचार करता हो? क्या मंत्री महोदय को मजबूर हो कर यह जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आज उनके विश्वविद्यालयों में प्रायः हर जगह और विशेष कर प्रयाग विश्वविद्यालय में झूठ और भ्रमात्मक असत्य, प्रचार राष्ट्र के जननायक जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हो रहा है। क्या यदि चीन इस परिस्थिति को पैदा कर सकता है, यदि रूस इस परिस्थिति को पैदा कर सकता है और इतने थोड़े समय में वह अपनी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है तो क्या वजह है कि सात वर्ष के बाद भी हमारी कांग्रेस सरकार, इस सूबे की सरकार ने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया? आज हमारे यहां के विश्वविद्यालय क्यों उसी तरह चल रहे हैं? इस संशोधन विधेयक में आज हम देखना चाहते थे कि ऐसा संशोधन होता कि हमारे बौद्धिक विकास के साथ-साथ विद्यार्थियों के अन्दर आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिये भी एक साधन होता। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आप के द्वारा यह कहना कि माननीय मंत्री जी या यह सदन इस बात की गलतफहमी में न रहे कि मैं चीन या रूस की सारी चीजें पसंद करता हूं लेकिन मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी रास्ते से चीन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है तो क्या वजह है कि हम उसी रास्ते को अपना कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते? हम अपनी शिक्षा प्रणाली में क्यों नहीं उन्हीं परिवर्तनों को अपनाते जो उन्होंने अपने यहां किये हैं?

एक सदस्य—आप चीन को चाहते हैं?

श्री रामनरेश शुक्ल—बोलने दो। जवाब बाद में देना। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि हम जिस लक्ष्य पर जाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में आज किसी में मतभेद नहीं है, आज गांधीवाद का कौन प्रचार नहीं करना चाहता? यहां तक कि विरोधी दल भी गांधीवाद को हमसे ज्यादा अपनाने का दावा करता है। तो क्यों नहीं उसके प्रचार का साधन विश्वविद्यालय को बनाते हैं? आज इस संशोधन विधेयक के अन्दर गांधीवाद की शिक्षा के लिये कौन सी दफायें हैं, कौन से संशोधन किये गये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से कल और आज सब के भाषणों को सुना। मुझे तकलीफ हुई कि विरोधी दल के विद्वान प्रवक्ता नारायणदत्त जी ने भी केवल इससे कहा, उसने कहा, इस कमीशन ने कहा, उस कमीशन ने कहा, इस इंसान ने कहा, इस आदमी ने कहा, लेकिन आप अपने अनुभव और प्रयोग से क्या कह रहे हैं? आप भी पांच वर्ष युनिवर्सिटी में रहे हैं, आप भी विद्यार्थियों को देख रहे हैं, क्या मांग है, उसे आपने नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा माननीय मंत्री जी इस बात के लिये बधाई के पात्र हो सकते हैं कि उन्होंने वाइस-चांसलर के चुनाव में पार्टीबाजी को बन्द किया और वहां की जो फाइनेंशल हालत है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। मन्त्री जी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर भी बधाई

[श्री रामनरेश शुक्ल]

के पात्र हो सकते हैं। लेकिन केवल इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि आटोनामी में बाधा पड़ती है। राष्ट्र के निर्माण में क्या जरूरत है कि आटोनामी के लिये इतना इन्तजार किया जाय। आटोनामी एक अच्छी चीज है लेकिन अच्छी चीज राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो तो उसके लिये सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया के और देश जिन प्रयोगों को कर के अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर पहुंचे हैं उनके द्वारा इस देश का कल्याण हो सकता है, तो उसको अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। मैं जरा भी संकोच नहीं करता यह कहने में कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक दिशा में उन्नति की है, नहरें खुदवायीं, ट्यूबवेल बनवाये, बिजली में तरक्की की और यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि प्रत्येक विभाग में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं, लेकिन यह मुझे यदि कहीं नहीं दिखाई पड़ता तो वह एक शिक्षा का विभाग है जिसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम वहीं बैठे हुये हैं जहां अंग्रेज छोड़कर गये थे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, यदि शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा तो देश के और सारे काम अधूरे रह जायंगे। प्रयाग विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों में प्रत्येक बात में नेतृत्व किया है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा मैं आशा करता था कि वह यहां भी नेतृत्व करेगा। लेकिन इसमें केवल मशीन और शरीर का संचार हो सका है। अध्यक्ष महोदय, हमें इन्तजार करना पड़ेगा उस दिन के लिये जब यह मन्त्री या कोई दूसरा मंत्री आ कर इस मशीन और शरीर में प्राण भी फूंकेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयाग विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में ही नहीं हमारे देश की उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाशवान सूर्य की तरह हमेशा चमकता रहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय ने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को सदैव से अच्छे और कुशल ऐडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे और कुशल राजनीतिज्ञ दिये हैं, और जीवन के हर अंग को हमेशा नयी प्रेरणा दी है। १९२१ से १९५४ तक पिछले ३३ वर्षों में अगर प्रयाग विश्वविद्यालय का नक्शा उठा कर देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रयाग विश्वविद्यालय ने देश और प्रदेश की हर समस्या को सुलझाने में बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम अपनी तरफ से उठाये। वहां के छात्रों ने, वहां के अध्यापकों ने उस जीवनदायिनी शक्ति को प्रसारित किया जिससे देश आगे बढ़ता है, जिससे मानव फलता-फूलता है, और आगे बढ़ता है। जब हम इस भवन में बैठ कर उस प्रयाग विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के ऊपर वार्ता करें तो मैं निहायत अदब से अपने सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हल्की बातें कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे सारी बहस को सुनने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, उसके अध्यापकों के सम्बन्ध में कही हुई आलोचना को सुन कर सर चिन्तामणि जी का एक जुमला याद आया। उन्होंने "इंडियन पालिटिक्स सिंस म्यूटिनी" एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने एक डेडीकेशन करते हुये यह लिखा कि "We call our fathers fools. Our children will call us double asses." यानी "हम अपने बाप को बेवकूफ कह सकते हैं। हमारे लड़के हमको बड़ा भारी गधा कहेंगे।" श्रीमन्, यहां पर जितने सज्जन आये हैं, अधिकांश में वे किसी न किसी विश्वविद्यालय की देन हैं। मुझे इसके कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मैं और मेरी तरह के बहुत सारे यहां आये हुये हैं लोग जिनको अपने ऊपर विश्वास है, जिनको अपनी बात पर विश्वास है वह प्रयाग विश्वविद्यालय की महान् देन हैं और उस महान् देन से पायी हुई नयी-नयी आशाओं को ले कर वह आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सम्मुख मूथम कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हुये चन्द बातों पर प्रकाश डालते हुये शिक्षा मंत्री जी ने दुख प्रकट किया। मुझे समवेदना है, इस सरकार के साथ, और समवेदना है अपने साथ कि अपने गुरुजनों के कुकृत्यों को मुझे यहां सुनना पड़ा, सुना मैंने और सुनता रहा। एक ब्रुश से एक ही तरह से सब को रंग दिया गया, एक ही रंग में सब को रंगा गया और यह कहा गया कि अधिकांश लोगों में वहां पर बुराई है, अधिकांश मात्रा में प्रयाग विश्वविद्यालय में बुरी-बुरी बातें हैं और अब हम इन सब बीमारियों का एक इलाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक

द्वारा करने जा रहे हैं। मुझे श्रीमन्, आप से नम्र निवेदन यह करना है, कल मेरे एक मित्र ने जो मेरी ही उम्र के हैं, हमको एक बात से काफी हिचकिचाया कि माननीय पंत जी जो कि हमारे वयोवृद्ध विद्वान हैं और हमारे सब से बड़े नेता हैं, देश की महान् शक्ति जिनमें निहित है, उन्होंने इस बिल को अपनी मुहर दी है। लेकिन मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि उन्हीं हमारे वयोवृद्ध नेता ने ही हमको वह संविधान भी दिया है जिसके अनुसार हमें टीका करने का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत खड़े हो कर हम यहां कुछ कह सकते हैं। यह कोई मानने की बात नहीं होनी चाहिये कि किसी ने कितनी ही बड़ी बात क्यों न कही हो, वह हमेशा माननी ही है। मैं जितनी भी बहस सुन रहा हूं वह या तो यह है कि युनिवर्सिटी की आटोनामी चूंकि खतरे में है इसलिये यह बिल बुरा है, या यह सुन रहा हूं कि यह बिल इस लिये अच्छा है कि विश्वविद्यालय में फैले कुकृत्यों को दूर करने के लिये यही एक इलाज है। मैं इन दोनों भावनाओं से परे एक तीसरी बात कहना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि यह बिल मुनासिब चीज नहीं हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में पर कुछ कुकृत्यों के कारण उन्हें यह क़दम उठाना पड़ा है। लेकिन जिस आधार पर उन्होंने यह बिल पेश किया है मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने मूथम कमेटी की रिपोर्ट को नहीं, बल्कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट के एक चेप्टर को ले कर हमारे सामने सारी बातें उपस्थित की हैं। मुझे प्रसन्नता होती अगर इस मूथम कमेटी की सारी पुस्तक को आद्योपान्त बुनियाद बना कर हमारे सामने सरकार एक बिल प्रस्तुत करती। लेकिन हमारे सामने जो उन्होंने एक चेप्टर की बुनियाद पर बिल प्रस्तुत किया है उसमें जो बाते हैं वह या तो युनिवर्सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के सिलसिले में बातें हैं जो कि मूथम कमेटी के सामने आयीं या जो युनिवर्सिटी के युनिटरी और उसके फेडरेटिव के सिलसिले में थोड़ा बहुत तज़्किरा मूथम कमेटी में आया उसके "आधार पर" हैं। मैं इस बात को नहीं कहता कि मूथम कमेटी में कोई एकेडेमिसियंश नहीं थे, और केवल राधा कृष्णन कमीशन में ही डिस्टिंग्विश्ड ऐकेडेमिशियंश थे लेकिन मूथम कमेटी का सहारा विशेष बातों के लिये, डीटेल्स के लिये भले ही उपयुक्त हो लेकिन जहां तक प्रिंसिपुल्स का सम्बन्ध है उच्चतर शिक्षा के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, अगर मूथम कमेटी में कोई बात ऐसी आयी हो जो उन बातों से भिन्न हो जो राधाकृष्णन कमीशन ने कही हों तो हमें उनको नहीं मानना चाहिये। मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि मैंने इस रिपोर्ट को कई बार पूरे तौर से पढ़ने की कोशिश की और मेरी आत्मा बराबर कोसती रही जानने के लिये कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट की बातों को पूरा करने के लिये सरकार के कितने कार्य हुये हैं। जब से कमेटी बिठाई गई और फिर जब यह बिल आया तो मुझे ऐसा लगा कि युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में छिद्रान्वेषण की नीति को ले कर, बुराई भलाई की नीति को ले कर चाहे जितनी बातें हमने कर डालीं और यह बिल प्रस्तुत कर दिया, लेकिन छात्रों के जीवन के सम्बन्ध में जितनी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है, जो फोटोग्राफी युनिवर्सिटी बिल्डिंग, स्नानागार वगैरह की दी हुई है, भवन के निर्माण के सम्बन्ध में सिफारिशें हैं, लायब्रेरी और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन है और युनिवर्सिटी के हौस्टल्स का वर्णन किया गया है तो मुझे दुख हुआ जब मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण में थोड़ा सा भी इस दिशा में उनका इशारा नहीं पाया।

मुझे प्रसन्नता होती यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी मूथम कमेटी की इस सिफारिश के ऊपर भी कुछ प्रकाश देते जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ओरीजिनल ऐक्ट की धारा ३५ में यह लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जितने लड़के रहेंगे उनको युनिवर्सिटी रेजीडेंशल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन मूथम कमेटी ने इस सम्बन्ध में यह लिखा है कि ऐक्ट की यह धारा बिलकुल बेकार हो गयी है क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र बाहर रहते हैं और जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं उससे स्पष्ट हो जायगा कि अधिकांश छात्र बाहर ही रहते थे और अब भी रहते हैं और यह क्लाज बेकार सा हो गया है। लेकिन इस पर भी हमारे इस संशोधान विधेयक में इसको बदलने की कोई बात नहीं है यदि वह पसन्द करें तो इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मुझे दुख हुआ मूथम कमेटी के रिपोर्ट के सिलसिले में इस बात पर बोलते हुये कोई प्रकाश

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

नहीं डाला गया । यदि वह जिम्मा लेते कि जो कुलपति बनने वाले हैं उनको शिक्षा मंत्री जी इतना धन देंगे कि वह शिक्षार्थियों के लिये माननीय नरदेवशास्त्री जी द्वारा बतलाये गये सिद्धान्तों को पूरा कर सकेंगे और कुलपति लड़कों को रहने सहने और पढ़ने की व्यवस्था को पूरा कर पायेंगे, तो सचमुच हम उनके कृतज्ञ होते ।

सन् १९५१-५२ में जितने विद्यार्थी प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहते थे, जिनमें मैं भी एक था, माननीय राम नरेश जी और नारायण दत्त जी तिवारी भी रहते थे, तब एक-एक लड़का जिस कमरे में रहता था अब उसी कमरे में तीन-तीन लड़के रहते हैं। वह बेचारे अपनी साइकिल तक अंदर नहीं रख सकते हैं। उनकी चारपाइयों के बीच में जरा भी जगह बाकी नहीं रहती। इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत डिटेल्स में लिखा है। इस हालत में, मूथम कमेटी ने जांच वाले साल में, पाया कि १७६३ लड़के हौस्टिल में रहते हैं और ३१७६ लड़के डेलीगेसी में रहते हैं और इस युनिवर्सिटी डेलीगेसी का वर्णन करते हुये श्रीमन् बड़ी दर्दनाक हालत का बयान उन्होंने लिखा है। हालत यह है श्रीमन्, कि एक लड़का वहां पर ऐसा पाया गया जो बाहर झोपड़ी में गंदी जगह पर रहता है। मैं आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डेलीगेसी में रहने वाले कितने ही लड़के ऐसे हैं जिन लड़कों को खाना बनाने के लिये जगह ठीक नहीं है । वह अपने हाथों से खाना पकाते हैं, सड़क पर सोते हैं क्योंकि मकान में श्रीमन् जहां वह रहते हैं किराये पर तो केवल बरांडे में रहते हैं। खाना बाहर पकाते हैं और रात को सड़क पर सोते हैं। इन हालतों के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जरा भी नहीं बतलाया कि इस दिशा में वह क्या करने वाले हैं।

मैं निहायत अदब से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि प्रयाग विश्वविद्यालय के इस विधेयक का मैं स्वागत करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात को सदन में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम कभी भी विश्वविद्यालयों की हालत ठीक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके लिये हम उचित धन का प्रबन्ध न कर दें। अगर यहां हम इस बात का प्रबंध कर देते हैं तब विधेयक में मामूली बातों पर, युनिवर्सिटी के मामूली चीज़ों के लिये हम विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर भरोसा और भार डाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका जरा भी तज़किरा नहीं किया। मूथम कमेटी की रिपोर्ट में इस पर चेप्टर पर चेप्टर लिखे हुये हैं कि किस तरह से सन् १९४२ से ५३ तक लड़कों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी और इस बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ विभिन्न विभाग सन् १९४० से ले कर १९४७-४८ के बीच में खुले। मैंने गणना की तो ४० से ले कर ५१ तक ११ नये विभाग खुले, उन ग्यारह विभागों पर और खर्च हुआ। इन ग्यारह विभागों के लिये अतिरिक्त टीचर्स और अधिक सामान की व्यवस्था की गयी। उनके लिये नया स्थान ढूंढना पड़ा। यूनिवर्सिटी के साथ न केवल यह कि वहां के टीचर्स पूरी तनख्वाह नहीं पाते और मुझे दुःख हुआ जब कि माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में, दो शब्द भी मैंने नहीं सुने, बावजूद इसके कि उनके डिपार्टमेंट के कालेज, ज्ञानपुर कालेज, बनारस और नैनीताल के इंटरमीडिएट कालेज में प्रोफेसरों की तनख्वाह ५००-१,२०० है लेकिन इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लेक्चररर्स को जो कि उनसे कहीं ज्यादा काम्पीटेंट होते हैं कि उनकी तनख्वाहें किस क़दर कम है। चूंकि हमारे पास धन नहीं है, इसलिये हम उन्हें पूरी तनख्वाहें नहीं दे सकते । अगर माननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया होता तो मेरे दिल को कुछ संतोष हो जाता।

मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा उन्होंने भी, टीचर पालिटीशियन के नाम पर की, जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के टीचर्स भी हैं और लेजिस्लेचर के मेम्बर भी हैं, जब कि

टीचर को लेजिस्लेचर का मेम्बर होना चाहिये या नहीं चाहिये इस सम्बन्ध में स्वयं इस मूथम कमेटी रिपोर्ट में एक चैप्टर है। मुझे हैरत हुई कि हम लोग मूथम कमेटी का नाम लेकर मूथम साहब को क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर मूथम कमेटी की बुनियाद पर कोई नीति निर्धारित करनी है तो उसको पूरी की पूरी मानना पड़ेगा वरना कमेटी की रिपोर्ट उस डाक्टर का नुस्खा हो जायगी जो यह कहे कि लिवर के लिये यह इंजेक्शन देता हूं और फेफड़े में खराबी के लिये यह इंजेक्शन देता हूं। तो रोगी लिवर का इंजेक्शन लें तो लें लेकिन कैल्शियम का इंजेक्शन न लें। नतीजा यह होगा कि कभी बीमार की बीमारी नहीं जा सकती। अगर बीमारी है, और माननीय मंत्री जी तो मानते हैं कि बीमारी है, होगी बीमारी, मैं उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहता, पर उस बीमारी को दूर करने के लिये मूथम साहब ने जो पूरा नुस्खा दिया था उसको हमने कहां माना? जब हम उस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिससे शिक्षा पाये हुए लड़के आज इस सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पदों पर आसीन हैं, जिस इलाहाबाद युनिवर्सिटी के पढ़े हुये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, जिस इलाहाबाद युनिवर्सिटी के छात्र इस भवन में ही नहीं इस भवन के बाहर भी बड़े-बड़े क्षेत्रों और पदों पर विराजमान हैं। तब हम अगर कुछ टीचर पालिटीशिएंस खराब हों, उनके नाम पर आउटराइट सभी टीचर्स को कंडेम करें यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिसकी व्यक्तिगतरूप से अपनी छात्रत्व काल में अपने गुरुजनों से टक्कर रही। मेरा उनसे राजनैतिक क्षेत्र घोर में मतभेद रहा। वह पूर्व को देखते तो मैं पश्चिम को देखता। वह उत्तर को देखते तो मैं दक्षिण को देखता था। लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई का प्रश्न है आज भी उनके सामने मेरा मस्तक नत है। मैं कह सकता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे पढ़ाने वाले टीचर्स और वहां की जैसी पढ़ाई किसी दूसरी युनिवर्सिटी में होती हो, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मंत्री जी को शिकायत हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई चिट्ठी आयी है विदेश से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी युनिवर्सिटियों को डिग्रियों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरा दावा है, कोई भी विदेशी युनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में इस किस्म की शिकायत नहीं कर सकती। और जो रिपोर्ट आयी होगी, मैं आप से निवेदन कर दूं, अगर आप की बात ठीक भी हो, और उन्होंने प्रयाग विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों को ले कर वह रिपोर्ट भेजी भी है, तो किसी ऐसे थर्ड रेटर की सिफारिश कर के विदेश भिजवा दिया गया होगा। वह कभी फर्स्ट रेटर नहीं हो सकता। उसकी चलनी तो शिक्षा विभाग के पास है, जो लोग स्कालरशिप के लिये सिफारिश करते हैं, उसकी छलनी उनके पास है। जब कि प्रसंग आया है तो मैं एक ऐसे विद्यार्थी का नाम भी बतला दूं, वह जस्टिस शेखरशरण का लड़का है जिसके सम्बन्ध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये यह लिख कर आया है कि "वी कांग्रेटुलेट दि युनिवर्सिटी विच हैज प्रोड्युस्ड सच ए स्टूडेंट"। और एक लड़के की वह मिसाल है तो दूसरे लड़के की मैंने भी एक मिसाल दी। यह बात सन् १९४२ के पहले नहीं हुई। यह बात ४७-४८ की है। मैं कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं कहता। अब मैं इस विधेयक में उपस्थित बातों पर आता हूं। अब तक तो मैं उन बातों पर बोलता रहा जो बातें कि इस विधेयक में अंग बन कर न आईं और जिनकी वजह से यह विधेयक ठीक ठीक काम करने वाला अपनी जगह पर नहीं हो सकता। जो उपचार माननीय मंत्री जी ने उनके लिये बतलाए हैं मैंने उनकी कमजोरियों को बतलाया। अब मैं श्रीमन्, उस नुस्खे के बाबत जो उपचार के लिये इस विधेयक द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, यहां पर इस बात का तजकिरा किया गया कि यूनिटरी करेक्टर इस विधेयक में कहां तक सुरक्षित रह सका है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मानते हुये भी यूनिटरी करेक्टर और टीचिंग करेक्टर जो आज इलाहाबाद युनिवर्सिटी का है इसको हटाने से अच्छा असर होने वाला नहीं है। मैंने भी इसको माना और सब इसको मानते

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हैं और सब तरह से यूनिटरी करेक्टर की बात आयी लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम ५ हजार से अधिक विद्यार्थियों को सुविधा का प्रबन्ध विश्वविद्यालय में नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं यूनिटरी करेक्टर के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं और मुझे सरकार की तरफ से उम्मीद है कि हमारी सरकार की ओर से, इस सम्बन्ध में, हमको आश्वासन भी मिल जायगा। अगर सरकार उस ओरिजिनल ऐक्ट की ३५ वीं धारा को लागू करें जिसके अनुसार ५ हजार विद्यार्थियों के लिये पूरा पूरा स्थान दें, लाइब्रेरी आदि की पूर्ण सुविधा की गुंजायश करे और जितनी भी अन्य सुविधायें हैं उनके ऊपर जितना भी खर्च होने की आवश्यकता हो उतना सरकार करने को तैयार हो जाये तो फिर यह प्रश्न उस जटिलता के साथ पैदा नहीं हो सकता है। मूथम कमेटी रिपोर्ट ने माना है कि २० लड़कों पर एक टीचर आप यूनिवर्सिटी को दें। अगर आप इस प्रकार से कर दें तो यूनिवर्सिटी के अन्दर यूनिटरी करेक्टर के न रहने पर भी वह सारी व्यवस्था हो सकती है जिसके कारण शिक्षा का स्तर बढ़ सकेगा। अब अगर यह नहीं किया जा सकता और माननीय मंत्री जी बावजूद इसके इस प्रकार की व्यवस्था को वहां पर इन्टरड्यूस कर रहे हैं जो एसोशियेटेड कालेज के नाम से आई है। तो कमजोरी की हालत में बीमारी के साथ एक और बीमारी को विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना होगा। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीमार है, जिसको माननीय मंत्री जी केवल अपने डाइगनोसिस के आधार पर इलाज करना चाहते हैं। मैं भी अपना डाइगनोसिस देख कर बतला रहा हूं। एक बीमारी का इलाज नहीं हुआ आप दूसरी बीमारी उनके गले में बांध रहे हैं। विश्वविद्यालय एसोशियेटेड कालेज वैसे ही है जैसे, "लास्ट स्ट्रा आन कैमिल्स बैक" की बात है। मूथम कमेटी रिपोर्ट में कहा है कि लड़के आप ५ हजार कर दें लेकिन उनके लिये यदि सुचारु व्यवस्था न कर दी जाय तो इससे और कमजोरी बढ़ेगी और इसके साथ साथ आप उनके साथ यह कालेज वाली बात भी बांध रहे हैं। यह बात सही है कि उन कालेजों के लिये शिक्षण पद्धति और उनके टीचर्स के सेलेक्शन, इस विधेयक द्वारा बनी कमेटी करेगी और वह सेलेक्शन कमेटी निहायत मुनासिब है। इस बात को मैं मानता हूं और यह भी मान कर चलता हूं कि जितने वहां पर आज टीचर मौजूद हैं जो १०, १२ साल से वहां पर काम कर रहे हैं और जो वहां पर नौकर हैं उनके काम में कोई दखल नहीं दिया जायगा। लेकिन वह युनिवर्सिटी के उस स्टैंडर्ड को मेन्टेन करने में असफल रहेंगे जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय का महान् गौरव रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये एक नीचे की ओर घसीट देने की बात होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज बिगड़ी हुई हालत में दिखाई पड़ती है। आज एक शिकायत विद्यार्थियों की योग्यता के स्तर के सम्बन्ध में डाक्टर सीताराम के पास आ रही है। वह परेशान हैं। आज जो यह विधेयक आ रहा है निश्चय है कि उनके पास इस प्रकार की शिकायत इसके पास होने के बाद भी आवेंगी तब तो और भी हमारे लिये परेशानी होगी। तो मेरा यह निवेदन है कि इन एफिलियेटेड कालेज की व्यवस्था को प्रयाग विश्वविद्यालय के साथ न करें। इससे क़तई फायदा होने वाला नहीं है। इससे नुक्सान ही होगा। आप आगरा युनिवर्सिटी के विधेयक को तरमीम करके इस शिकायत को दूर कर सकते हैं। जो कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड न हों वह आगरा युनिवर्सिटी से जा कर एफिलियेट हो जायं। दोनों युनिवर्सिटी अपने अपने जुरिस्डिक्शन में बराबर बराबर हिस्सा सँभाल सकती हैं। अगर आगरा युनिवर्सिटी पर ज्यादा भार है तो वह कम किया जा सकता है। या कोई तीसरी युनिवर्सिटी कायम की जा सकती है जिससे यह सारा इन्तजाम आसान हो जाय किन्तु दो टुकड़ों में अगर इसको कर दिया जाय तो कुछ आगरा को दे दिया जाय और कुछ इलाहाबाद को दे दिया जाय तो आपका काम न चलेगा, बल्कि और भी बिगड़ जायेगा।

एक बात का अनुभव मुझे स्वयं है। जब मैं विद्यार्थी था तो उस जमाने में वीमन कालेज इलाहाबाद से जो कि पहले से ही अलग है वहां से लड़कियों की शिकायत वायस

चांसलर के पास आयी कि हमको हिस्ट्री और पालिटिक्स की शिक्षा उचित ढंग से नहीं मिलती है। डाक्टर बेणी प्रसाद जैसे आदमी वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे लड़कियां क्यों न फायदा उठायें। नतीजा यह हुआ कि उन लड़कियों ने इतना शोर किया कि वाइस-चांसलर को यह ऐक्सेप्शन करना पड़ा कि हिस्ट्री और पालिटिक्स के लिये पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की लड़कियां वहां बैठा करें। अब ज्योंही इस विधेयक के स्वीकृत होते ही इन एसोशियेटेड कालेजेज के लड़कों को यदि यह मालूम हुआ कि उन्हें भी सरकार ने युनिवर्सिटी जैसे शिक्षा देने की जिम्मेदारी ली है तो उनका इन्तजाम आप को ही करना होगा क्योंकि इन कालेजेज की भी आप को ही ग्रांट देनी होगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप का पैदा किया हुआ बच्चा किसी दूसरे की गोद में जाने वाला नहीं है आपको ही उसकी खिलाई पिलाई करनी होगी। लेकिन अगर यह बच्चा, चीखा चिल्लाया और आप उसकी भूख न मिटा सके तो उसके दफनाने के लिये भी आप को ही जाना होगा और यह मुनासिब काम न होगा। श्रीमन्, इसलिये मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भवन के सामने मैं जिस भावना को रख रहा हूं वह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जानता हूं कि इससे क्या दुख और मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह एसोशियेटेड कालेजेज का जो सिलसिला है आप उसको जारी न करें।

इसके अतिरिक्त युनिवर्सिटी के सिलसिले में एक विजिटेशन का भी प्रोपोजीशन रक्खा गया है। ओरीजिनल ऐक्ट की धारा ८ के अनुसार सरकार को यह अधिकार था कि वह युनिवर्सिटी के कामों के निरीक्षण के लिये एक बाडी बिठायें। एक बात जो इस विधेयक में रखी गयी है वह यह कि पहले जो इन्क्वायरी का तरीका था और अब जो रक्खा गया है उसमें एक बड़ा भारी अंतर कर दिया गया है। पहले जो तरीका इंक्वायरी का था उसको मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं —

"The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University. The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to be represented thereat."

अब इस सिलसिले में जो फर्क आता है वह परिवर्तित धारा में निम्न प्रकार से स्पष्ट है—

"(2) The State Government shall communicate to the Court and to the Executive Council its views with reference to the results of any such inspection or inquiry, and shall, after ascertaining the opinion of the Court and the Executive Council thereon, advise the University upon the action to be taken."

लेकिन अब नये बिल में यह इस प्रकार से रक्खा गया है—

"(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon."

उपर्युक्त नियमों को देखा जाता है तो यह मालूम होता है कि पहले कानून के अन्तर्गत सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह इंसपेक्शन की आख्या को एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट के पास भेजेगी और अपनी बातों को उस समय तक नहीं कहेगी जब तक कि कोर्ट

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय सरकार के पास न आ जाय । उसके बाद वाइस चांसलर को यह लिख कर भेजा जायगा कि गवर्नमेंट क्या महसूस करती है । लेकिन अब इस विधेयक के द्वारा यह हो गया है कि यदि सरकार पसन्द करे तो सीधे सीधे वाइस चांसलर की इन्क्वायरी के ऊपर अपनी मंशा लिखकर भेजेगी । क्योंकि इसमें "मे" शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि इसके भेजने की सरकार पर कोई जिम्मेदारी भी है । वह तो केवल इंक्वायरी करा लेगी अब इंक्वायरी के रिजल्ट को वह युनिवर्सिटी को भेजे या न भेजे, उसको बताये या न बताये, अब बड़े-बड़े विद्वान् को माननीय मंत्री जी वहां लायेंगे और उनको वाइस चांसलर की गद्दी पर बिठायेंगे लेकिन उसके बाद सरकार यह अधिकार अपने हाथ में ले रही है उसके कार्यों के सम्बन्ध में इंक्वायरी कराके उसको बताये या न बताये । यह कहां तक मुनासिब है स्वयं मंत्री जी समझें । यदि हम एक विद्वद्जन के प्रति इस प्रकार की कोई भावना प्रदर्शित करते हैं तो उचित है या अनुचित उसे मैं "अनादर" नहीं कहना चाहता हूं । परन्तु यह तो अवश्य कहूंगा कि हम अपने देश के उन विद्वत्जनों को लाकर इस सिंहासन पर बैठावेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख हैं तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव निहायत नामुनासिब होगा । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके बिल की इस कमी को पूरा करें ।

श्रीमन्, जहां तक वाइस चांसलर की तनख्वाह की बात है वह निश्चित तो रख दी गयी है पर उनके सम्बन्ध में कोई दूसरी बात निश्चित नहीं है । मैं भी वाइस चांसलर हो सकता हूं अगर एलेक्ट हो जाऊं । एक्जीक्युटिव कौंसिल अगर तीन नामों में से एक नाम मेरा भेज दे या एक दम से मेरा ही नाम आ जाय तो मुझे भी वही दो हजार रुपये तनख्वाह मिलेगी । लेकिन वाइस चांसलर की एकेडेमिक क्वालिफिकेशन कितनी होगी आदि के सम्बन्ध में बिल शांत है । मैं नहीं समझता कि इस बिल में इस चीज को क्यों छोड़ दिया गया है । मैं जानता हूं कि इसी मूथम कमेटी ने डीन के सेलेक्शन के सिलसिले में एक तरीका दे रखा है कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा वह डीन हो जायगा । इसी तरह से यह भी रखा जा सकता था कि जो सीनियर मोस्ट डीन होता वही वाइस चांसलर भी हो जायगा, यह तो मानी हुयी बात है कि वाइस चांसलर की तनख्वाह स्टेट्यूट से तय हो सकती थी । हम उसको वैसे ही छोड़ देते । मुझे विश्वास है कि किसी बी०ए० पास व्यक्ति को इलाहाबाद युनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का सौभाग्य मिलने वाला नहीं है । लेकिन यह स्पष्ट बात है कि जिनकी तनख्वाह निश्चित हो उनकी क्वालिफिकेशन निश्चित न करना एक अनियमित सी बात मालूम होती है, अनोखी सी बात मालूम होती है ।

अब श्रीमन्, टीचर्स के सम्बन्ध में एक चीज आयी कि जो टीचर्स वहां पर हैं वे खराब हैं । आखिर वे खराब क्यों हैं ? वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल कोर्ट ने फैसला किया था कि इनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये, क्योंकि उसने देखा कि इतनी कम तनख्वाह पर रह कर कोई भला आदमी काम नहीं कर सकता है । इलाहाबाद युनिवर्सिटी के जितने फर्स्ट क्लास स्टुडेंट्स हैं सब के सब सेक्रेटेरियट और गवर्नमेंट आफ इंडिया में जाकर बैठ गये जो सेकेंड क्लास स्टुडेंट्स हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं या टीचरी लाइन में जाने लगे हैं और वे बेचारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरार होकर बैठ जायेंगे । मेरे कई मित्रों ने बतलाया कि पार्टी पोलिटिक्स की वजह से बहुत से वहां के टीचर्स ज्यादा तनख्वाह पर दूसरी जगह भी चले गये । मेरे माननीय मित्र श्री राम नरेश जी शुक्ल ने शायद यह कहा था । लेकिन एक मौका ऐसा था कि डाइरेक्टर आफ फिजिकल लेबोरेटरीज गवर्नमेंट आफ इंडिया के बजाय इलाहाबाद युनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना लोग अधिक पसन्द करते थे । इसका प्रमाण यह है कि डाक्टर सर शफात अहमद खां हेड आफ दि डिपार्टमेंट हिस्ट्री के थे जिनको वाइसचांसलर से अधिक तनख्वाह मिलती थी। वह इसलिये कि उनमें इतनी योग्यता थी। इसी तरह से डाक्टर धार, डाक्टर मेघनाथ शाहा, डाक्टर त्रिपाठी आदि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में रह चुके हैं जिनके पुराने अनुभव की छाप उस पर है और जिनके अनुभव के अन्तर्गत यह विश्व विद्यालय फूलाफला है और अपने

नाम का प्रदर्शन किया। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि जो लड़कों के साथ डील करने के लिये माननीय मंत्री जी ने आर्डिनेंस बनाने का अधिकार अपने हाथ में लिया है, तो लड़के खराब ही नहीं हैं। श्री राम नरेश जी ने कहा कि वे बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। जब मैं विद्यार्थी था तो उस किसी जमाने में मेरे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि मैं मिसगाइडेड हूं। उस वक्त अगर डाक्टर झा के बारे में कोई विद्यार्थी कुछ कहता था तो मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। उस वक्त राम नरेश जी भी मेरे साथ थे और श्री नारायणदत्त जी भी मेरे साथ थे। उस वक्त हम लोगों ने कई जनाजे भी निकाले थे। लेकिन प्रश्न यह है कि खराबियों के एकत्रित हो जाने से क्या सिर्फ धमकी से वह चीज ठीक हो जायगी जो लड़कों के जीवन के सम्बन्ध में, उनके खेल-कूद के सम्बन्ध में, उनकी पढ़ाई के सम्बन्ध में, उनके खाने के सम्बन्ध में जो सिफारिशें मूथम कमेटी ने की हैं उससे ज्यादा मैं सरकार से सिफारिश नहीं कर सकता हूं। यदि उस सिफारिश के बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई स्पष्ट असर नहीं हो, उसके बावजूद भी इस बिल में सिर्फ एक ही धारा से आर्डिनेंस बनाने का अधिकार लेकर विद्यार्थी को रिमूव करने का ही अधिकार लेना सरकार ने उचित समझा तो मेरा निवेदन है कि न तो मेरी जिव्हा में इतनी शक्ति है और न मेरी बुद्धि में इतनी शक्ति है कि अपनी बात को समझा सकूं। श्रीमन्, मैं अन्त में आपकी आज्ञा से २ मिनट और लूंगा और तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मंत्री जी की इस विषय में बड़ी जिम्मेदारी है जिसको वह अपने ऊपर ले रहे हैं, उन की विश्वविद्यालय को ठीक करने की जिम्मेदारी है, उस हाथी को उठाने की जिम्मेदारी है जो गिर चुका है पर यदि ऐसा हो तो उस को उठाने के लिये महान् शक्ति की आवश्यकता है क्योंकि उसको उठाने में अनेक विचारों का संघर्ष होगा और बहुत से पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला करना होगा। उनको न केवल इस विश्वविद्यालय को उठाना ही है बल्कि उनको इस उठती हुयी नयी संस्था को नया कलेवर पहनाना होगा। किसी वाइस चांसलर को दे देने से ही आपका काम पूरा नहीं हो जाता, हम और आप तथा वाइस चांसलर जो कुछ करेगा उसके काम की विवेचना जनमत करेगा, पता करने के लिये कि हम विश्वविद्यालय को किस ओर ले जाते हैं और फिर सब कहेंगे कि माननीय मंत्री जी और सरकार द्वारा दिया हुआ वाइस चांसलर ऐसा निकला वैसा निकला। यह एक बड़ा खतरा है जिसकी तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि भगवान हमारे मंत्री जी को ऐसी शक्ति देगा कि जिससे वह इस बड़े काम को एक छोटा सा विधेयक लाकर पूरा कर सकेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक उपस्थित हुआ है उसके सम्बन्ध में हमारा काम कुछ हल्का भी हुआ है और कुछ गहन भी हुआ है। हल्का इसलिये हुआ है कि हमारी विचारधारा का बहुत कुछ प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों ने भी किया है, गहन इसलिये हुआ है कि जब हमारी विचारधारा के प्रतिकूल मार्ग कुछ दूसरा अपनाया जाता है। जब युनिवर्सिटी से संबंधित विधेयक पर विचार हो तो मैं यह अवश्य निवेदन करूंगा कि हम लोग अपने मस्तिष्क को इस ढंग से सुयोजित और सुनियंत्रित रखें ताकि जो बातें आप की सेवा में कही जायं उन पर शांति से विचार हो सके। यह विधेयक जो आया है, अगर इसको एक वाक्य में कहा जाय तो यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही घातक और बहुत ही प्रतिक्रियावादी और एक प्रकार से सारी सत्ता को, सारी शक्ति को एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रित करने का बिल है और उसके एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रित होने से सरकार के हाथ में नियंत्रित होने के अर्थ हैं। कुछ बातें तो मूथम कमेटी रिपोर्ट के बारे में हुयीं और बहुत सी बातें राधाकृष्णन कमेटी के बारे में कही गयीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बड़े प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन महिमा और परम्पराओं की बात करते हैं तो हम तनिक तक्षशिला और नालंदा की ओर भी ध्यान दें। हमारे एक बुजुर्ग सदस्य ने यहां नालंदा के विषय में कुछ कहा था और उन्होंने बताया था कि उस समय विद्यादान की परिपाटी क्या थी और उस समय विद्यार्थियों के रहन-सहन आदि की सारी जिम्मेदारी कुलपति पर थी और इस सरकार

[श्री राजनारायण]

की भी जो पुस्तिकायें समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं उनको भी मंत्री महोदय अपने सामने रखें तो वह भी उसी नतीजे पर पहुंचेगे जिस पर हम पहुंचे हुए हैं। यदि कोई शिष्य बीमार हो जाता था तो उसका गुरु उसकी सेवाशुश्रूषा के लिये तैयार रहता था और यह गुरु के लिये यह अपवित्र माना जाता था यदि वह अपने शिष्य की कठिनाई के समय में सहयोगी के रूप में प्रस्तुत न रहे। यह विधेयक हमारी जो ऊंची शिक्षा है उससे संबंधित है। हमें देखना यह है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या और हम क्यों शिक्षा देना चाहते हैं इसके लिये श्रीमन्, जो रिपोर्ट आफ दि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन है उसी की कुछ लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उसको हिन्दी कर दीजियेगा।

श्री राजनारायण—जी हां, मैं कर दूंगा। वे पंक्तियां ये हैं—

"Great as were the changes that had taken place in the political and economic conditions of Indian society in the years that preceded the transfer of power on August 15, 1947, considerable as was the progress in education during that period, they are less great than the changes that have been crowded into these few months of freedom. The academic problem has assumed new shapes. We have now a wider conception of the duties and responsibilities of Universities. They have to provide leadership in politics and administration, the professions, industry and commerce. They have to meet the increasing demand for every type of higher education, literary and scientific, technical and professional. They must enable the country to attain in as short a time as possible, freedom from want, disease and ignorance by the application and development of scientific and technical knowledge"

श्रीमन्, यदि शिक्षा का उद्देश्य जो कि माननीय राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट में वर्णन किया गया है उसको देखा जाय तो उन्होंने बताया कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कल्चरल हो, इसमें उच्चता को प्राप्त करना है, विकास को प्राप्त करना है और जब से हम स्वतंत्र हुए हैं १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद से, इधर कुछ चन्द महीनों से जिस तरह की घटनायें घटी हैं और उन घटनाओं के समकक्ष हम विद्यादान् करके मुल्क के विद्यार्थियों को कर्तव्यवान् और निष्ठावान् बना पायेंगे या नहीं। अगर वे देखेंगे तो उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर हम पहुंचे हैं कि हमें शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्ति पैदा करना है, ऐसे नेतृत्व को उन्हें प्रदान करना है जो हमारे देश की उच्च परम्परा, उच्च गौरव और उच्च संस्कृति और मर्यादा की रक्षा करे और व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के आत्मिक और सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करे। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है, यदि व्यक्ति अपने को समष्टि में मिला करके समाज के उत्थान के लिये अग्रसर नहीं होता और यदि विकास के पथ पर अग्रसर होने से शिक्षा रोकती है तो हमको मानना पड़ेगा कि हम यूनिवर्सिटी के जरिये शिक्षा को समुचित तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। यह हम सबका उद्देश्य है कि हम शिक्षा के जरिये और क्योंकि यूनिवर्सिटी शिक्षा उच्चतम शिक्षा है उसके जरिये यदि हम अपने विद्यार्थियों, अपने देश के नवजवानों, देश के नवयुवकों में वह प्रेरणा और वह ज्योति प्रज्वल्लित करना चाहते हैं जिससे कि जो समाज की गरीबी है, समाज में जो बेकारी और जो अशिक्षा है, जो उसका शोषण और दोहन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि किस तरह की शिक्षा हो रही है, किस तरह से वहां पर यह मान्यतायें प्राप्त हो रही हैं जिसको लेकर विद्यार्थी अग्रसर हों। इसके लिये श्रीमन्, मैं कुछ समय जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे यहां जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उनके विधान में क्या खूबियां हैं उनको मैं थोड़े में तुलनात्मक दृष्टिकोण से माननीय मंत्री जी और सदन के सम्मुख विचारार्थ

रखना चाहता हूं। श्रीमन्, मेरी एक मुसीबत और हो गयी थी। श्रीमन्, यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्षेत्र की एक सभा बन गयी थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा और वह है काशी विश्वविद्यालय जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से हमेशा गौरवान्वित होती रहेगी। श्रीमन्, सन् १९१५ में जब पंडित मदनमोहन मालवीय थे और काशी विश्वविद्यालय का विधान बना और वह विधान कैसा था थोड़े में इस सदन में उसी विधान को रखना चाहता हूं और उसके बाद जो विधेयक बनते चले गये उन विधेयकों में करटेलमेंट हुआ कितना फ्रीडम का, आजादी का जिसको एक शब्द में जनतंत्र कह दिया जाता है, या एक शब्द में जिसको सत्ता का विकेंद्रीयकरण कह दिया जाता है, एक शब्द में नीचे से जिम्मेदारी को महसूस करते हुए चलने की बात कही जाती है उसको मैं रखना चाहता हूं। उसको मैं रोकना चाहता हूं, श्रीमन्, १९१५ में जब बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना तो जो कोर्ट था वह सुप्रीम बारी था और उस कोर्ट के द्वारा चुनाव होता था वाइस चांसलर का। एक्जीक्यूटिव कौंसिल का चुनाव कोर्ट के द्वारा होता था और कोर्ट का कोई रेजोल्यूशन एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर वाइंडिंग होता था। एक्जीक्यूटिव कौंसिल यदि किसी के प्रति जिम्मेदार होती थी तो वह कोर्ट के प्रति होती थी, वह किसी एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार नहीं होती थी। मगर इसके बाद, श्रीमन्, यदि देखा जाय तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२१ में आया और फिर १९५४ में उसका अमेंडमेंट आ रहा है जिसका तो हम विचार करेंगे ही, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२६ में आया, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९४८ में आया और लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट तो आ ही चुका है, उसके बारे में चर्चा भी यहां हुआ, मगर १९२१ में जो ऐक्ट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसमें--

Ministers,Chief Justice, Bishop, Vice-Chancellor of other Universities 6 Directors or Inspectors of Government Departments, Principals and Wardens as well as all members of Academic and Executive Council became members. 5 Members of the Legislature were also included. Over and above, that 15 members should be appointed by the Chancellor.

श्रीमन्, आप देखें कि वहां के कोर्ट का कैसे निर्माण होता था। काशी की यूनिवर्सिटी भी अच्छी थी उसमें भी चुनाव होता था नामिनेशन नहीं होता था। मगर अब इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में नामिनेशन होने लगा, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में एप्वाइंटमेंट्स होने लगे औरइस तरीके से मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं कि यहां पर शायद कोई भी नहीं कह सकता कि पंडित मदन मोहन मालवीय कोई ऐसी विचारधारा के मानने वाले थे या उसके प्रतीक थे कि जो इस सदन के सदस्यों को मान्य न हो, राज नारायण के बारे में तो शायद कह दें लेकिन पं० मदन मोहन मालवीय के बारे में नहीं कह सकते। कोई भी शायद यह न कह सके कि वह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दिलाना नहीं चाहते थे। उस समय में आपने जो काशी विश्वविद्यालय का विधेयक बनाया वह लिबरल और डेमोक्रेटिक था, वह नीचे से जिम्मेदारी को महसूस करके आगे चलने वाला विधान था। सरकार उस विधान को नमूना मान कर आगे क्यों नहीं चलती, वह एक उदाहरण आपके सामने मौजूद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चर्चा हुई कि वहां के प्रोफेसर में दलबन्दी है। हमारे मंत्री महोदय एक बार कोर्ट की मीटिंग में गये और वहां से आने के बाद उनके दिमाग में यह आ गया कि अगर इस विधेयक में कुछ त्रुटि भी थी तो वह भी अब नहीं रहेगी और उन्होंने यह समझ लिया कि इस विधेयक को शीघ्र ही पास कराना जरूरी है और हितकर है। मैं इसको बहुत जोरों के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक यहां प्रस्तुत है उसमें चांसलर का जो पद है, जो ड्यूटीज हैं, वाइस चांसलर का जो पद है, उसकी जो ड्यूटीज हैं, कोर्ट का जो चुनाव है, उसका संगठन है, एक्जीक्यूटिव कौंसिल का जो चुनाव है, उसका जो संगठन है, ट्रेजरी का जो चुनाव है, जो संगठन है, डीन आफ स्टूडेंट्स का जो चुनाव है, और संगठन है और इसी तरह से कमेटी आफ रेफ्रेंस जो है, कमेटी आफ सेलेक्शन जो है, इन तमाम के बारे में फंडामेंटल तरीके से हमारा विरोध है और अगर हमारी राय का कुछ वजन रखा जाय तो मैं यह चाहूंगा कि इस विधेयक को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। इस पर विचार

[श्री राजनारायण]

करने के लिये इसको इस सदन में नहीं आना चाहिये था क्योंकि इसने हमारी सारी मान्यताओं पर कुठाराघात किया है, इसने हमारी सारी जनतांत्रिक परम्पराओं पर कुठाराघात किया है, प्राचीन संस्कृति और हमारे देश की महिमा पर कुठाराघात किया है, किसी भी मानें में किसी भी दृष्टिकोण से इस, जनतंत्र सरकार का यह विधेयक लाना ही अनुचित है, सदन के सदस्यों का इस पर विचार व्यक्त करना भी मैं समझता हूं कि एक तरह से अनुचित है क्योंकि जब आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक चल रहा था उस समय मैंने विनम्र निवेदन किया था और विनम्र निवेदन करते हुए कहा था कि वाइसचांसलर कैसा होना चाहिये और उसके क्या कर्त्तव्य होते हैं। बहुगुणा जी ने ठीक ही कहा कि वाइसचांसलर कैसा व्यक्ति हो, उसके क्या क्या कर्त्तव्य हों, इसके बारे में माननीय मंत्री जी और उनका सारा का सारा विधेयक गोल है। मैंने कहा था कि वाइस चांसलर—

The Vice-Chancellor is the Chief academic and Executive Officer of the University and much of his efficiency depends on his capacity to conduct its affairs with strength ability and integrity.

वाइसचांसलर एक ऐसा प्रधान होता है, उसके अन्दर वह योग्यता और क्षमता होनी चाहिये जिसके कि वह युनिवर्सिटी के सामान्य कामों को खूबी के साथ ले चले।

For a person to discharge Vice-Chancellor's duties properly a combination of certain qualities is needed. Besides probity, impartiality, keen sense of responsibility wide human sympathies, initiative and drive, he must have the capacity to inspire students and teachers and command their confidence, to promote social harmony and fellow feeling, and to cultivate an atmosphere of creative thought in the University."

वाइसचांसलर को जहां निष्पक्ष होना चाहिये, जहां उसको कर्तव्य पालन में तत्पर होना चाहिये, जहां उसमें मानव सहानुभूति होनी चाहिये उसी के साथ साथ वाइसचांसलर में वे गुण भी होने चाहियें जो विद्यार्थियों में कांफिडेंस पैदा कर सकें, जो कि विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करके जो शिक्षा विश्वविद्यालय उनको समाज के उत्थान के लिये देना चाहता है उसके लिये वह उनको इंस्पिरेशन दे सके क्योंकि जो हमको शिक्षा देने वाले हैं, जिनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है, वे हमारी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानते हों।

इसी के साथ-साथ मैंने उस वक्त यह भी निवेदन किया था कि वाइसचांसलर ऐसा होना चाहिये जो आपस के मतभेद जो होते हैं उन मतभेदों को दूर करना जानता हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि साल भर के बाद जब फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विधेयक आया तो माननीय मंत्री जी हमारे उन सुझावों को भूल गये। हमने जो सेवायें अर्पित की थीं उनको भूल गये और एकदम से ऐसा विधेयक ले आये जो कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट से भी अगर देखा जाय तो कुछ मानों में नीचे जाता है, पीछे जाता है और शिक्षा के प्रसार में बिलकुल पीछे रह जाता है। माननीय मंत्री और रामनरेश शुक्ल जी ने इस सदन में अपने को विधेयक की प्रशंसात्मक और आलोचनात्मक दोनों परिस्थितियों में रखा और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार वह इस विधेयक के जरिये गांधियन फिलासफी और सोशलिस्ट फिलासफी का प्रचार करायेंगे? श्रीमन्, मैं रामनरेश जी और बहुगुणा जी से पूछना चाहता हूं कि यह न समझा जाय कि मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं बल्कि उन सबसे पूछना चाहता हूं कि जो अपने को एजूकेटेड और इंटेलेक्चुअल कहते हैं और दूसरों को हाफ एजूकेटेड और अनएजुकेटेड की श्रेणी में रखते हैं, या जो कि एथारिटेटिव तरीके से अपनी बात रखते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं उस समय काशी विश्वविद्यालय के विधान से यह निष्कर्ष निकालना चाहता था कि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता चला जा रहा है त्यों-त्यों शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला जा रहा है और इसी के लिये, इसी निष्कर्ष के लिये हमने १९१५ में जो काशी विश्वविद्यालय का विधान बनाया था उसमें चर्चा की थी और मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर पुनः आकर्षित करूंगा कि जिस समय विद्यार्थियों के हृदय में आत्म सम्मान की भावना को प्रेषित करना था और एक साथ स्वस्थ और सुन्दर नागरिक पैदा करने का उद्देश्य यूनिवर्सिटी का माना गया था, उसी के साथ-साथ अपनी परतंत्रता की बेड़ी को तोड़कर विदेशी हुकूमत का खात्मा करके स्वतंत्र भारत का निर्माण कार्य विद्यार्थियों के सुपुर्द किया गया था। इस भावना से ओत प्रोत होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक विधान की रचना करायी थी।

अब आप देखें कि १९१५ के विधान से जिसमें कोर्ट सुप्रीम गवर्निंग बोर्ड माना गया था। वही एक्जीक्यूटिव कमेटी चुनौती थी जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल कही जाती थी और कोर्ट के द्वारा ही रजिस्ट्रार का चुनाव होता था और कोर्ट के द्वारा ही और जितनी कमेटियां होती थीं वह सब बनती थीं, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे फाइनेन्स कमेटी हो और चाहे रजिस्ट्रार हो, सबके ऊपर कोर्ट की मुहर लगना बहुत जरूरी माना गया था और कोर्ट के चुनाव में भी हर तरह के अध्यापकों का, डीनों का और सब का प्रतिनिधित्व होता था। नामनेशन की गंध हीं तक नहीं थी, नियुक्ति की गंध थी मगर इसके बाद १९३० में इलाहाबाद का प्रश्न आया और वहां नामीनेशन की गंध आयी और १९२६ में सरकार के हस्तक्षेप की गंध आयी और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया यह गंध बढ़ती गयी। १९४८ में रुड़की यूनिवर्सिटी को देखिये कि वहां तो सरकार का हस्तक्षेप चरम सीमा को पहुंच चुका है अब आगे सम्मानित सदस्य देखें कि हम १९२१ से भी पीछे जा रहे हैं, १९२६ से भी पीछे जा रहे हैं। १९२१ में जो अधिकार प्राप्त थे कोर्ट को आज वह उसको नहीं रह गये हैं।

आज हमारे इस विधेयक के जरिये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शीर्षासन कर रही है और जो विधान पहले कोर्ट की प्राथमिकता का और प्रधानता का माना गया था अब विधेयक के जरिये, संशोधन के जरिये यहां पर हमारे सामने चांसलर महोदय जो गवर्नर महोदय हैं और जो सरकार की इच्छा को प्रतिबिम्बित करते रहते हैं, उनके हाथ में सारी सुप्रीमेसी चली जा रही है वह सब उलट गया। जिनका जीवन विद्यार्थियों से संबंधित था जो विद्यार्थियों की सामाजिक जीवन-चर्या से जानकारी रखते हों, जो जितने ही उनमें घुलते मिलते हों, जो उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हों, उनको पहिचानते हों, आज उनके हाथ में शक्ति नहीं रह जा रही है। आज शक्ति एक व्यक्ति के हाथ चली जा रही है जो सरकार की भावना को प्रतिबिंबित करता रहे यह क्यों? हम इस दोष जितना सरकार पर देते हैं श्रीमन्, उस से ज्यादा हम आज के उन बौद्धिक तबके के लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के संशोधन विधेयक को देख कर अपनी चेतना को जाग्रत नहीं किया। उनको समझ लेना चाहिये था और गति-विधि जिस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में सरकार चला रही है उसको देख कर उनको समझ लेना चाहिये कि यह विधेयक आया कैसे आज इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों को, हमारे अमरेशचन्द्र पांडेय और दूसरे जिन लोगों को इससे आश्चर्य हुआ और जिन्होंने भी इस बिल को प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी बतलाया, उनसे भी निवेदन करके जानना चाहता हूं कि आखिर इसी विधेयक को प्रतिक्रियावादिता की संज्ञा देने की कृपा उन्होंने क्यों की? जब पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा पंचों के अधिकार छीने जा रहे थे और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के जरिये म्युनिसिपल बोर्ड के प्रतिनिधियों के अधिकार छीने जा रहे थे उस समय भी सरकार की यही मनोवृत्ति थी, उस मनोवृत्ति का विरोध क्यों नहीं किया गया? उसी मनोवृत्ति को आज शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी अच्छी तरह से रख रहे हैं और उसके लिये मैं उनकी तारीफ करूंगा। जिस तरह से हिटलर ने अपनी नीति कार्यान्वित करने के पहले ही मीन-कैम्फ पुस्तक निकाल दी और अपने

[श्री राजनारायण]

प्रोग्राम और कार्यक्रम को पहले ही छपा दिया कि जो उचित समझे वह उसे मानकर आगे आये, इसी प्रकार श्री हरगोविंद सिंह जी ने आज किया । क्योंकि जो सरकार हर समय सेंट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति रखे, जो जीवन के रह क्षेत्र पर काबू पाने की कोशिश करे, जिसके प्रत्येक कार्यकलाप के कारण जनता के जीवन सरिता का स्रोत सूख जाय और जन-जीवन के दीप शिखा को ज्योति बुझ जाय, क्या जो लोग जब ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसा ही विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद है, तो वह गलती पर हैं ? हम चाहेंगे कि आज विद्वत्-वर्ग इस प्रांत का उठे और सरकार को मजबूर करे कि ६ महीने के अन्दर-अन्दर, ४ महीने के अन्दर-अन्दर, अगर यह विधेयक कानून की शक्ल में आ जाय तो इसे वापस लेने को बाध्य हो। श्रीमन्, इसी सदन में जब जन-मत जाग्रत हुआ तो आपने देखा कि माननीय राजस्वमंत्री ने मूल विधेयक में सरकारी संशोधन के जरिये परिवर्तन कराया । मैं चाहता हूं कि जो इधर समय मिल रहा है उसमें इस तरीके का वातावरण तैयार हो, इस तरीके की परिस्थिति परिपक्व हो कि माननीय शिक्षा मंत्री इस विधेयक में ऐसे संशोधन को लायें, इसी सरकार की ओर लायें जोकि सही माने में आज शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सके। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि आज बहुत से सवाल आटोनामी पर उठे कि यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता अक्षुण् रहनी चाहिये और सरकारी पक्ष के जो लोग हैं वह कहते हैं कि सरकार कहां शिक्षा में हस्तक्षेप कर रही है ?

मैं श्रीमन्, फिर निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनसे कि वह यह समझे कि एकेडेमिक फ्रीडम के मानी क्या होते हैं। एकेडेमिक फ्रीडम इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद कहां रह सकती है ? अगर कोई कहे कि इसमें जो लिखा है वही एकेडेमिक फ्रीडम है, तो मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। स्वतंत्र तो सरकार तभी हो सकती है या जनता स्वतंत्र तभी हो सकती है जब जनता में आर्थिक स्वतंत्रता हो, जब आर्थिक विषमता का नाश हो। विद्वत समाज इस विचारधारा को अपना चुका है कि इकोनामिक फैक्टर जो होता है वह मूलतः दूसरे फैक्टर्स पर प्रभाव डाला करता है। आज राजनीति, समाज नीति, शिक्षा नीति इनको अलग-अलग टुकड़ों में बांट कर देखना यह बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं है । इसी के लिये श्रीमन, मूथम कमेटी की रिपोर्ट भी देखी जाय और जितने विद्वान् हैं जिन्होंने सम्मतियां व्यक्त की हैं, अगर उनके मत को लिया जाय और अगर न भी व्यक्त किये हों तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह किसी समय एक ऐसे दर्शन के पक्ष में रहे हैं जिसमें इकोनामिक फैक्टर ही आधारशिला मानी गयी है, जिसपर दूसरी मान्यतायें बिखरती चलती हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इस सरकार की गतिविधि को कौन नियंत्रित कर रहा है। देखने में सब लोग समझते हैं कि बालिग मताधिकार से चुनाव हो गया। इसलिये जनता की आकांक्षा की पूर्ति होती रहती है, नहीं। जहां कैपिटलिस्ट चाहता है वहां पर वह सरकार को धर दबाता है। दुनिया के इतिहास में कभी भी कैपिटलिस्ट ने अपने हाथ में हुकूमत की बागडोर ले कर स्वतः हुकूमत नहीं की है। वह तो अपनी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों को ही भजता रहा है। तो जहां यह सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है, आप उसमें यह कहते हैं कि हम अर्थ व्यवस्था पर सरकारी पंजा रखना चाहते हैं। हम तो मैनेजमेंट में कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। एकेडेमिक फ्रीडम है, जिस तरह से चाहे शिक्षक शिक्षा दें यह थोथी दलीलें हैं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसी थोथी दलीलों से काम नहीं चलेगा। वह इस बात को समझायेंगे कि जब यूनिवर्सिटी की आर्थिक व्यवस्था पर सरकार का कब्जा है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति में, रेफ्रेंस कमेटी की नियुक्त में सरकार का हाथ है और हमारे चांसलर के जरिये सरकार जो तरीका चाहे अपनाये, तो कहां की स्वतंत्रता रह जायगी? अगर वहां कोई प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति जो स्वतंत्रता के साथ मानवता के पुजारी के नाते अपनी नीति पर अग्रसर होना चाहेगा तो उसका स्थान नहीं रह जायगा। वहां पर जो सरकार का कृपापात्र हो, सरकार के इशारे पर चलने वाला हो, उसको झुकना पड़ेगा सरकार से पैसा लेने के लालच में, सरकार के जरिये जो अड़ंगे बाजियां लगायी जा रही हैं उनके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। फिर अकेडेमिक फ्रीडम रह नहीं जायगी।

इसलिये मैं निवेदन कर दूं, माननीय रामनरेश शुक्ल चंचल हो रहे हैं, सदन में ह्विप की ड्यूटी होती हैं। लेकिन भाषण में सुनें, हमारे माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहा कि किस बात का अध्ययन सरकार करायेगी उसकी गारंटी कौन है कि इस विभाग ने ठीक किया, उन्होंने इस विधेयक में यह जानने की कोशिश की। माननीय रामनरेश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार की क्या नीति है। क्या उनकी सरकार गांधीवादी नीति पर चल रही है। मुझे खुशी है कि माननीय हरगोविंद सिंह शिक्षा मंत्री ने अपने पहले भाषण में इस सदन में कहा था कि इस सरकार की शिक्षा नीति कोई नहीं रह गयी है और मुझे अब भी खुशी है। मैंने उनके बारह प्वाइंट्स नोट कर रखे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने इस विधेयक को पेश करके पहला वाक्य यह कहा था कि यह ऐसा विधेयक है जो हमारी जिन्दगी की रोजाना की बातों से संबंधित नहीं है, ला एंड आर्डर का इससे सम्बन्ध नहीं है। मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि यही ऐसा विधेयक है जो हमारे जीवन के प्रत्येक अंग को छूता है। यही एक ऐसा विधेयक है जो हमारे मस्तिष्क को बना कर, ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था करके, जिस तरह का सामाजिक संगठन कराना चाहेगा करायेगा। अगर यह विधेयक ऐसा नहीं है तो कौन सा ऐसा विधेयक है जो जीवन के प्रत्येक अंग को छू सकता है। इससे बढ़कर और कौन सा विधेयक हो सकता है जो जीवन के हर एक अंग प्रत्यंग को उठाये, जो हमारे मस्तिष्क को बनाये, जो हमारे समाज को बनाये और जो हमारे जीवन को स्थायी शांति प्रदान करे, भावी सन्तति को नेतृत्व प्रदान करे।

आज किस तरह की हम व्यवस्था चाहते हैं। अगर हम सही मायने में व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षपाती व्यक्ति इस तरह के विधेयक को लाने की बात कभी नहीं सोच सकता है। मेरा तो यहां तक कहने का दावा है कि आप उसको स्मरण करें कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि मैं वह युग देखना चाहता हूं जिस दिन एक किसान का बेटा प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठेगा, अब वह किसान का बेटा कहां पर बैठेगा? मैं तो इसके भी आगे जाना चाहता हूं और शिक्षा मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि लेनिन साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था 'Every cook must learn how to govern a State' कि हर एक रसोइया को यह जानना चाहिये कि किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है। मार्क्स ने क्या कहा था वह भी उनको स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक परिस्थिति आयेगी जिसमें समाज की इच्छा व्यक्ति की इच्छा होगी, और इन दोनों में कोई भेद नहीं रह जायगा, दोनों की शक्ति एक में मिल जायगी और वह सारा समाज एक कुटुम्ब की तरह से होगा। क्या आज जो शिक्षा प्रणाली हम बनाने जा रहे हैं उससे वह समाज बनेगा जिसकी हम कल्पना करते हैं? उस शिक्षा से क्या समाज बन सकता है कि जिसमें चांसलर महोदय अपने शासन का पंजा युनिवर्सिटी के हर क्षेत्र में गड़ायें हों? वह शिक्षा प्रणाली इस तरह की बनेगी कि जिससे वह समाज नहीं बन सकता है जिसकी तरफ रामनरेश जी शुक्ल इशारा कर रहे थे। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज जो हम समाज को बनाने की बात कर रहे हैं उसके लिये बहुत दिन बीत चुके हैं। हम यहां पर मीठी-मीठी आलोचना कर दें और थोड़ी-थोड़ी आलोचना कर दें और इससे हमारे समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन हो जाय यह तो एक सीधीसादी बात है। मैं श्रीमन्, विवाद विवाद के लिये नहीं करना चाहता हूं, किन्तु मैं तो अधिकारपूर्ण राय जानना चाहता हूं। अभी एक हफ्ता हुआ माननीय गृह मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी का एक लेख अखबारों में प्रकाशित हुआ। श्री सम्पूर्णानन्द जी ने इस बात को साफ किया था कि समाज की प्रमुख स्थिति क्या है। (What is social need of our societies) आज हमारा समाज असंगत है, उस समाज की खामियां किस प्रकार से दूर हों, उन्होंने उसकी तरफ उसमें इशारा किया था। यह सरकार मिक्स इकानामिक को मान चुकी है और उस मिक्स इकानामी के लिये सारे जीवन को उसने मिक्स बना रखा है। एक तरफ तो भाषा

[श्री राजनारायण]

होती है जनतांत्रिक और बातें भी इसी प्रकार की की जाती हैं लेकिन जो काम होता है वह डिक्टेटरशिप का होता है। मैं अपने प्रान्त की शिक्षा व्यवस्था को जब देखता हूं तो उसके विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन का रास्ता आदर्श नहीं है। हम माननीय रामनरेश जी को बतलाना चाहते हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों ने कहा है कि यदि किसी देश के समाज के जीवन का ज्ञान प्राप्त करना हो तो जो वहां पर पहले समय को परिस्थिति रही है उसको देखें तो उसको देखने से सारे समाज को परिस्थिति का ज्ञान हो जायगा। अगर इकनालाजी के अर्थ में इस बात को देखना हो कि रूस और अमेरिका के उत्पादन में क्या अन्तर है और उनके मैथड आफ प्रोडेक्शन का अन्तर देखना हो तो आपको वहां की बहुत सी बातों का ज्ञान करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आज रूस और अमेरिका में जो उत्पादन का तरीका है उसमें तो कोई अन्तर नहीं है किन्तु वहां पर इंडस्ट्री सेंट्रलाइज तरीके पर है। पावर को सेन्ट्रलाइज्ड किया गया है। एक स्थान पर एक आदमी सेंट्रलाइज करता है तो दूसरी जगह सरकार वैसा करती है अब चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो हमको यह सोचना है कि यह सदन किस नीति पर चलने से समाज को उन्नति कर सकता है। हमारा तो स्पष्ट मत है कि आज सदन जब प्रत्येक क्षेत्र से सत्ता केन्द्रीयकरण और नियंत्रण की ओर जा रहा है तो सभी आदमी समझ सकते हैं कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा। जब सत्ता का केन्द्रीयकरण होगा तो हर क्षेत्र में ही केन्द्रीयकरण होगा फिर केवल शिक्षा मंत्री को यह दोष देना नितान्त भूल है कि वे ऐसा विधेयक इलाहाबाद युनिवर्सिटी के बारे में लाकर हमारे समाज की, सारे देश की व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, विद्यामंदिर को चौपट कर रहे हैं।

आज जब माननीय शिक्षा मंत्री जी जब उठेंगे तो अपने जवाब में एक बहुत बड़ी दलील जोर के साथ देंगे कि वहां के अध्यापकों में, वहां के व्यवस्थापकों में, वहां के मैनेजमेंट करने वालों में हद दर्जे की दलगत राजनीति है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहां नहीं है? मेरा तो कहना है कि वहां की दलगत राजनीति में सारे समाज का रिफ्लेक्शन पड़ता है, सारे समाज की छाया पड़ती है और जब सारे समाज में दलगत राजनीति पायी जाती है तो वहां की राजनीति को, वहां की इस प्रकार की स्थिति को किस प्रकार से रोका जा सकता है। चाहे यहां के शिक्षा मंत्री श्री हरगोविंद सिंह जी युनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल को नामिनेट करें, चाहे कोर्ट को नामिनेट करें, चाहे रजिस्ट्रार को नामिनेट करें, चाहे रिफरेंस कमेटी को नामिनेट करें और इसके द्वारा वे चाहें कि वहां की दलगत राजनीति खत्म हो जाय तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन दलगत साधनों से, इस दलगत राजनीति से वह खत्म नहीं हो सकती। यदि वह इस दलगत राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं तो पहले माननीय मंत्री जी अपनी सेंट्रलाइजेशन की भावना को बाहर निकाल कर फेंक दें तभी जाकर वह दूर हो सकेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात कही है तो क्या गलती की जाती है। मैं कहता हूं कि यही तो बुनियादी गलती है, मौलिक गलती है, आज दलगत राजनीति का जमाना है। आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पी०एस०पी० हो या और कोई पार्टी हो किसी भी पार्टी को ऐसे स्थान में नहीं जाना होगा जहां वे अपनी विचारधारा के मुताबिक अपनी नीति के मुताबिक अध्यापकों को प्रभावित करें, उनको प्रमोशन दें, उनका अप्वाइंटमेंट करें अथवा उनको निकाल सकें। लेकिन आज सरकार यही कर रही है और इसी को करने के लिये आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मूथम कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए मैं ज्यादा दूर चला जाना नहीं चाहता केवल एक इशारे से ही कह देना चाहता हूं कि मूथम साहब ने यह साफ कह दिया था—

"Ultimately the University will be what its teachers make it".

जब युनिवर्सिटी वही होगी जो अध्यापक बनायेंगे तो सरकार चाहती है कि अध्यापक वही हों जो सरकार बनाये। सरकार उसको मूल से ही नष्ट करना चाहती है, उसको पनपने नहीं देना चाहती और जितनी भी ताकत वह ले सकती है इस बिल के द्वारा लेकर वह विद्यामंदिर पर अपना खूनी पंजा जमाना चाहती है लेकिन हम उस खूनी पंजे को रोकने के लिये प्राणपण से वचनवद्ध हैं, कर्तव्यनिष्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि :

"All the restrictions on undersirable conduct to be imposed by the University authorities or by teachers themselves."

एक चीज उन्होंने इस सम्बन्ध में कही कि अध्यापकों की ऐक्टीविटीज के ऊपर भी नियंत्रण होगा। कौन सा ऐसा नियंत्रण करने वाला है जो अध्यापकों के कंडक्ट के ऊपर नियंत्रण कर सकेगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अध्यापकों की ऐक्टीविटीज के ऊपर नियंत्रण कर सके। ऐक्टीविटी शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है उसका सम्बन्ध जीवन के सारे कार्यकलापों से है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार की ऐक्टीविटीज के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बिल से अध्यापकों की ऐक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जो मनोवृत्ति झलकती है उससे उनको दूर भगाना चाहिये, तभी समाज का उत्थान होगा, तभी विद्यार्थियों का विकास होगा और तभी समाज उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा।

"We are unable to view with favours the imposition or restrictions on the conduct of teachers by the Executive Authorities."

स्पष्ट मत से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम असमर्थ हैं इसको समझ सकने में कि ऐक्जीक्यूटिव अथारिटीज के ऊपर अनुशासन की भावना फैलायी जाय और अनुशासित लोगों को रखा जाय। जब मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है तो फिर इसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी मीन-मेख निकालने की कृपा क्यों करते हैं? मैं फिर कहता हूं श्रीमन् कि राधा कृष्णन कमीशन ने इसके बारे में क्या कहा है। एक्जीक्यूटिव कमेटी में २० सदस्य होंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल की बात कही जाती है। मैं इस बात को साफ कह देना चहता हूं कि एक्सटर्नल और इंटरनल में पैरिटी का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो यह है कि सारा ट्रेंड जाय इंटरनल मैजारिटी की ओर यहां पर पैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैरिटी लाने से क्या होगा। आत्मविश्वास पैदा करना है अध्यापकों में, आत्मविश्वास पैदा करना है विद्यार्थियों में, आत्मविश्वास पैदा करना है बौद्धिक वर्ग के लोगों में ताकि हमारे ऊपर अनुचित नियंत्रण न हो सके। मगर सरकार अनुचित नियंत्रण करने के लिये, अपने दल की नीति को प्रचारित करने के लिये, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने मन के अनुकूल अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये, अपने ढंग के ट्रेजरार नियुक्त करने के लिये, अपने मन के मुताबिक लोगों को डीन आफ स्टुडेंट्स बनाने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विधेयक में सारी व्यवस्था कर ली है। डीन आफ स्टूडेंट्स की बड़ी चर्चा है, डीन आफ स्टूडेंट्स कौन होगा, उसको कौन चुनेगा और उसका क्या कर्त्तव्य होगा? जो डीन हो उसका चुनाव अगर ऐसा व्यक्ति करे जो सामाजिक जीवन के अनुभव से सम्पन्न हो, जिनको विद्यार्थियों में निष्ठा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जिस डीन आफ स्टूडेन्ट्स में विद्यार्थियों का विश्वास न हो, ऐसे डीन को रख कर ही क्या होगा कि हम उसको एक नियंत्रण की कड़ी में जोड़ दें। इससे तो हम यही समझ पाये हैं कि चांसलर व वाइसचांसलर सरकार के इशारे पर ही चलेंगे और जिनको सरकार चाहेगी उन्हीं की नियुक्ति होगी। अन्त में इतना और कह देना चाहता हूं चूंकि लाल बत्ती जल गयी है कि जो विधेयक इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वह विधेयक किसी भी रूप में किसी युनिवर्सिटी का विधेयक नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई इसको युनिवर्सिटी विधेयक कहता है तो मैं समझता हूं कि सारी जनतांत्रिक मनोभावनाओं को तिलांजलि देकर चलने वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। इसको किसी पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन का

[श्री राजनारायण]

विधेयक कहा जा सकता है, इसको किसी डाकखाने का विधेयक कहा जा सकता है। अगर अध्यापकों का विश्वास न प्राप्त हो, अगर विद्यार्थियों का विश्वास प्राप्त न हो तो फिर इसको क्या कहा जा सकता है। यह कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के जिन ६ मेम्बरों का चुनाव होगा उसमें अध्यापक लोग अपना मत नहीं दे सकते हैं। आखिर क्यों अपना मत नहीं दे सकते हैं? अध्यापकों को अपना वोट देना चाहिये, उसके लिये कोई नियंत्रण न रहना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी भूल जायं उन परिस्थितियों को, भूल जायं उन मनोदशाओं और उन मनोभावनाओं को जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने ऐसे विधेयक को लाने की चेष्टा की है। सारा समाज, सारे विद्वान् इस तरह के विधेयक को ठुकरायेंगे। हम नहीं जानते कि सरकार क्यों इस तरह के काले कारनामों के पीछे पड़ी हुयी है। सरकार को कुछ समय तो समाज को देना ही चाहिये ताकि उसको सोचने का मौका तो मिल जाय लेकिन यह सरकार जनतांत्रिक नीति को छोड़ कर, गलत नीति पर चल रही है। जो महात्मा गांधी के नाम लेने की बातें कहें उनका यह फर्ज़ हो जाता है कि वे बेईमानी ईमानदारी के साथ सम्मिलित रूप से एक स्वर से इस विधेयक को ठुकरा दें और इस विधान सभा के बाहर जनमत का संगठन करें। अगर जनमत का संगठन होगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उसके सामने नतमस्तक होंगे क्योंकि उनमें डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन शायद अभी बचा हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (ज़िला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि गत तीन दिन से लगातार परिश्रम करने के बाद मुझे आज बोलने का सौभाग्य आपने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज ३ दिन से इस सदन में वादविवाद हो रहा है वह वस्तुतः हमारे देश और हमारे प्रदेश के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस संस्था के विषय में प्रस्तुत विधेयक लाया गया है और जो इस समय सदन में विवाद का विषय बना हुआ है वह संस्था इस प्रदेश या इस देश की ही नहीं वरन् सारे संसार की एक मूल्यवान संस्था है और उसका हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिये जब हम उसके सम्बन्ध में अपने विचार यहां व्यक्त करते हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसकी गुरुता को देखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व आता है उसके अनुरूप हम अपने को समर्थ पाते हैं या नहीं, इसमें हमे संदेह हो रहा है जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें याद आती है कि सन् १९२१ की वह घड़ी कितनी शुभ घड़ी थी कि जब मूल अधिनियम सदन में प्रस्तुत किया गया होगा और उसको अधिनियम के रूप में स्वीकार किया गया होगा जिसके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज तक परिचालित होता चला आ रहा है। परन्तु जब हम आज उसी संस्था के सम्बन्ध में इस संशोधन विधेयक को इस अवस्था में देखते हैं तो हमें संशय होता है कि जिस अधिनियम ने हमारे गुलामी के जमाने में इस विश्वविद्यालय को विशालता दी और जिसके द्वारा हम आज तक उसका परिचालन करते आये वह श्रेयस्कर है या प्रस्तुत विधेयक, इन सब बातों को देखते हुए, हमें अब यह देखना है कि इस विधेयक के द्वारा हम आगे जा रहे हैं या और पीछे जा रहे हैं। सन् २१ से पहले यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल एक परीक्षा लेने वाली संस्था थी और उसके बाद उस भरद्वाज आश्रम की पुण्य भूमि पर उन आदर्शों को लेकर एक यूनिटरी संस्था का रूप दिया गया और उस समय उन्हीं आदर्शों को सामने रखा गया जो भरद्वाज गुरु के आश्रम में थे, वहीं पर विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध, वहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था और गुरुओं के साथ रहने की व्यवस्था चलती रही और उन्हीं आदर्शों को लेकर शिक्षा विस्तृत होती रही और उन्हीं आदर्शों को लेकर हमारे इस विश्वविद्यालय ने हर क्षेत्र में देश की सेवा की और उसमें उस ने एक महान् सफलता प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय ने हमारे देश के महान् विद्वान् नेता, प्रशासक और शासक पैदा किये और प्रारंभिक दशा में देश और प्रदेश के इतिहास को गौरवपूर्ण कर के जीवन की सम्पूर्ण परिस्थितियों में योग दिया। उसी समय में हम यह भी देखते हैं कि उसी अधिनियम के अन्तर्गत इसी विश्वविद्यालय में इसी संस्था में श्री गंगानाथ झा, श्री अमरनाथ झा, श्री इकबाल नारायण

गुरटू और डा० तारांचन्द जैसे विद्वान् उपकुलपति रहे। तो क्या उस अधिनियम के लिये कहा जा सकता है कि दलबंदी के कारण ऐसे-ऐसे विद्वान् वहां के वाइसचांसलर रहे ? क्या कोई भी मिसाल विश्वविद्यालय के इतिहास में दे सकता है कि इन बड़े-बड़े विद्वानों ने दलबन्दी द्वारा वहां वाइसचांसलर का पद ग्रहण किया था ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि दलबंदी तो प्रजातंत्र प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है। यदि हमने प्रजातंत्र प्रणाली को स्वीकार किया है तो हमें दलबंदी को भी स्वीकार करना पड़ता है, अन्तर केवल इतना रह जाता है कि दलबन्दी व्यक्तिगत आधार पर हो या सिद्धांतों के आधार पर हो। यदि दलबंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में किसी सिद्धांत के आधार पर हुयी तो वह कौन सी बड़ी बात थी। दलबन्दी के नाम पर मुझे एक कहावत याद आती है 'Physician heal thyself' मैं सोचता हूं कि दलबंदी को हम तभी बुरा कह सकते हैं जब हम स्वतः उससे ऊंचे उठें। हम दलबंदी का नाम लेते हैं तो वह हम उसी हालत में ले सकते हैं जब किसी कारण से वहां की शिक्षा में और दूसरे कार्यों में कोई कमी पड़ी हो और जिन कारणों से हमारा यह विश्वविद्यालय गौरव-पूर्ण योग न दे सका हो। मान्यवर, हमें इस बात का खेद है कि जिस बात का हम दवा करने चले हैं शायद उसी से उस रोग को बढ़ा देंगे जिससे हम समझते हैं कि दलबंदी दूर होगी। दलबंदी तो राजनीति की देन है और इसमें संशय नहीं है कि जब किसी राज्यसंस्था या राज्य संस्था के किसी प्रतिनिधि का हाथ किसी शिक्षण संस्था में होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें दलबन्दी और बढ़ जाय। आप चुनावों को हटाकर और नामजदगी को दे कर दलबन्दी को कम कर देंगे यह बात किसी माने में सम्भव नहीं प्रतीत होती। जो प्रणाली वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये इस विधेयक में प्रस्तावित है उसमें सबसे बड़ा जोर दिया गया है। कार्यकारिणी समिति में एक मत पर। मैं मान्यवर जानना चाहूंगा कि इस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कितने आदमी पदेन सदस्य होंगे और कितने आदमी सरकार द्वारा नामांकित होंगे और कितने आदमी चुने हुए होंगे। मैं मान्यवर, जैसा विरोधी दल के सदस्य ने बड़े जोरदार शब्दों में बहुत सी बातें कह डाली हैं, वह दुर्भावना है, मैं माननीय मंत्री जी के लिये वह तो नहीं कहता लेकिन यह अवश्य कहता हूं कि दृष्टि और विचारों का अन्तर हो सकता है, जजमेंट की भूल हो सकती है और मैं समझता हूं कि वह भूल कर रहे हैं। यदि वह इस प्रकार सोचते हैं तो वह एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से निर्णय होने लगेगा तो कम से कम अनेक नहीं तो तीन दल तो अवश्य हो जायेंगे और दो दलों की अपेक्षा तीन दल करके क्या वे दलबन्दी कम कर देंगे। उसमें अनेक दल होंगे। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में, एकेडेमिक कौंसिल में, कोर्ट में, सिनेट में कोई भी बाडी यूनिवर्सिटी में ऐसी नहीं रह जायगी जिसमें दो दल हों। अनेक दल होंगे और इससे जो भी आदमी वाइस चांसलर नियुक्त होगा उसको कभी-कभी बहुमत नहीं प्राप्त होगा और वह कभी भी यूनिवर्सिटी के कार्य का संचालन सुचारु रूप से नहीं कर सकेगा। प्रत्येक स्थान में कटुता होगी, हर जगह संघर्ष होगा और कोई भी काम वह बहुमत के आधार पर नहीं कर सकेगा। इस उच्च शिक्षा के संचालन के लिये किसी भी मनुष्य को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो क्या व्यावहारिक रूप में कह सकते हैं कि यह जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में आप विकास करने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं वह किस रूप में सफल हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो भी संशोधन इस विधेयक में मान्यवर प्रस्तावित हैं वह सब के सब जो संस्था का स्वाधीन स्वरूप है वास्तव में उसको कम करते हैं। जो कोर्ट अब तक थी और जिसकी संख्या को मान्यवर मंत्री जी ने कम किया है उसमें निर्वाचितों की तादाद कम की जाती है। अब तक जो उसकी कल्पना थी वह एक आदर्श एलेक्टोरल कालेज के रूप में थी। वह ऐसी संस्था थी जिसमें उपकुलपति का चुनाव, एकेडेमिक कौंसिल का चुनाव, सिनेट का चुनाव इस तरह से सब के सब चुनाव पर आधारित हों और वह सबके सब जो ऊंचे से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर एक कांस्टीटुयेंसी हो सकती है वही इसकी सुप्रीम बाडी थी और वही इसका कार्य संचालन करती थी। यदि आप चाहते थे कि दलबन्दी कम हो तो मेरा अनुभव यह है कि चुनाव क्षेत्रों को बढ़ा देने से कम हो सकती है, उसके कम करने से दलबन्दी कम नहीं होती। जब चुनाव क्षेत्र बढ़ा दिये जाते हैं तो दलबन्दी करने वालों की शक्ति कम हो जाती है। जिसका अनुभव डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और लोकल बोर्डों के चुनाव में आपने देखा। पहले जब

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

क्षेत्र छोटे होते थे तब दलबन्दी अधिक होती थी और जब से उसका कार्यक्षेत्र चुनाव का बढ़ा दिया गया तो मंत्री जी को अनुभव होगा कि वह दलबन्दी कम हो गयी और प्रेसीडेंट और चेयरमैन लोकल बोर्ड्स आज अधिक सुचारु रूप में काम कर रहे हैं। आपको दलबन्दी कम करनी थी तो चुनाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि आपने कोर्ट को अधिक अधिकार दिया होता। विश्वविद्यालय में जितनी संस्थायें हैं उनको अधिक अधिकार दिया होता तो अच्छा होता, अच्छा तो यह होता कि अपने जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत हैं उनको और बढ़ावा दिया होता लेकिन मान्यवर मैं बड़े खेद के साथ और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो तर्क प्रजातांत्रिक अधिकारों का कम करने का आपने दिया है वह वस्तुतः उन सिद्धांतों का ही मूलोच्छेदन करता है जिनके आधार पर हम इस सदन में खड़े हुये हैं और मैं तो समझता हूं कि प्रजातंत्र के सिद्धांतों का विरोध मैं इससे अधिक और कोई बात नहीं कही जा सकती। वह बात यह कि जिस कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हों, हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हों, अनेकों और मंत्री हों, बड़े–बड़े विद्वान् जिसमें हों, उस कोर्ट के बारे में यह कहा जाय कि दलबन्दी के कारण वह सही रूप में एक वाइस चांसलर का चुनाव कर ही नहीं सकता। मैं तो समझता हूं कि इस से बढ़ कर डेमोक्रेसी की कोई निन्दा नहीं हो सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि यह किसी भी प्रकार आगे जाना नहीं है बल्कि यह तो पीछे जाना है।

गुलामी के दिनों में, अंग्रेजों के राज्य में हमारे देश के नेताओं ने जिन संस्थाओं को सरकार के हस्तक्षेप से अलग रखा था उसको आज सरकारी हस्तक्षेप के अन्तर्गत ले आना, मैं समझता हूं कि उन संस्थाओं की प्रगति करना नहीं है, उनकी उन्नति करना नहीं है बल्कि उनको पीछे ले जाना है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या वह नहीं है कि जिन को हल करने का प्रयत्न इस विधेयक में किया गया है। समस्या तो यह है कि जिसकी ओर मेरे मित्र माननीय बहुगुना जी ने संकेत किया है, समस्यायें तो वह हैं जिन पर कि मूथम कमेटी ने जोर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मुख्य समस्या उसका धनाभाव रहा है, उसकी ओर दुर्भाग्य से हमारी इस हुकूमत ने, जब से उसने लखनऊ में आसन ग्रहण किया है, सौतेले मां बाप की दृष्टि से ही देखा है। मैं कहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिस प्रकार की व्यवस्था १९२१ के अधिनियम में की गयी थी यदि उसी प्रकार से धन की सहायता सरकार से प्राप्त होती तो वह आदर्श विश्वविद्यालय न केवल हमारे देश का बल्कि संसार का एक आदर्श विश्वविद्यालय होता। मान्यवर, उसकी कमी है उसका पाठ्यक्रम, उसकी कमी है उसका क्षात्रावास, उसकी कमी है उसका पुस्तकालय, उसकी कमी है वैज्ञानिक प्रयोगशाला उसकी कमी है रिसर्च के अच्छे साधनों का न होना, उसकी कमी है अच्छे अध्यापक और अध्यापकों की वह संख्या जिसके बिना वह दरिद्र है, जर्जरित है, मर रहा है और जिसको दूर करने का यहां के बैठे हुए लोगों ने कोई इलाज नहीं किया है। इस विधेयक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि इस विश्वविद्यालय की उन्नति हो सके, इसको देखने से और इसको देखने के बाद जो इंटेलीजेंशिया की राय है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि जिस दल का बहुमत आज तक उस संस्था में रहा है आज दुर्भाग्य से वह पराजित है। आज तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसी बात नहीं हुयी कि जिससे विश्वविद्यालय पर किसी किस्म का लांछन आ सकता है। वस्तुतः इन प्रविधानों के अन्तर्गत उस दल को यह आशा नहीं रह गयी है कि वह अपने दल के किसी व्यक्ति को उपकुलपति बना सकता है इसलिये वह दल इस सरकार का आश्रय ग्रहण कर रहा है और दुर्भाग्य से उस संस्था को जीवनदान करने की चेष्टा में, उसका कल्याण करने की भावना में हमारे मंत्री महोदय जी का जो काम है वह उस दल को सहायता दे रहा है। आजतक कोई ऐसा कुलपति वहां का नहीं हुआ जिसका एक काम भी यह कहा जा सके कि उसने दलबन्दी के कारण गलत किया, ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक भी ऐसा काम किया हो कि जिसके कारण उस पर लांछन आता हो। मैं कह सकता हूं कि क्या डाक्टर

ताराचन्द, अमरनाथ झा, इकबाल नारायण गुर्टू आदि व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी ऐसा प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है कि जिसके बारे में यह कहा जा सके कि यह काम वाइस चांसलर ने बड़ा नगण्य किया और जिससे विश्वविद्यालय को हानि हुयी, उसकी प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ तथा उसके आदर्शों में प्रगति होने से रुकी। मान्यवर, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उपकुलपति के चुनाव का प्रविधान रखा गया है यह हमारी प्रगति में बाधक है और मान्यवर एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वस्तुतः मैं समझता हूं कि यदि हम सच्चे प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले हैं तो हमें इस बात में भी विश्वास करना होगा कि इस सदन में और सरकार की गद्दियों में हम बंधे नहीं हैं। यदि हम ऐसा विश्वास करके नहीं चलते हैं तो हमें प्रजातंत्र को न माननेवाला ही कहा जा सकता है। इसलिये जो विधान हम बना रहे हैं सोचना यह पड़ेगा कि सम्भवतः आज सरकारी हस्तक्षेप न हो सके परन्तु क्या कानूनी दृष्टि से यह सम्भव है कि आगे चलकर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकें और अगर ऐसा है तो भी मैं समझता हूं कि उधर कदम नहीं बढ़ाना चाहिये। मैं मानता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की वह भावना न हो और राज्यपाल महोदय अच्छे हों, निष्पक्ष रहने वाले हों, विद्वान् हों विश्वविद्यालय की स्वाधीनता का अपहरण न करना चाहते हों और कोई हस्तक्षेप न करें लेकिन कल को दूसरा दल आ जाय जैसे चीन में हुआ या रूस में हुआ तो इन्हीं प्राविधानों के अन्दर क्या वह विश्वविद्यालय की स्वाधीनता का अपहरण नहीं कर सकते। दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि यूनिटरी कैरेक्टर की जगह जो एसोशियेटेड कालेजेज और एफिलिएटिंग कैरेक्टर की बात की जा रही है, तो निर्विवाद रूप से यह पीछे जाने का कदम है और यदि पूरे तौर से नहीं तो यह आधा कदम आज उठाया जा रहा है और कल पूरा कदम उठाया जा सकता है। इससे विश्वविद्यालय की प्रगति नहीं होती, इससे उसकी दुर्गति होती है।

मान्यवर, इसमें संशय नहीं माननीय मंत्री जी ने हर जगह इस बात की चर्चा की है कि चुनाव कम हो। चुनाव से हमें क्यों घबड़ाहट होती है ? उस संस्था में जहां कि हम चुनाव की शिक्षा ले सकते हैं जिसके लिये वहां पर छात्र-संघ और बहुत सी संस्थायें इसी लिये कायम की जाती हैं कि विद्यार्थियों को वहां पर डेमोक्रेसी में चुनाव की शिक्षा मिले और इस शासन तंत्र का मूल आधार जो है उसे हम समझने लगे हैं, वहां पर चुनाव से क्या दोष है उसको व्यक्त नहीं किया गया और कोई दुष्परिणाम देखने में भी नहीं आया, वह दोष और दुष्परिणाम केवल कल्पना में हैं और वह भी आज नहीं, आने वाले कल की कल्पना में हैं। इस मौजूदा संशोधन विधेयक के जरिये चांसलर जिस किसी को भी उपकुलपति नियुक्त कर देता है वह हमारे लिये मान्य हो जाता है। अब तक जो अधिनियम था उसके मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त था कि कोई भी देश का महान् विद्वान् उसका उपकुलपति हो जाय तो उसकी छत्रछाया में वह फूलता-फलता चला जाय। मगर अब यह उस विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य होगा कि अगर कभी संचालकों में ऐसी सुमति आ जाय कि कोई योग्य विद्वान् को वह उपकुलपति चुन लें तो पांच वर्ष बाद उसे नमस्कार करना पड़ेगा। इससे विश्वविद्यालय का कल्याण होने वाला नहीं है। जितने भी प्रावधान अधिनियम में किये गये हैं, १९२१ से अब तक जहां-जहां प्रजातंत्र की ओर कदम बढ़ाया गया है, अब इसके द्वारा उस कदम को पीछे हटाया गया है। विश्वविद्यालय की कोर्ट क्या थी, मान्यवर मैं इसी अधिनियम से पढ़कर सुनाता हूं कि उसमें कौन-कौन लोग थे

"(i) The Chancellor
(ii) The-Vice Chancellor.
(iii) The Ministers of the Uttar Pradesh.
(iv) The Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad.
(v) The Bishop of Lucknow
(vi) The Members of the Executive and Academic Councils,
(vii) The Treasurer, and

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

(viii) Such other ex-officio members as may be prescribed by the Statute,

(ix) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education,

(x) All persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University,

(xi) Graduates of the University elected by the registered graduates from among their own bodies,

(xii) Persons nominated by associations or individuals paying to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes to or for the purposes of the University,

(xiii) Persons nominated by other non-academic bodies prescribed in this behalf by the Statutes,

(xiv) Persons nominated by academic bodies prescribed in this behalf by the Statutes,

(xv) Persons elected by Legislative Council of the State from among their own body,

(xvi) Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body,"

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो यह कोर्ट बनती थी उसमें कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आप यह समझते हैं कि दलबन्दी बढ़ सकती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इन लोगों के अलावा जो लोग हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---इन रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के अलावा और कोई है नहीं। एक अध्यापकों के बारे में राधाकृष्णन कमीशन ने जो वाइसचांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिश की है उसका तत्व यह है कि जो यहां पढ़ाने वाले प्राध्यापक हों और उपकुलपति की मातहती में रहने वाले हों उनको वोट देने का अधिकार न हो। यह तो इस अधिनियम में इतना ही संशोधन कर देने से आपका काम चल सकता था कि कोर्ट के ऐसे सदस्य जो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते हों उनको वोट देने का अधिकार न रहे।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं आपको एक सूचना दे दूं कि राधाकृष्णन कमीशन ने कोर्ट को वाइस चांसलर के एलेक्शन में भाग लेने के लिये अनुमति नहीं दी है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। हो सकता है कि मान्यवर मंत्री जी जो कहते हों वह सही हो, परन्तु मैंने जहां तक उसको समझने की चेष्टा की है मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस सिफारिश का कुल तत्व इतना ही है कि अध्यापकों को नहीं रहना चाहिये वाइसचांसलर के एलेक्शन में और यदि कोई भी कमीशन आज के युग में यह सिफारिश दे कि हम प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को केवल अपने चुनाव और गवर्नमेंट के चुनाव के लिये रखेंगे और बाकी अपने समाज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे घटाकर उसे अपने में निहित कर लें तो मैं समझता हूं कि हमको, इस सरकार को और उस दल को जिसकी यह सरकार बनी हुयी है, यह सिफारिश मान्य नहीं हो सकती और यदि मान्य होगी तो धीरे-

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। हो सकता है कि मान्यवर मंत्री जी जो कहते हों वह सही हो, परन्तु मैंने जहां तक उसको समझने की चेष्टा की है मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस सिफारिश का कुल तत्व इतना ही है कि अध्यापकों को नहीं रहना चाहिये वाइसचांसलर के एलेक्शन में और यदि कोई भी कमीशन आज के युग में यह सिफारिश दे कि हम प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को केवल अपने चुनाव और गवर्नमेंट के चुनाव के लिये रखेंगे और बाकी अपने समाज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे घटाकर उसे अपने में निहित कर लें तो मैं समझता हूं कि हमको, इस सरकार को और उस दल को जिसकी यह सरकार बनी हुयी है, यह सिफारिश मान्य नहीं हो सकती और यदि मान्य होगी तो धीरे-

धीरे हमारा कदम पीछे की ओर बढ़ेगा और मुसोलनी, हिटलर और चीन के कदम की ओर बढ़ेगा, जिधर हम जाना नहीं चाहते। मान्यवर, रामनरेश जी के शब्दों में, मुझे आज प्रसन्नता होती और इस सदन के लिये भी गौरव की बात होती यदि हम १९२१ के अधिनियम के आगे चले होते। जब १९२१ में अधिनियम पास हुआ था तो हमारे इस प्रदेश के ही नहीं सारे देश के शिक्षा विशारदों ने उसको एक महान् कदम कह करके उसकी सराहना की थी और यदि श्रीमन्, समय होता तो मैं वह सब प्रस्तुत करता कि उस अधिनियम के सम्बन्ध में हमारे देश के महान् नेताओं ने कितनी सराहना की थी। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रावधान इस विधेयक में भी हैं जिनसे कि अवश्य ही कुछ सुधार होता है जैसा कि डीन आफ स्टूडेन्ट्स का है या और भी कुछ ऐसे संशोधन हैं। परन्तु जो मुख्य संशोधन हैं उपकुलपति के चुनाव, ट्रेजरर के चुनाव, कोर्ट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल का संगठन और साथ ही वाइस-चांसलर के कार्यकाल का निर्धारण और इसी प्रकार विश्वविद्यालय के यूनिटरी कैरेक्टर को एफिलिएटिंग में बदल देना ये सब ऐसे संशोधन हैं जिनसे कोई सुधार नहीं होता बल्कि वह सब के सब ऐसे हैं जो हमें पीछे ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक जिनकी कल्पना अपने जीवन में इस विश्वविद्यालय को महान् देखने की थी और उन आदर्शों तक पहुंचते हुए देखने की थी जिन पर वह सन् १९२१ से आज तक चलता आया, उसमें हम आज सफल नहीं हो रहे हैं। आज जो कदम माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक द्वारा उठाया है वह इस विश्वविद्यालय का सहायक नहीं होता, प्रत्युत यह इलाहाबाद का दुर्भाग्य ही है कि उसकी जितनी गौरव की वस्तुयें हैं, धीरे-धीरे लखनऊ स्थित सरकार की कृपा से वह उनसे वंचित होता चला जा रहा है और यही एक गौरव की वस्तु इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहां रह गयी थी जिसको धन से वंचित रख कर के तो गिराने की जानबूझ कर नहीं तो अनजाने में चेष्टा हो ही रही थी, अब इस तरह से हम इस विधेयक के द्वारा हम उसे और नीचे गिराने की चेष्टा कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये उनके उन विचारों पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और वह इस बात को समझेंगे कि यह उनका केवल भावुक विचार नहीं है, बल्कि गम्भीरता-पूर्वक विश्वविद्यालय के कल्याण की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने हृदय की सम्पूर्ण भावना से हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। उन विचारों में हमारा विश्वास है, हमारे रोम-रोम का दृढ़ विश्वास है इसलिये हमने इनको व्यक्त किया है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उनमें से कम से कम उन प्रावधानों को जिनसे विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता का अपहरण होता है, जैसे कुलपति का चुनाव और और दूसरे ऐसे संशोधन, उनको वह वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने बड़ी जबर्दस्त तरीके पर अपने विचारों को सदन में रखा है। वह अपनी भावनाओं में बह गये और उन्हें यह पता नहीं चला कि उनकी नाव कहां टकराई। मुझे दुख है कि वक्ता महोदयों ने सदन में खड़े होकर यह नहीं समझा कि उनका ध्येय किस ओर है। इसका मुझे महान् दुख है और मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमें इस सदन के अन्दर एक दृढ़ नीति रखनी चाहिये और हर आदमी को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को सदन में रखना चाहिये। हमें पार्टी पोलिटिक्स में घुसकर और केवल इसलिये कि मैं किसी खास पार्टी से, किसी खास आदमी से हमदर्दी रखता हूं तो उसी भावना से प्रेरित होकर, समर्थन नहीं करना चाहिये।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष जो बहुत पुराना देश है और जिसने संसार के अन्दर ज्ञान और विज्ञान का स्रोत बहाया है, जिसने की दुनिया के दूर-दूर देशो में ज्ञान और विज्ञान की तरंगों ने हिलोरें ली हैं, अगर अब हम किसी तरह से विद्या के विकास में पिछड़ जायं तो यह हमारे लिये बड़े अपमान की बात है। मुझे यह सुनकर महान्

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

दुख हुआ जबकि सदन के अंदर यह कहा गया कि भारतवर्ष की यूनीवर्सिटीज के विद्यार्थी विदेशों की यूनिवर्सिटीज में एडमीशन के काबिल नहीं पाये गये। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज बड़े-बड़े विद्वान् और बड़े दिमाग पैदा किये हैं जिन्होंने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में शांति का पाठ पढ़ाकर उसकी अमर कीर्ति की पताका को फहराया है।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति ने मानवता के उस आधार को प्रसारित किया है जो किसी ने आज तक नहीं किया। मैं सब से पहले ईसा प्रभु हुए थे जिन्होंने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया था। लेकिन मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि उससे कई हजार वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष के विद्वानों ने उस शांति के पाठ को सारी दुनियां में फैलाया था।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा सारे संसार में विकसित करना चाहते हैं। कौन सी सभ्यता और संस्कृति इस संसार की है जिसको भारतवर्ष के विरुद्ध अतीत के गौरव पर नाज होता है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालयों ने उस विद्या का प्रसार किया जिससे आज यूरोपियन कंट्रीज ने दुनियां की लीडरशिप ले रखी है। भारतवर्ष ने ज्ञान का नेतृत्व और विज्ञान का नेतृत्व सारे संसार में किया है जो ज्ञान इस जीवन को संचालित करके विकास के लिये बनाया गया था वह दुनियां की बाहरी जिन्दगी की व्यवस्था करते हुए उस चीज की भी व्यवस्था करता था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। उसके लिये भी हमारी विद्या के अन्दर व्यवस्था थी। मैं कहता हूं कि हमारे भारतवर्ष की महान् विभूतियों ने सारे संसार का चक्कर काटा है और दुनियां में मानवता का प्रसार करने के लिये हिमालय की चोटी को पार करके चीन जापान तथा सुदूर मुल्कों अमेरिका वगैरह में जाकर भारतवर्ष की महान् संस्कृति का प्रसार किया है। आज भारतवर्ष देश अगर पिछड़ जाता है इसका मुझे बड़ा भारी दुख है।

यह विधेयक जो आपके सामने है मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस स्पष्टता के लिये मैं माननीय हरगोविंद सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सच्चे आदमी की तरह स्पष्ट इस सबल के सामने स्वीकार किया है कि यह जो अमेंडमेंट बिल सदन में उपस्थित हुआ है यह तो एक छोटी सी चीज है। आज इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने एक व्यवस्था कायम की, लेकिन जिसके लिये वह व्यवस्था बनायी गयी उसको फोर्स करने के लिये कोई प्राविजन इस बिल के अन्दर नहीं है। ठीक है, आप युनिवर्सिटीज को ठीक करना चाहते हैं, आप युनिवर्सिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह बिल युनिवर्सिटीज के अन्दर डिसिप्लिन कायम करने के लिये बनाया गया है। अगर इस बिल का कोई मकसद है तो हमारी युनिवर्सिटीज के अन्दर एक डिसिप्लिन की व्यवस्था करने का मकसद है। इसके बाद अगर उस बिल के अन्दर कोई चीज उठ सकती है तो वह गलती में है, उन्हें वह भूल कर भी नहीं मिल सकती। यह तो अमेंडमेंट का सब से पहला फर्स्ट इंस्टालमेंट है और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में अगर हम अपनी युनिवर्सिटीज को सर्वोच्च स्तर पर लाना चाहते हैं तो उसके लिये हमें सेकेंड इंस्टालमेंट और अमेंडमेंट इस सदन में और लाना होगा।

इस सदन में बड़ी लम्बी लम्बी और गर्म तकरीरें की जाती हैं, लेकिन उनमें जो फैक्टस रखे जाते हैं वह किसी फाउंडेशन पर आधारित नहीं किये जाते। केवल इसलिये कि मैं इलाहाबाद युनिवर्सिटी का विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं रीजन को छोड़ कर भावनाओं में आकर यहां व्याख्यान

देने लगूं तो उसका क्या महत्व हो सकता है ? मैं भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे नाज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर, लेकिन मैं रीजन को छोड़ कर सेंटीमेंट्स में बह जाने के लिये तैयार नहीं हूं। जिस जमाने में इकबाल नारायण गुर्टू जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वाइस चांसलर थे वह जमाना अब भी मुझे याद है। मैं आज भी उनके डिस्सिप्लिन की तारीफ करता हूं। मैंने बाहर की युनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को भी उस कैलीबर का नहीं पाया जैसे कि इकबाल नारायण गुर्टू थे। हम उनकी विद्वता का लोहा मानते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो विद्वान थे वह पार्टी पालिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे और ऐसी दल-बंदियों और गुट बंदियों का शिकार नहीं थे। आज वहां पर बहुत सी दलबंदियां और गुट-बंदियां बन गयी हैं। क्या मुझे अपने गुरुजनों से प्रेम नहीं प्यारे नहीं और उनकी ओर मेरी कुछ भावना नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर हम इन युनिवर्सिटीज को उच्च और वहां सच्चरित्रता के स्रोतों को बहना चाहते हैं तो हमें आज इस बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा जोकि एक पृष्ठभूमि है उस विकास की जिसकी फाउंडेशन को हम आज मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि ये तजुर्बे की बात है जो अनुभवशील लोग हैं उनको चाहिये कि वह घबरायें नहीं, जो कुछ गुजरा हो उसके अनुभव को देखकर इसमें कदम बढ़ाना है। केवल भाषण देने से, अथारिटीज को कोट कर देने से मैं आपकी स्पीच की विद्वता नापने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो केवल बुद्धिवाद के स्तर को अपने सामने रखता हूं और उसी स्तर से नाप कर निर्णय कर सकता हूं। यह नहीं कि आप ऊंचे ऊंचे शब्दों से जैसे एक कैटेलाग में से आप कुछ साइट कर दीजिये, उस से आप अपने केस को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं कि आपने अपने मस्तिष्क को उस सिद्धांत को ऐनेलाइज करने में एक्सरसाइज किया है या नहीं। हमें यह समझाना है कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं उनके ऊपर ६ करोड़ लोगों के भविष्य का भार है। हम इसको उचित नहीं समझते कि हम एकतरफा बातें इस सदन में कहें और मैं समझता हूं कि जो अपनी रेस्पांसिबिलिटी को नहीं फील करते कि वह अपने कंधों पर ६ करोड़ आदमियों का भार वहन किये हुए हैं वह अपने वोटरों के साथ कोई न्याय नहीं करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मिस्टर हरगोविंद सिंह जी को कि यह जो बिल है वह टेम्पोरेरी बिल है। यह तो चन्द दिनों के लिये है और एक नेसेसरी इविल है। इस नेससरी ईविल के जरिये हम उस अपने ऊंचे ध्येय को प्राप्त नहीं कह सकते जिसको कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमको कुछ आज व्यवथा करनी पड़ेगी। यह बिल पास होना चाहिये, लेकिन इसकी जो लाइफ है वह चन्द सालों की है वह बहुत दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकता। बहुत सालों तक यह नहीं चलेगा, इसकी जल्दी मौत होगी।

अब मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं और जिन्होंने इस बिल पर वाद विवाद में समय दिया है, उनको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जहां तक कि वाइसचांसलर का सेलेक्शन है या एलेक्शन है या एप्वाइंटमेंट का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारी शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही है। क्योंकि जो पार्टीज मैजारिटी में हैं वह अपने तीन तीन कैंडीडेट्स खड़ा कर देती हैं। तो इस तरह से हर एलेक्शन में तीन नाम जाते हैं। दो नाम वापस ले लिये जाते हैं और उनका मक़सद हल हो जाता है। अगर आप इस बिल से यह समझते हैं कि आप पार्टी पालिटिक्स को युनिवर्सिटी से रूट आउट कर देंगे, तो आप बहुत गलती में हैं। जिस मुल्क की सरकार पार्टी पालिटिक्स की सरकार है, क्योंकि "डेमोक्रेसी इज दि मदर आफ पार्टी पालिटिक्स एंड पार्टी फैक्शंस"। जब तक इस भारतवर्ष में डेमोक्रेसी चलती रहेगी तब तक पार्टी पालिटिक्स किसी युनिवर्सिटी से दूर नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष जैसा देश, जोकि बुद्धिवादी देश है और जैसे कि बुद्धिवादी हमारी युनिवर्सिटीज और कालेजेज में रहा करते हैं। क्या आप समझते हैं कि वह बुद्धिवादी लोग पालिटिक्स से दूर रह सकते हैं ? हर्गिज नहीं। इस बिल से यह चीज हल होने वाली नहीं है। इस बिल का ध्येय एक निजाम कायम रखना है, एक डिसिप्लिन को मजबूत बनाना है ताकि विद्यार्थियों को मौका मिल सके कि वह आगे तरक्की कर सकें।

[श्री चन्दसिंह रावत]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से युनिवर्सिटी की दशा को आप कभी नहीं सुधार सकते। आप चाहते हैं कि एक-एक युनिवर्सिटी में चालीस चालीस, पचास पचास हजार विद्यार्थी बढ़ें। यह नामुमकिन है। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्यों युनिवर्सिटी युनिटरी या टीचिंग युनिवर्सिटी कही जाती है, उसका ध्येय क्वालिटी प्रोड्यूस करने का होना चाहिये न कि क्वान्टिटी प्रोड्यूस करने का। एक टैगोर भारतवर्ष का प्राडक्ट था जिसने दुनिया में भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि उनके टक्कर का कोई दूसरा विद्वान भारतवर्ष में उस कैलिबर का पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि हमारी युनिवर्सिटीज वही विद्यार्थी निकालें जिनके द्वारा रिसर्च का काम आगे बढ़े, हमारे ज्ञान, विज्ञान, विद्या की वृद्धि करें। जिस रिसर्चेज के लिये और जिस प्रकाश के लिये हमें दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है, क्या हमारे देश में ऐसे बुद्धिवादी पैदा नहीं हो सके जो नये नये अनुसंधान कर सकें, दुनिया को नयी नयी वस्तुओं का पैदा करके सारे संसार के राष्ट्रों को चकाचौंध कर दें। गुलामी ने हम लोगों को कुचल कर, हमारी सभ्यता और संस्कृत को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। हमारे जीवन के स्रोतों को, हमारे विद्या और विज्ञान के श्रोतों को सुखा दिया है। हमारी शिक्षा को निष्प्राण कर दिया है। पश्चिमी देशों ने हमारे देश के स्वावलम्बन को छीन कर, अपनी इंटरप्राइज को लाकर तीन चौथाई दुनियां पर अपनी हुकूमत कर रखी है। भारतवर्ष जो सारे संसार के देशों का गुरु था, सारे संसार का नेतृत्व करता था आज पिछलग्गू बन कर चलना चाहता है। मैं उस पालिसी का अपनाने के लिये तैयार नहीं।

मैं निहायत अदब के साथ ठाकुर हरगोविंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें आज साइंस लैबोरेटरीज उस ऊंचे स्तर पर पैदा करनी चाहिये जिनमें काम कर के हमारे विद्यार्थी इस देश को उठा सकें। आज जैसे बी० ए०, एम० एज० और पी० एच० डीज पैदा कर रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि आज किस तरह से डिग्रियां कंफर की जाती हैं। मेरे दिल में उन डिग्रियों के लिये कोई आदर नहीं है। मैं जानता हूं कि उनका अपना समय उन डिग्रियों के हासिल करने में नहीं जाता है। जिस ऊंचे पैमाने पर उनको परिश्रम करना चाहिये वह नहीं करते मैं चाहता हूं कि साइंस लैबोरेटरीज में उन्हीं विद्यार्थियों को घुसने दिया जाय जो भारतवर्ष में ही नहीं सारे संसार में एक प्रकाश ला सकें, जो भारतवर्ष की खोई हुई दौलत, उसका खोया हुआ ज्ञान, उसका खोया हुआ विज्ञान और विद्या को वापस ला सकें। मैं बी० एज० एम एज० और पी० एच० डीज के मास प्रोडक्शन में विलीव नहीं करता। आज उनकी नालेज कागज के टुकड़ों पर महदूद है। अगर कागज का टुकड़ा खो गया, पंजाब के शरणार्थी लखनऊ में आये, अगर डिग्री खो गयी तो डिग्री खत्म हो गयी। ज्ञान का मापदंड उसकी डिग्री पर निर्भर नहीं करता, उसके कैलिबर, उसे वे इंटेलिजेंस, उसकी सूझ पर निर्भर करता है, न कि किताबों पर। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जितनी भी रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाती हैं वह उन व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, यूरोपियन शिक्षा से जिनके दिमाग बने हैं, उसी यूरोपियन शिक्षा के रंग में वह रंगे हुये हैं, वह भारतवर्ष के अतीत गौरव को फिर वापस लाने में कोई पथ-प्रदर्शन करने में बिलकुल असमर्थ हैं। मैं तो इन रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करता क्योंकि इन लोगों को किसी भी युनिवर्सिटी में काम करने का कोई मौका नहीं मिला है। इनको कोई इस ओर का अनुभव नहीं है। कोई थोड़ा बहुत पर्सनल अनुभव नहीं है। यह उस ज्ञान में कोरे हैं जो कि वास्तव में ज्ञान माना जाता है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह युनिवर्सिटीज उस ज्ञान में बहुत पीछे हैं। यह तो शेक्सपियर को जानते हैं, शैली को जानते हैं और कीट्स को जानते हैं जिनकी किताबों को इन्होंने पढ़ा है। यह हमारे ऋषियों के बड़े बड़े ग्रन्थों को नहीं जानते हैं और उनके मार्मिक तत्वों को नहीं जानते हैं तो फिर इन लोगों को वह ज्ञान कहां से हो सकता है। यह लोग उस महान् ज्ञान के तत्व को नहीं निकाल सकते हैं जो कि भारत वर्ष में पाया जाता है। इसको तो वही निकाल सकते

हैं जिनके हृदय में भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता का महान आदर है और जिनके हृदय में भारतीय संस्कृति समायी हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक जमाना था जब कि हम अंग्रेजों को हर बातों में ऊंचा समझते थे। हम यह समझते थे कि अंग्रेज ही दुनिया के अन्दर सब दुनियां के मनुष्यों से ऊंचे हैं। लेकिन जब हमने भारतीय संस्कृति को देखा और उसका अध्ययन किया तो मुझे मालूम हुआ और मुझे यह कहने में बड़ा गौरव होता है कि उन ऋषियों और मुनियों ने अपने ज्ञान और विद्या के भंडार को इस संसार में बिखरा रखा है। लेकिन अफसोस है कि हमारी विद्या हमारे देश के अन्दर ही पसन्द नहीं की जाती है और हमारे विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि यदि हम उस विद्या का अध्ययन करें तो हमारा देश बहुत शीघ्र उठ सकता है। मुझे महान् दुख होता है जब मैं यह देखता हूं कि जब हमारे युनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिये चश्मा पहनते हैं . . . . . .

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—मैं आप से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैंउनके लिये कितना समय निर्धारित है ?

श्री उपाध्यक्ष—जो सबके लिये है वही उनके लिये भी है।

श्री चन्द्र सिंह रावत—माननीय अध्यक्ष को इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं। जो असलियत है उसको फेस करना चाहिये और उसको फेस करने में पीछे नहीं हटना चाहिये । मैं आप से निवेदन करूं कि जो आदमी मुसीबत में घबरा जाते है वह दुनिया में सफलता हासिल नहीं कर सकते। जो मुसीबत को फेस नहीं करते वह कभी सफल नहीं हुआ करते।

दूसरी बात आप के सम्मुख यह पेश करना चाहता हूं कि जो अन्याय और अत्याचार के बारे में कही गयी है यह तो केवल कहने की बात है । यदि इस बात को बुद्धि पर तोला जाय तो यह मालूम होगा कि आज हमारे विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। हमको अपने युनिवर्सिटीज के अन्दर विद्यार्थियों के ऊंचे चरित्र निर्माण के लिये जितनी भी तपस्या करनी पड़े उतनी करनी चाहिये यदि हमको अपनी सीट भी उसके लिये लूज करनी पड़ी तो उसको भी कर देना चाहिये और मैं तो लूज करने को तैयार हूं मगर मैं चाहता हूं कि मेरा देश ऊंचा उठे। श्री हरगोविन्द सिंह शिक्षा मंत्री आज अगर नहीं होते तो कोई दूसरा आदमी होता। हम भी यहां पर सदा के लिये सदस्य नहीं रह सकते हैं। हम जायेंगे दूसरा आयेगा हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू जायंगे और उसके बाद और नेहरू आयेंगे लेकिन हमको यह देखना है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और हमारे विद्यार्थियों का चरित्र ऊंचा हो क्योंकि भविष्य में वही देश भाग्य निर्माता होंगे। इसलिये अपने बच्चों के लिये जितनी भी कुर्बानी हम कर सकें करनी चाहिये। हम अपने कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और किसी तरह से उसको पीछे हटाने की न सोचें। हम जिस बिल के लिये ऐसा भी संशोधन ला सकते हैं कि जिससे यह कैंसिल किया जा सके। इस ऐक्ट को थ्रो आउट कर दीजिये, इस ऐक्ट को कैंसिल कर दीजिये लेकिन वस्तु स्थिति से दूर जो आवाजें उठती रहती हैं उनको उठाने वाले दुनिया के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के काबिल नहीं हो सकते। वे तो पूज्य महात्मा गांधी की भांति धोती पहन कर समाज सुधारक ही हो सकते हैं, आचार्य विनोबा की भांति सुन्दर समाज का निर्माण करने वाले हो सकते हैं लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के कतई काबिल नहीं हो सकते। हमें आज व्यवस्था करना है। अगर आज कहीं भी गड़बड़ी है तो किसी भी मूल्य पर वह हमें निकाल कर बाहर कर देना है। हमें अपने भारत के उत्थान के लिये , उसको गिराने वाली भावनाओं को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये सब कुछ त्याग करने को तैयार रहना चाहिये। आज हम अपने देश के उत्थान के लिये किसी भी

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

ऊंचे से ऊंचे प्रलोभन को ठोकर मार सकते हैं। हिमालय की चोटी को भी ठोकर मार कर हम भारत के भविष्य के निर्माण करने को तैयार हैं यथा:—

दग्धं दग्धं त्यजति न पुनः कांचनं दिव्य वर्णं,
घृष्टं घृष्टं त्यजति न पुनः चंदनं चारुगंधम ।
खंडं खंडं त्यजति न पुनः स्वादुतां मिष्टदंडम्,
प्राणान्ते ऽपि प्रकृतिविकृति जायते नोत्तमानाम् ।।

मैं उन्हीं को मानव कहता हूं जो स्वयं मुसीबत उठा कर, प्रलोभनों को ठोकर मार कर अपने देश के भविष्य को उज्वल बनाने के लिये प्राणों की बलि देने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा टैगोर ने भी क्या ही अच्छा कहा—

एकला चलो रे,
यदि तोर डाक सुने केऊ न आशे, तवे एकला चल रे,
एकला चल, एकला चल, एकला चल, एकला चल रे।
यदि सवाई फिरे आय ओरे ओरे अभागा यदि गहन पथे यावार काले के।
फिरे न चाय तवे पथेर बाटा ओ तुई रक्त माथा चरण तले एकला चल रे ।।

अगर सारा हाउस उसको डिसऐप्रूव कर देता है, हाउस के जितने माननीय सदस्य हैं वे श्री हरगोविन्द सिंह जी को तरफ पीठ फेर कर उठ कर चल देते हैं तो भी माननीय मंत्री जी को हिम्मत न हारना चाहिये और सच्चे और सही काम के लिये उन्हें दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये और हिम्मत के साथ उस पथ पर हमें कदम बढ़ाते चलना चाहिये जो कि हमारे देश के लिये उत्थान का पथ है।

अब मैं इसकी बात बताना चाहता हूं कि तकरीरों में बहुत दलीलें दी गईं और उन दलीलों को ही तकरीर का नाम दिया गया जब कि उनके अन्दर कोई तथ्य नहीं है। बहुत से हमारे मित्रों ने रूस की शिक्षा का हवाला दिया। कहां रूस की शिक्षा और कहां हमारे देश की शिक्षा। रूस की शिक्षा और दूसरे देशों की शिक्षा का जहां तक ताल्लुक़ है उनका संबंध केवल इस दुनिया से है और हमारी शिक्षा अमरता की ओर हमें ले जाती है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि अगर भारत की विद्या के अन्दर, हमारी सभ्यता और संस्कृति के अन्दर यह बात न होती, अगर भारत की शिक्षा इमॉर्टल न रही होती तो भारत आज पद दलित हो कर चकनाचूर हो गया होता। यही कारण है कि आज भी हमारी सांस्कृतिक अमरता की कीर्ति पताका सारे संसार पर फहरा रही है। इसलिये इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो गुरूतर भार हमारे ऊपर सौंपा गया है उसको पूरा करने में हम कामयाब होंगे। आप समझ सकते हैं कि क्या हम प्रगति को पसन्द नहीं करते? आजादी की लड़ाई के वक्त हमने अपनी जवानी को जेलों की सीखचों के अन्दर बरबाद किया और जब कि बहुत से नौजवान भाई बाहर रह कर मौज उड़ा रहे थे हमारे ऊपर हंस रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी बड़े से बड़े त्याग को करने के लिये तैयार हैं और हम समझते हैं कि सब एक राय से इस बात को साबित कर देंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं उनके ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है और जनता का पूरा विश्वास उनके ऊपर है। इसलिये जब कि वे इस सदन में बैठे हुये हैं और जब जनता के भविष्य का फैसला हम इस सदन में करने जा रहे हैं तो उसको पूरा करने में कोई भी कमी नहीं उठा सकेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री चन्द्र सिंह रावत का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेरे लिये थोड़ा सा रास्ता साफ कर दिया। मुझे भय था कि शायद इलाहाबाद युनिवर्सिटी के छात्रों में मैं ही एक ऐसा निकलू जो (डिस्का-

डेंड नोट साउन्ड करे। मेरे मित्रों की जो वहां पढ़े हैं, युनिवर्सिटी से स्नेह है काफी स्नेह है, मुझे भी स्नेह है लेकिन मैं जानता हूं कि जिन परिस्थितियों वश यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है वह ऐसी थीं कि उन्होंने सरकार को बाध्य कर दिया। सरकार अगर उस वक्त कुछ हस्तक्षेप नहीं करती तो मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्य से च्युत होती। इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो जो बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कही गयी हैं उनसे मैं सहमत नहीं हो सकता। जो बातें कि मूथम कमेटी ने अपनी इन्क्वायरी में इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लिखी हैं उन पर से हमने बिलकुल ही अपनी निगाह फेरली है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं दिखाई पड़ता क्या एम्लायंटमेंट्स आफ टीचर्स (employments of teachers) का यह फाइनेंशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन (financial Administration) या युनिवर्सिटी की प्रापर्टीज का उपयोग या पुअर ब्वायज फंड (poor boys fund) इन सभी में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे कि हमको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि इस तरह की चीजों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह देश के लिये और युनिवर्सिटी दोनों के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा उद्धरण मूथम कमेटी की रिपोर्ट से अवश्य देना चाहता हूं ताकि हाउस समझ जाय कि क्या हालत थी जिसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा। टीचर्स के एप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में लिखा है:—

"The main complaint against the present selection committee is that a number of appointments recommended by them in recent years have been such that many teachers of the University no longer have confidence in their competence, or even in their impartiality. They have been subjected to much criticism on the ground that they have allowed themselves to be guided by considerations other than the merits of the candidates, particularly by the desire to meet the wishes of influential members of the Executive Council.

आगे चल कर कमेटी कहती है :—

"But we are, we consider, entitled to say that certain recommendations which have been made do not appear to be in accordance with the merits of the different candidates, and to draw the conclusion that the present methods of selection are unsatisfactory because they give rise to a legitimate doubt as to the competence of selection committees. This is in fact the conclusion which is drawn by the Committee from an examination of the cases particulars of which are to be found in Appendix 17.

स्पैसिफिक इंस्टेंसेज (Specific instances) वे तो सब १७ एपेंडिक्स में दिये हुये हैं। इसका सारांश यह है कि कन्डीडेट्स का रिकमेंडेशन के बल पर चुनाव हुआ और उनको स्थान मिले यद्यपि दूसरे उनसे अधिक योग्य थे। इसी तरह से मैं फाइनेन्सियल इरेंगुलैरिटीज (Financial irregulairity) की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसके बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि १४, ६५, ४२३ रु० हमारे गुरुजनों ने अपने डीयरनेस एलाउन्स, कास्ट आफ लिविंग एलाउन्स और वार एलाउन्स के रूप में खर्च किया और यह भी उस समय खर्च किया कि युनिवर्सिटी के पास एक पैसा भी इस मद में खर्च करने के लिये नहीं था। मैं इस तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि २६३ रु० तक डीयरनेस एलाउंस दिया गया है जब कि इस अभागे देश की पर कैपिटा इनकम केवल २५५ रु० है। २६३ रु० डीयरनेस एलाउन्स सैलरी के साढ़े १७ परसेंट के हिसाब से है। यानी कम से कम १५०० रु० तनख्वाह थी जिसके ऊपर २६३ रु० डीयरनेस एलाउन्स दिया गया है और यह भी जैसा मैंने कहा उस समय दिया गया जब युनिवर्सिटी के पास एक पैसा भी नहीं था। इसी तरह से एक युनिवर्सिटी कार के सम्बन्ध में भी लिखा है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह बात तो अवश्य सोचने की है कि एक कार युनिवर्सिटी की इलाहाबाद से भेजी गयी कलकत्ता को रिपेयर्स

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

के लिये और वहां पर वह वाइस चांसलर साहब के लड़के के शादी में इस्तेमाल हुई। यह भी उदाहरण मूथम कमेटी ने ही दिया है। इसके अतिरिक्त पुअर ब्वायज फंड में करीब ३३ हजार रुपया आज भी जमा है जो खर्च नहीं हुआ है और न कहीं इनवेस्ट किया गया है। इन सब बातों के होते हुये मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती थी। जो व्यवस्था वहां पर चल रही थी उसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेपकरना ही पड़ता। वास्तव में यहां पर यह सवाल नहीं था कि जितनी आजादी युनिवर्सिटी की है उस में कमी है और इस वजह से हमें उसे ज्यादा आमदनी देना चाहिये प्रत्युत जितनी आजादी है उसका दुरुपयोग हुआ है और उस पर प्रतिबन्ध होना आवश्यक है। यह ठीक है कि आजादी करटेल की जा रही है लेकिन वह इसलिये करटेल की जा रही है कि उतनी आजादी तो रहे जिससे युनिवर्सिटी को विकास का मौका रहे लेकिन वहां उन सब बातों को स्थान न मिल पाये जिनके कारण शिक्षा का स्तर गिरा, हमारी बदनामी दूसरे देशों में हुई और शिक्षा का पवित्र मंदिर पार्टी बाजी का अखाड़ा बन गया। जब हमारे सामने यह दुखद अवस्था आई तो मजबूर हो कर सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब सवाल यह है कि जो सरकारी हस्तक्षेप हुआ है उससे क्या वास्तव में कोई आटोनामी को धक्का पहुंचा है। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी होना चाहिये और इस बात को तो स्वयं हमारे शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है लेकिन क्या टैक्स पेयर के रुपये का दुरुपयोग होता रहे और गवर्नमेंट उस पर हाथ पर हाथ रख कर देखती रहे ऐसा सम्भव हो सकता है। आखिर जो जनता के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनका भी यह कर्त्तव्य है कि वह देखें जो रुपया शिक्षा के लिये दिया जा रहा है वह उचित रूप से व्यय हो रहा है या नहीं।, अगर आटोनामी में यह प्रतिबन्ध भी न हो तो वहां आटानामी की नहीं, एक सेपरेट स्टेट की मांग है। इसलिये जब ऐसी हालत उत्पन्न हुई तो सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया।

हमारे मित्र श्री नारायण दत्त जी ने कहा उनको डाक्टर अमर नाथ झा के यह शब्द तीर की तरह चुभे कि "अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोग शिक्षा में आज हस्तक्षेप कर रहे हैं।" अगर हम जरा ठंडे दिमाग से विचार करें तो यह देश ही अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोगों का है और वही इसके मालिक हैं और उन्हीं का नियंत्रण देश के सब कामों में चलता है। हमारी कोई भी संस्था हो उसका उत्तरदायित्व उन्हीं के प्रति है इसलिये युनिवर्सिटी भी अपने को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में नहीं रख सकती और जिनका वह पैसा लेती है उनके प्रति उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते अगर वह उस सेवा को पर्याप्त रूप से नहीं करती है जो उनको सौंपी गयी है, तो हस्तक्षेप करने का अधिकार है और वह केवल स्टेट द्वारा ही लागू हो सकता है।

सच बात तो यह है कि उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो इस समय पावर में है, अन्य अध्यापकगण भी जो युनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं अपनी संस्था की वर्तमान दशा में दुःखी हैं। यह हो सकता है कि जहां तक एक दो धारा से उनका मतभेद हो लेकिन अधिकतर ऐसे होंगे जो यह कभी नहीं चाहेंगे कि आटोनामी का फ़ेटिश बना कर युनिवर्सिटी की दुर्दशा होने दें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट के इन्टरवेन्शन की जो बात कही जाती है और जो समाजवादी दल के सदस्य विशेषरूप से कहते हैं सो आज हर डिपार्टमेंट आफ लाइफ में स्टेट का इन्टरवेन्शन बढ़ रहा है। फैमिली लाइफ में स्टेट इन्टरवेंशन ला आफ मैरिज ला आफ इनहेरिटेन्स, ला आफ सक्सेशन द्वारा हुआ है और हो रहा है और हर तरह से हमारे पारिवारिक जीवन बदल रहा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप देखें तो प्राहिबिशन के कानून द्वारा स्टेट हस्तक्षेप कर रही है। आज मैंने सुना कि कौंसिल में एक प्रस्ताव है कि ब्युटी कम्पेटीशन को पेनलाइज किया जाय। इसी तरह से शिक्षा का भी उससे बचा नहीं है और वह शिक्षा का क्षेत्र जो युनिवर्सिटी से भी

ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां पर बालकों का चरित्र निर्माण होता है जो बाद में नहीं हो पाता यानीं हमारी प्रारम्भिक शिक्षा जहां बालक पांच वर्ष से लेकर १६ और १८ वर्ष तक शिक्षा पाते हैं। यह भी आज हमारे स्टेट के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त हमारे धर्म का सवाल है वहां भी हम यह मांग करते हैं कि मन्दिरों में भी स्टेट हस्तक्षेप करे तथा गोबध कानून द्वारा बन्द करे। तो मैं यह कह रहा था कि स्टेट का हस्तक्षेप सही है या ग़लत यह सवाल नहीं है लेकिन स्टेट हस्तक्षेप की मांग है और स्टेट का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसलिये अपने समाजवादी मित्रों से खास कर कहना चाहता हूं कि जो मार्क्स के अनुयायी कलेक्टिवाइजेशन की बात कहते हैं.....

श्री राजनारायण---जो मार्क्स के अनुयायी हों बिलकुल उनसे कहिये। कहीं कलेक्टिवाइजेशन की बात नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---कई दफे आप की तरफ से नेशनलाईजेशन की बात कही गयी है और कलेक्टिवाइजेशन की भी मांग की गयी है जिससे नागरिक राज्य का एक hireling मात्र बन जायगा, ऐसी मेरी धारणा है। बहरहाल स्टेट का क्षेत्र व्यापक होता चला जा रहा है और जब ऐसा होता चला जा रहा है तो मैं पूछता हूं कि अकेली युनिवर्सिटी ही कैसे बची रह सकती है। यह हस्तक्षेप ठीक है या गलत यहां हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन वास्तव में आज स्टेट का स्टीम रोलर चला जा रहा है और जो सदियों से पुराने हमारे तरीके थे, जैसे परिवार की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था उन दुर्गों को भी ढाता चला जा रहा है। वह यूनिवर्सिटी आटोनामी की निर्बल व तंग दिवारों पर क्योंकर रुकने लगा। हम सारी राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था का ढांचा ही बदलें तब तो बात दूसरी है वरना स्टेट अपना इंटरवेंशन बढ़ाती ही चली जायगी।

माननीय महावीर प्रसाद जी ने जो बात कही उसमें कुछ कांसिस्टेंसी है लेकिन माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने चाइना (China) का उदाहरण दिया और माननीय राजनारायण जी ने जेनरल और इंडिविजुअल विल एक होने की कही बात। रामनरेश जी ने चीन की शिक्षा की प्रशंसा में कहा कि वहां के जो नेता थे उनके ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं कोई कहता। मुझे बड़ा अचम्भा होता है कि एक ओर तो आटोनामी की बात कही जाती है। दूसरी ओर कम्युनिस्ट देशों के उस (Indoctrination) की प्रशंसा की जाती है जो शिक्षा के लिये सबसे बड़ा ख़तरा है। जनरल विल और इंडिविजुअल तो संसार में केवल डंडे के बल से ही एक हो सकी है जैसा रूस में हुआ है और तो कहीं संसार में देखा नहीं गया।

इस बिल में Indoctrination की बात कोई नहीं है यह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म है। शिक्षा के विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ऐकेडेमिक कौंसिल के काम्पोजीशन में उसके कांस्टूट्यूशन में कोई किसी तरह की तब्दीली नहीं है। एक्जीक्युटिव कौंसल में और कोर्ट में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन अभी तक बराबर रहता आया है। उसमें कमी करने का या बढ़ाने की बात से कोई सिद्धांत का अन्तर नहीं पड़ता इसलिये मैं समझता हूं तीन के बजाय चार पांच या पांच मेम्बर Executive Council में कर देने से कोई ऐसा बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता और खास तौर से एकेडेमिक कौंसिल में तो गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। तो आज यूनिवर्सिटी को पूरी स्वतंत्रता है कि वह जिस तरह से चाहे अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करे, उसका स्तर जितना चाहे उठाये। शिक्षा प्रणाली में चाहे जिस प्रकार संशोधन करे, इन सारी बातों में कोई रोक उसे नहीं है। अगर वह शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना चाहती है तो उसके लिये काफी एकेडेमिक फ्रीडम मौजूद है। इसलिये मैं समझता हूं इस बिल में कोई ऐसी दोषपूर्ण बात नहीं आयी कि जिससे कि हम यह समझें कि युनिवर्सिटी की शिक्षा में या उसके उन्नति में कोई बाधा पड़ने वाली है या सरकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप होने वाला है। ऐसी मेरी धारणा है।

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

माननीय नारायण दत्त जी ने एक दो बात अपने मिनिट आफ डिसेंट में कही है। उन्होंने इस आटोनामी के बारे में लिखा है और कोटेशंस भी दिये हैं लेकिन अगर वह देखें तो मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इसके खिलाफ कोटेशन्स भी मौजूद हैं। मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि स्टेट और युनिवर्सिटी की एक पार्टनरशिप है यह फाइनल कन्क्ल्यूज़न है जिस पर कि मूथम इन्क्वायरी कमेटी पहुंचती है। लेकिन कोई पार्टनरशिप कोई ऐसी नहीं होती कि एक पार्टनर जो मन आये करता रहे और दूसरा बैठा देखता रहे। कमेटी ने कहा है:—

"The development of University education is a matter which is of direct concern to the State. It cannot remain indifferent to what a University does. On its part the University needs ever larger grants of public money to enable it to arry out its tasks. Clearly, we think, the relationship between them being the fact that both seek to serve the cause of higher education."

यह मूथम कमेटी का एक तरह से अन्तिम निर्णय है। इसमें यह भी लिखा है कि :—

"Against such a background disputation about the precise limits of Univerity autonomy or of the right of government interference would appear to be somewhat doctrinaire and unfruitful. Such a partnership must however be based on mutual respect."

श्री नारायण दत्त तिवारी—एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का डामिनेशन भी स्वीकार न करे।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी—डामिनेशन नहीं है यह तो मैंने अभी कहा। क्योंकि प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ा दी गयी है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। अगर पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल में तीन मेम्बर सरकार द्वारा नियुक्त होते थे तो अब जितने डीन्स हैं उनकी संख्या के अनुपात से शायद उनकी संख्या ५ हो जायगी। इसी तरह से कोर्ट में संख्या बढ़ा दी गयी है, लेकिन फिर भी उनमें बहुमत गवर्नमेंट का नहीं होता है। वाइस चांसलर के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है उसमें यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अगर यूनानिमस रेकमेंडेशन भेज देती है तब तो कोई सवाल नहीं आता और अगर नहीं भेजती तो चांसलर का डिस्क्रिशन अवश्य रहता है। मेरे मित्र श्रीनारायणदत्त जी ने जो नोट आफ डिसेंट लिखा है उसमें उन्होंने दिल्ली और राजपूताना युनिवर्सिटीज़ की एक्जाम्पुल दी है और उसमें सुझाव दिया है कि हम एक सेलेक्ट कमेटी बनावें और फिर वह ३ नामों को भेजे और उसमें से एक्जीक्यूटिव कौंसिल यूनानिमस रेकमेंडेशन तो करे यह तो वह वैसे भी कर सकती है। Executive Council एक सेलेक्शन कमेटी को एप्वाइंट कर सकती है। लेकिन वाइस चांसलर का सेलेक्शन उस तरह से नहीं होता जैसे कि टीचर्स का सेलेक्शन। वैसे कड़ों व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि जिन्हें वाइस चांसलर बनाया जा सके। वहां तो चुने हुये नाम रहते हैं और उन नामों में किसके लिये हमारी युनिवर्सिटी है यही एक सवाल रहता है और अगर वह सवाल हल हो सकता है तो मैं समझता हूं कि अलहदा सेलेक्शन कमेटी न बनाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह अधिकार अब भी है कि बजाय इसके कि वह ऐक्ट के जरिये एक सेलेक्शन कमेटी बनायी जाय। एक्जीक्यूटिव अपने अधिकार से भी बना सकती है जो कि नामों की सूची कौंसिल के सामने पेश कर दे। यह तो बहुत आसान बात है कि रोजमर्रा के मैनेजमेंट की बात है। जो पासिबुल नेम्स हैं उनको एक्जीक्यूटिव सामने रख दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार यह किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि हम युनिवर्सिटी की आजादी छीन रहे

हैं। यह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म है और यह भी इस कारण से कि कुछ दोष हमारे सामने आये। बहुगुणा जी ने कहा कि रुपया नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से युनिवर्सिटी पिछड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि रुपये की कमी है। लेकिन मैं यह जरूर पूछूंगा कि अगर १५ लाख रुपये डीअरनेस एलाउन्स में खर्च किये जा सकते हैं तो क्या १५ लाख रुपये इसी तरह से स्टूडेंट्स के हित में खर्च नहीं किये जा सकते थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बारह लाख की ग्रान्ट दी। एक लाखहजार पच्चीस की ग्रान्ट प्रांविशयल गवर्नमेंट ने दी यह साधारणग्रान्ट से अधिक दी गयी है। मैं यह नहीं कहता कि जो जरूरत है वह इससे पूरी हो गई। लेकिन दूसरी युनिवर्सिटीज के अनुपात से मैं समझता हूं, इलाहाबाद युनिवर्सिटी को किसी तरीक़े से पैसे की कमी नहीं है। जो और युनिवर्सिटीज हैं जिनसे आप दूसरे कालेजेज से एफिलिएट करना चाहते हैं और जो एक तरीके से आपकी दृष्टि में हरिजन क्लास में आती हैं उनको इतनी ग्रान्ट नहीं मिलती। अगर केवल रुपये के बल पर आप एक स्टेंडर्ड रखना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है। रुपये की मांग इस बिल के द्वारा पूरी भी नहीं की जा सकती। उसकी पूर्ति गवर्नमेंट के फंडस पर निर्भर है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है और उसके लिये शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं उसके लिये स्वतंत्रता है और इसमें मुझे सरकार का कोई हस्तक्षेप दृष्टि गोचर नहीं होता। यह बात दूसरी है कि शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इस बिल द्वारा नहीं किया गया लेकिन बहस में इस ओर सुझाव देने के बजाय रुपये की कमी और पूर्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह मांग तो सभी संस्थाओं से होती है लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल से इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि इस बिल का जो सीमित दृष्टिकोण है उसी से हम इसे देखें तो यह किसी तरह से भी युनिवर्सिटी के लिये अहितकर सिद्ध नहीं होगा बल्कि जो दोष उसमें आ गये हैं वह निकल सकें और युनिवर्सिटी हमारी ज्यादा तरक्की कर सकेगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब तक जो भी बहस इस सदन में इस विधेयक के ऊपर हुई है उसको सुनने के बाद एक चीज तो बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि अगर पार्टी राजनीति इस विधेयक पर न लागू की जाय तो यह विधेयक बे मौत मरेगा जो इसे मरना चाहिये। और अगर इस बहस के बाद माननीय शिक्षा मन्त्री इसके वापस लेने का या इसके खातमें का एलान करें तो मैं समझूंगा कि सारी युनिवर्सिटीज की तरफ से उनको बहुत बड़ी प्रशंसा प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य इस विधेयक में बतलाया गया है, मैं समझता हूं कि वह असली बात नहीं है। १९२१ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर एक कानून बना हुआ था जिसके मातहत इलाहाबाद युनिवर्सिटी ने अत्यन्त तरक्की, जिसके बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने लोग बोल चुके हैं उन्होंने गुणगान किया। आखिर आज कौन सी जरूरत इस बात की पड़ी कि उसमें इतने ड्रास्टिक चेंजेज किये जायं? क्या शिक्षा के क्षेत्र में इलाहाबाद युनिवर्सिटी पीछे हट रही है? क्या उन सुन्दर परम्पराओं को अब वह शिक्षा संस्था ठुकरा रही है जिसको उसने तीस वर्षों में प्राप्त किया है? मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के प्रस्तुत करने की अपनी एक पृष्ठभूमि है और उस पर ध्यान देना पहले जरूरी है। १९५३ में इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर जो दूसरी युनिवर्सिटियों के भी चांसलर हैं और जिनका संबंध इस सरकार से है उन्होंने वाइसचांसलर की एक कांफ्रेंस नैनीताल में बुलायी थी। उसमें शिक्षा के गिरते हुये स्तर पर और छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासन होनता पर विचार किया गया था। उसके बाद जो एक के बाद दूसरे कदम बढ़ाये गये वह यह बतलाते हैं कि उस कांफ्रेंस में क्या विचार विनिमय हुआ होगा और उसमें क्या फैसला लिया गया। विद्यार्थियों के भीतर बढ़ती हुई जनवादी नेता चेतना और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक दृढ़ भावना और मास्टरों के अन्दर बढ़ती हुई अशान्ति और सरकार के कदमों से जो उसमें मायूसी पैदा हुई और उसी के कारण उनमें

[श्री झारखंडे राय]

यह असन्तोष का भाव आया जिससे वे भी अन्य लोगों की भांति सरकार के आलोचक हो गये, इन सब बातों पर विचार हुआ । इसलिये सरकार न उस तरफ कुछ कदम बढ़ाना जरूरी समझा । पहला कदम उन्होंने उठाया कि टीचर्स के लिये सर्विस बुक का प्रयोग किया जाय । मैं समझता हूं सभी सदस्य यहां पर इस बात को जानते हैं कि इसका घोर विरोध हुआ टीचर्स की संस्थाओं की ओर से और नतीजा यह हुआ कि वह चीज अमल में लागू न हो पायी । विद्यार्थियों की यूनियनों को कंट्रोल करने के लिये सरकार ने जो क़दम उठाये उसका नतीजा पारसाल इसी लखनऊ में हम लोग देख चुके हैं और अन्त में सरकार को झुकना पड़ा और विद्यार्थियों कीयूनियन का विधान वही स्वीकृत हुआ कुछ तरमीम के साथ, जो जो विद्यार्थियों क प्रतिनिधि चाहते थे । अब चूंकि सरकार और युनिवर्सिटी के चांसलर ने यह समझ लिया कि संयुक्त विरोध होने से हम इस बात को नहीं कर पायेंगे इसलिये उन्होंने पीसमील एक एक टुकड़ा कर के अपनी उन योजनाओं को लागू करने का फैसला किया । दो बार असफल होने के बाद यह तीसरा कदम उठाया गया है जो पूरी राज्य शक्ति के साथ उठाया गया है कि युनिवर्सिटी के कानून में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जायं जिससे ये चीजें करा सके जो कि सरकार चाहती है । माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी स्पीच में पार्टी पालिटिक्स का जिक्र किया और कहा कि यूनिवर्सिटी में दलबन्दी बहुत ज्यादा है और उस दलबन्दी से ऊपर उठने के लिये उन मास्टरों की और विद्यार्थियों की शिक्षा संस्थाओं के लिये माननीय शिक्षा मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे कई सदस्यों ने जो इस तरह बैठते हैं उन्होंने भी कहा है क्या आज के युग में जिसका ठेकेदार होने का सरकार दावा करती है, यह सम्भव है कि पोलिटिक्स से ऊपर कोई उठ सके । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ही पूछता हूं कि क्या वह पार्टी पोलिटिक्स के ऊपर हैं । क्या इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर की कोई राजनीति नहीं है, क्या उनका कोई अपना थाट नहीं है ? क्या यह सम्भव नहीं है कि उनके विचारों का असर आस-पास के लोगों पर पड़े ? क्या वह इस बात का प्रयास नहीं करेंगे कि वह अपने सिद्धान्तों के अनुसार उसको चलाने की कोशिश करें । इस तरह से दिवा स्वप्न देखना एवं वस्तु -स्थिति से जानबूझ कर आंख मूदना माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिये सर्वथा अनुचित है ।

यह कौन नहीं जानता कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में, माननीय मंगला प्रसाद जी मुझे मुआफ करेंगे, मंगला प्रसाद जी की ही एक तरह जमींदारी है । कौन नहीं जानता इस बात को कि आज गुप्ताजी की इच्छा के बगैर लखनऊ युनिवर्सिटी में पत्ता तक नहीं हिल सकता

(आवाजें—लखनऊ युनिवर्सिटी में .....

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद युनिवर्सिटी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—खैर अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का केवलइतना ही मतलब था कि पार्टी पोलिटिक्स की बात कर के असलियत को दूर हटाना उचित नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी जब राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हैं तो उनके दिल में एक बुनियादी बात रहती है और वह यह है कि उनकी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और सरकार की राजनीति राजनीति नहीं है और वह उससे ऊपर आध्यात्मिक विषय हो जाता है और दूसरे दलों की राजनीति, दूसरे गुटों की राजनीति राजनीति है । अगर यह बात नहीं होती तो यह कहना कि दलबंदी से ऊपर उठने के लिये जो मामूली गुट हैं, उनसे मुक्त करने के लिये ही शिक्षा मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया हैं अर्थहीन बात है । लेकिन असलियत यह है कि यह विधेयक छोटी-छोटी गुटबाजी और गुट बंदी से हटाकर यूनिवर्सिटी को बड़े अखाड़े बाजी के पहलवान बना देता है ।

कौन नहीं जानता कि पिछली एसेम्बली में उपचुनाव के लिये आम चुनाव से पहले जब माननीय किदवई इस सदन की सीट, जब वह केन्द्र में चले गये, खाली हुई तो युनीवर्सिटी निर्वाचन क्षेत्र की उस सीट को भरने के लिये, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो अब सागर युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, श्री राम प्रसाद त्रिपाठी ने कांग्रेस टिकट पाने की कितनी कोशिश की थी। लेकिन उस समय उन्हें वह टिकट न दे कर श्री श्रीधर मिश्र जी को टिकट दिया गया था। क्या उसके पीछे कोई राजनीति नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष—यह आप असंगत हो रहे हैं। चुनाव वगैरह से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री झारखंडे राय—मैं समझ रहा हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे जो पृष्ठ भूमि है उसकी रोशनी में हमें इस विधेयक को देखना चाहिये अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार समाज और जन-जीवन के हर क्षेत्र में एक विशिष्ट उद्देश्य से काम कर रही है। वह यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आधारित हिन्दुस्तान में पूंजीवाद सामंतशाही मिश्रित व्यवस्था चिरस्थायी बने। इसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में परिवर्तन किये जा रहे हैं। यह परिवर्तन, शिक्षा की ओर, इसका एक कदम है। इस चीज को यदि हम नहीं समझेंगे तो, माननीय सदस्य जो उस तरफ के बैठने वाले हैं और जो इस विधेयक के विपक्ष में बोल चुके हैं और बड़ी ईमानदारी से अपनी प्रबल विरोधी भावना को प्रकट प्रकाशित किये हैं वे अन्य क्षेत्रों में सरकार के इससे प्रतिगामी कदमों का समर्थन कर सकते हैं, इसका भय है। पिछले कई वर्ष से ऐसा समय समय पर दिखाई पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक खतरे की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो कुछ परिवर्तन विधेयक के जरिये किया गया है वह राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के नाम पर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी मूथम इंकवायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है ऐसा सरकार का दावा है। जिस प्रकार गांधी जी के नाम पर गांधीवाद और गांधीवादी सिद्धान्तों और मान्यताओं की हत्या सरकार के सदस्य कर रहे हैं, और वह भी बहुत ही सजग और सचेतन होकर कर रहे हैं। उसी तरह से राधाकृष्णन कमीशन और मूथम कमेटी की रिपोर्टों के नाम पर यह विधेयक पेश कर , उन कमेटियों की मूल भावना की हत्या की जा रही है। उसकी पूरी आत्मा का हनन किया जा रहा है। मैं उस दूसरे खतरे की ओर आप का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारी यूनिवर्सिटीज के जीवन में, हमारे देश और प्रदेश के सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन में एक खतरनाक घुसपैंट हो रही है, और वह भी देश के बाहर से हो रही है। उसकी तरफ मैं इस सदन में भी कई बार कह चुका हूं। उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने भी इसकी ओर कई बार इशारा किया था। और मैं महसूस करता हूं, कि उस अमेरिकन प्रणाली की राजनीति, पद्धति की घुसपैठ इलाहाबाद युनिवर्सिटी के चांसलर के माध्यम के जरिये हो रही है। इस खतरे से अगर सरकार चैतन्य नहीं हुई, सांस्कृतिक और शिक्षा जीवन में अगर हम गुलाम बन गये और अगर हमने अपने देश की आत्मा को खो दिया तो हम अन्य क्षेत्रों में फिर से गुलाम हुये बिना नहीं रह सकते।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय रामनरेश जी ने चीन की कुछ चर्चा की। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चीन और रूस का नाम सुन कर अब किसी को चौकने की जरूरत नहीं है। वह एक आबजेक्टिव रियलिटी है। कोई चाहे उससे सहमत हों या न हों लेकिन सुनते ही चौक पड़ना उचित नहीं। अगर माननीय राम-नरेश जी ने इंग्लैन्ड का , अमरीका का नाम लिया होता तो यहां बैठे बहुतों पर कोई असर नहीं होता। हमारे जो चीनी महान् पड़ोसी हैं जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, जिसका वर्णन विजय लक्ष्मी पंडित , इन्द्रा गांधी, राधाकृष्णन और पनिकर ने भी

[श्री झारखंडे राय]

किया है हमें उधर ध्यान देना चाहिये । क्या माननीय शिक्षा मंत्री के लिये जरूरी नहीं है कि वह रशन एजुकेशन, सिस्टम का भी अध्ययन करें। क्या उसके लिये इसकी जरूरत नहीं है कि इन दो महान् पड़ोसी देशों , जिनसे हमारे देश का शताब्दियों से सम्बन्ध रहा है, और वह टूटी हुई कड़ी और अब एक बार फिर स्थापित हुई है, आज किस तरह चीन में ढाई साल के अन्दर, जो चंकाईशेक के समय में ८० फीसदी लोग निरक्षर थे, १६५७ तक पूरी जनता को , चाहे वह बालक हों, या वृद्ध हों, स्त्री हो या पुरुष सब को साक्षर करने जा रहे हैं, के अनुभवों से लाभ उठावें। आचार्य नरेन्द्रदेव जी कम्युनिस्ट नहीं हैं। वे चीन गये थे।

श्री अध्यक्ष —मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटी एजुकेशन पर आप को आना चाहिये । अगर चीन का भी उदाहरण दें तो वह यूनिवर्सिटी का दीजिये । प्राइमरी एजुकेशन का सवाल यहां नहीं आना चाहिये ।

श्री झारखंडे राय—मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेन्द्रदेव जी ने भी जो वक्तव्य दिया, उन्होंने इतना ही कहा कि चीन की युनिवर्सिटी एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे भारतीय युनिवर्सिटी एजुकेशन तथा योरप और अमरीका युनिवर्सिटी से कम है क्योंकि वहां सरकार का ध्यान सार्वजनिक शिक्षा पर अधिक है ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि रूस और चीन का नाम सुन कर भड़कने की जरूरत नहीं है । हर क्षेत्र में जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है उसको देखना और अध्ययन करना चाहिये और जो चीजें हमारे यहां लागू हो सकती हों, लागू करने के लायक हों, उनको लागू करना चाहिये, बिना इस खयाल के कि वह किस देश की हैं किस देश की नहीं हैं । यह वैज्ञानिक धारणा है, यही एक रैशनल विचार है जो कि हमें बनाना चाहिये । इसलिये अध्यक्ष महोदय, प्रयाग विश्वविद्यालय पर जो पालिटिक्स का कंट्रोल है मैं समझता हूं कि वह हटना चाहिये । उसी तरीके से जैसा राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युनिवर्सिटी को पालिटिक्स से फ्री रखा जाय । अगर एक प्रकार की पालिटिक्स युनिवर्सिटी में घुसेगी, किसी भी रूप में, वह रुपये का रूप रख कर, तो दूसरी राजनीति भी उसकी ऐंटीथीसिस के रूप में जरूर आयेगी और संघर्ष होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी एक ऐसा विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत करें कि जिसमें किसी प्रकार से विश्वविद्यालय में पालिटिक्स में घुसने की गुंजायश न हों । उनका वह प्रयत्न ऐसा होगा कि जिसकी सभी प्रशंसा करेंगे । वाइस चांसलर के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गयी है यह बहुत ही कमी की बात है । जब आप उसको सैलरी देंगे तो उनकी योग्यता भी तय करना जरूरी था । इसका अर्थ यह होगा कि जब हम देखेंगे कि कोई आदमी हमारी पार्टी का है और वह सरकार का समर्थक है तो उसको वाइसचांसलर बना दिया जायगा ताकि युनिवर्सिटी में, जहां पर विद्यार्थी और टीचर एक ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहां पर वह सरकार के समर्थक टीचर और स्नातक तैयार कर सकें ऐसा किसी समय अंग्रेजों ने किया था । अपनी सुविधा के लिये उन्होंने यहां पर अंग्रेजी भाषा की पद्धति चलायी थी ताकि उनको क्लर्क अपने काम के लिये मिल सकें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जो कि प्रगति की ओर हो, और क्रांतिकारी सुधार की ओर हो। यह परिवर्तन जो विधेयक के द्वारा लाया गया है हमको सन् २१ से आगे नहीं ले जा रहा है, बल्कि बहुत पीछे हटा रहा है । जो अख्तियार शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त थे उनको छीना गया है । नये अधिकार उनको दिये नहीं गये हैं बल्कि पहले से प्राप्त अधिकार लिया गया है । यह प्रतिक्रियावादी कदम है जिसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता । आज आप सदन में देख रहे हैं, यहां पर जो आलोचना हुयी है, उनमें अधिक उधर लोगों ने ही की है जो कि सरकार के समर्थक रहे हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये एक इशारा और चेतावनी होना चाहिये। सरकार इन बातों पर विचार करे और कम से कम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं तो कम

से कम अपनी तरफ के लोगों की मन्शा के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश करे । इतिहास का मुझे एक किस्सा भी याद आ गया । एक समय तेरहवीं सदी के प्रारम्भ में बख्त्यार खिलजी ने नालन्दा और विक्रमशिला को जलाया था लेकिन उनकी अमर आत्मा को वह नहीं मार सका था, आत्मा तो अमर है वह मर नहीं सकती है । गीता में कहा गया है कि

"नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।
न यैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयतिः मारुतः"

आत्मा किसी प्रकार मारी नहीं जा सकती है । इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री इस विधेयक के जरिये कितना ही उसको समाप्त करने की चेष्टा करें और चाहे जिस प्रकार से अस्तित्व पर कुठाराघात करने का प्रयत्न करें लेकिन युनिवर्सिटी की आत्मा अमर रहेगी और बख्तियार खिलजी का उदाहरण भारतीय इतिहास में शिक्षा मंत्री द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों का सम्बन्ध है उन सिफारिशों में से जो खास चीजें हैं उनकी ओर इस सरकार ने इस विधेयक में कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस तरह से राजनीति से मुक्त रखने की बात कही गयी है उसके लिये उसकी सिफारिशों पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया है। यह विधेयक केवल इसलिए पेश किया गया है कि युनिवर्सिटी पर सरकार का कंट्रोल रहे और वह कंट्रोल हमेशा के लिये उसको प्राप्त रहे । सरकार जिस तरीके से चाहे उसे अपनी इच्छानुसार चलावे । सरकार जिस प्रकार हर क्षेत्र में छा जाना चाहती है उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वह छा जाना चाहती है और इस विधेयक द्वारा सरकार का मंशा युनिवर्सिटी की प्राप्त अटोनामी भी नष्ट करना मालूम पड़ता है। (माननीय शिक्षा मंत्री के कुछ कहने पर) माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को भूल जाते हैं कि हम उनके प्रजातंत्र में रह रहे हैं और यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने जिस जनवाद का पाठ हम लोगों को पढ़ाया है हम लोग उसी के अन्दर भ्रम रहे हैं। मालूम यह होता है कि जब हम यहां बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उनके ऊपर रूस और चीन का भूत छा जाता है। वे यह नहीं जानते कि रूस की अपनी परिस्थितियां थीं, चीन की अपनी परिस्थितियां थीं और भारत की अपनी परिस्थितियां हैं। जब चीन में रूस की वे पूरी बातें नहीं अपनायी गयीं तो भारत में उसकी सारी बातें कैसे अपनायी जा सकती हैं। हमारे देश की जो विशिष्ट राष्ट्रीय परिस्थितियां होंगी उन्हीं के अनुसार हमारे भारत का आदर्श होगा। इसलिये हमें इस बुनियादी बात को नहीं भूलना चाहिये। इसको कोई भी नहीं भुला सकता कि हिन्दुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। इसका दुनिया में बड़ा भारी स्थान रहा है, दुनिया की राजनीति में हमेंशा से उसका एक बड़ा भारी रोल रहा है और आज भी है। उस देश में किसी देश की हूबहू नक़ल होगी अथवा हो सकती है, इसको माननीय मंत्री जी को अपने मन से सदा के लिये निकाल देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक दो बातों की तरफ मैं आप का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। जिस पुस्तक का आदरणीय राम नरेश जी ने हवाला दिया उसकी ओर आप का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। वह डा० जगदीश चन्द्र जैन जो कि पेकिंग युनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, के द्वारा लिखी गयी है। उन्होंने दो तीन बातें बड़े मार्के की कही हैं। उन्होंने कहा है :—

"पहले चीन के विश्वविद्यालयों का पठन पाठन पूंजीवादी आदर्शों पर चलता था जो एक प्रकार से जापान और अमेरिका के विश्वविद्यालयों की नकल थी । उस समय चीन का इतिहास तोड़ मोड़ कर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था । वस्तुतः विदेशी सामंतशाही आदर्श चीन की उन्नति में सदा बाधक रहे हैं । इस लिये साम्राज्यवादी और सामंतशाही पिछड़ी हुई जनविरोधी की मनोवृत्ति में सुधार करना चीन की आधुनिक शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है ।"

यह चीज बिलकुल सोलहों आना हमारे देश पर भी लागू होती है । बड़ी मुश्किल तो हमारे सामने यह आ जाती है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कहने को गांधीवाद की बातें

[श्री झारखंडे राय]

कहेंगे, लेकिन उस पर चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। रूस और चीन की बात तो छोड़ दीजिये। अमेरिका और ब्रिटेन की नक़ल करने में भी उनको डर लगता है। उनकी जो नीति है वह एक मिली-जुली नीति है। वे त्रिशंकु की भांति बीच में ही लटके हुये हैं। किस उद्देश्य से वे शिक्षा दे रहे हैं, किस उद्देश्य को अनुप्राणित करने के लिये वे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसका उन्हे स्वयं भी पता नहीं मालूम पड़ता। श्री जैन आगे कहते हैं—

"वे समाज के विषय में अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। विद्यार्थियों की भी यही दशा थी। उनका अध्ययन निरुद्देश्य होता था। किसी प्रकार परीक्षाएं पास कर के नौकरी प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। परन्तु नये चीन के विद्यार्थियों को नियोजित रूप से शिक्षा दी जाती है।"

अध्यक्ष महोदय, भारत में भी यही हालत है। हमारे देश का आज का विद्यार्थी, चाहे वह युनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, चाहे कालेज का स्टुडेंट हो, चाहे उसने मैट्रिक पास की हो, सब यही चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाय। बेकारी का भूत सबके सिर पर सवार रहता है। जो परम्परा अंग्रेज यहां छोड़ गये थे, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में उनकी जो नीति थी उसको दूर हटाने की अभी तक कोशिश नहीं की गयी। अपने ही आदर्श को अपनाते वह भी नहीं हुआ। तक्षशिला और नालंदा आदि का आदर्श भी नहीं अपनाया गया और आधुनिक युग में तमाम दूसरे देशों में शिक्षा की किस प्रकार उन्नति हुई है उसको भी अपनाने की हिम्मत नहीं होती है। जो भी शिक्षा में चल रहा है वह सब हौच-पौच चल रहा है। जिस प्रकार और सब क्षेत्रों में यह सरकार नाकामयाब रही है उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी वह नाकामयाब हो रही है। एक महत्व की बात यह है कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसका वास्ता मस्तिष्क से रहता है और अगर किसी का मस्तिष्क विकृत हो जाता है तो उसका असर सारे शरीर और समाज पर पड़ता है। जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे मार्ग में अनेक बाधायें उपस्थित होती रहेंगी। एक हिन्दी के सवाल को ही ले लीजिये। बहुत से, अगर मगर के साथ हिन्दी का प्रस्ताव पास हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी उसको जानते हैं कि हिन्दी को सही माने में लागू नहीं किया जा रहा है। इसके लिये अनेक दिक्कतों का कारण बताया जाता है।

चीन में क्या दिक्कतें कम थीं? डाक्टर जैन ने लिखा है कि "नये चीन के विश्व-विद्यालयों में चीनी भाषा द्वारा शिक्षण होता है। उचित पाठ्य पुस्तकों के अभाव में, प्रोफेसरों को अपने नोट्स आदि तैयार कर के पढ़ाना होता है"। यहां पर सरकार की तरफ से मातृभाषा और हिन्दी का जबानी जमा खर्च किया जाता है और इतने दिन घोषणा होने के बाद बीत गये परन्तु आज तक पूरे तौर पर हिन्दी में कार्य किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। अभी यहां किसी सदस्य ने अनुशासन के कड़ेपन की तारीफ की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अगर यह बात थी, तब तो एक महत्वपूर्ण इस तरह का बिल लाने की आवश्यकता थी जिससे शिक्षा प्रणाली में ही आमूल परिवर्तन हो जाता, जिससे हम विदेशी शासन की पुरानी परम्पराओं से निकल कर अपने देश की नयी संस्कृति, नयी शिक्षा और समाज में उत्थान को लेकर आगे बढ़ पाते, परन्तु दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस तरह की कोई चेष्टा सरकार की ओर से बिल में नहीं की गयी है। चीन की सरकार की जो शिक्षा सम्बन्धी नीति है, उनका जो नया जनवादी शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम है, वह मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"The culture and education of the People's Republic of China shall be New Democratic-national scientific and popular. The main tasks of the people's Government in cultural and educational work shall be the raising of the cultural level of the people, the training of personnel for national construction work, the eradication of feudal, compradore and fascist idealogy and the promotion of the idealogy of service to the people"

अध्यक्ष महोदय, इस आदर्श की व्याख्या करते हुए चीनी जनतंत्र के माओ त्से तुंग ने एक जगह कहा था :—

"The work of reforming education in old-style schools and of reforming the old social culture should be carried out methodically and carefully. All patriotic intellectuals should be won over to serving the people. On this question, procrastination and reluctance to carry thorough reform is incorrect; but rashness or attempts to carry thorough reforms pracipitately is also incorrect."

इस तरह सरकार, जो इस प्रदेश में और देश में कायम है उसको भी हिम्मत के साथ और साहस करके शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत और स्थायी कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारे विद्यार्थियों का और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का जीवन उन्नत हो सके और सरकार के कन्ट्रोल से शिक्षा संस्थायें यथासम्भव मुक्त वातावरण में रहें, डेमोक्रैटिक उसूलों पर कायम युनिवर्सिटी हो, और वहां से निकले हुए स्नातक देश और समाज के लिए उचित पात्र और सहयोगी साबित हों।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट की शिकायत करना चाहता हूं। मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता और बहुत साफ कहना चाहता हूं। शिकायत मैं इसलिए करता हूं कि यह बिल देर में लाया गया है, यही सख्त शिकायत है, बिल तो वैसे बहुत अच्छा है, मन्त्री महोदय ने निहायत बुद्धिमानी और निहायत होशियारी से तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने भी एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी बहुत मेहनत से इसको पेश किया है इसलिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना अच्छा बिल आने पर भी यहां उसकी मुखालिफत हुई और मुखालिफत केवल विरोधी पार्टी ने ही नहीं की, बल्कि वह ट्रेजरी बेंचेज की ओर से भी हुई। मेरे ख्याल से तो श्री राम नारायण जी भी इसके समर्थक हैं, लेकिन चूंकि वह उधर विरोधी पक्ष में बैठते हैं, इसलिए वह इसकी मुखालिफत करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि सारी मुखालिफत का लुब्बोलुबाब एक है कि यह सरकार तो अधिकार छीन रही है, और अपने हाथ में ले रही है और इससे वह पोलिटिकल फायदा उठायेगी और हमारे काम में बाधा पड़ेगी और सबूत में बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया मालवीय जी बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने यह कहा था और चिन्तामणि जी की स्पीच को कोट किया गया है। लेकिन यह सब इसलिए किया गया है कि इससे विरोधियों के काम में बाधा पड़ेगी। जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति की बा त है, उस में इन्टरफियेरेंस की बड़ी बात कही गयी है। हालांकि बात क्या है। जब यह कहा जाता है कि अगर वह सर्वसम्मति से वाइस चांसलर का नाम चुनकर भेजेंगे तो हम मान लेंगे किन्तु सर्वसम्मति से यदि नहीं भेजेंगे, तो दोबारा वापस कर देंगे और उसके बाद भी जब नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट नामज़द कर देगी, लेकिन इस पर भी एतराज है कि सारी शक्ति छीनी जा रही है। माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कहा है कि गवर्नर साहब सुपरहयुमन कैसे हो जायेंगे। पार्टी पालिटिक्स में दूसरे लोगों को जब ताकत दे दी जायगी, तो वे कैसे इन्सान से परे हो जायेंगे। मैं उनसे कहता हूं, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि वे सुपरहयुमन नहीं होंगे। अगर सारे के सारे इन्सान गलती न करें, तो वह देवता हैं, इन्सान नहीं हैं, जब गवर्नर साहब भी गलती करेंगे, लेकिन औरों से कम गलतियां उनसे होंगी, क्योंकि उनमें कुछ मेरिट्स हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ बड़प्पन है, तभी तो जनता से चुना हुआ राष्ट्रपति उनको राज्यपाल नामजद करता है। ठीक है, वह गलतियां कर सकते हैं, लेकिन औरों से कम कर सकते हैं। चिन्तामणि जी और मालवीय जी का भी नाम लिया गया, तो यह नहीं देखा गया कि किस सन में उन्होंने यह स्पीच दी थी, या किस सन् में उन्होंने यह बात कही थी। कब कही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब यह था कि अंग्रेजी सरकार के हाथ में जहां तक हो सके, शक्ति कम से कम जाय, तभी हमारे देश के लिए अच्छा था। हर देशभक्त उस वक्त कोशिश करता था कि अंग्रेजी सरकार के हाथ में कम से कम शक्ति जाय। लेकिन वह चीज जो अंग्रेजी सरकार के जमाने में नाजायज थी, वह आज हमारी सरकार के जमाने में जायज है। जाड़े में ऊनी कोट अच्छा लगता है लेकिन गर्मी में वह नहीं पहना जाता।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके विधेयक पर आ जायं, आप खाली जवाब दे रहे हैं, विधेयक से सम्बन्धित बातें नहीं कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूर वाला, मेरी मजबूरी यह है कि यहां बातें कही गयीं थीं और इसलिए मैं इनको टच करके आगे चलता हूं।

मैं अर्ज करता हूं कि दुश्मन अगर किसी को 'साला' कहता है तो दुश्मनी होती है, लेकिन अगर किसी का साला "साला" कहता है तो जी खुश होता है। एक चपत दुश्मन मारता है तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन एक चपत अगर अध्यापक अपने शिष्य को मारता है, तो उसकी तारीफ होती है। डाक्टर हाथ काट डालता है, लेकिन फीस भी दी जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि दुश्मन और दोस्त में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आदमी के बदल जाने से बहुत कुछ हो जाता है। अगर किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होशियार नहीं है, तो सबको सताता है, और उसी कुर्सी पर भला आदमी बैठ जाता है, तो लोगों को आराम दे जाता है। तो यह जो दलील आपने दी है, वह तर्क के विरुद्ध है।

अब मैं विधेयक के बारे में एकाध सुझाव दे रहा हूं। इस पर गौर करना चाहिए कि यह विधेयक क्यों लाया गया। क्या जरूरत थी क्या उस विधान से जिस पर काम हो रहा था काम अच्छा चल रहा था। क्या काम ठिकाने से चल जाता था और क्या बिला वजह बिल पेश किया गया है? शिक्षा का उद्देश्य है योग्य व्यक्तियों को अधिक पैदा करना। एक विद्वान ने कहा है :—

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्,
पात्रतया धनमाप्नोति धनाद्धर्मस्ततः सुखम्॥

विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन होता है, धन से धर्म और धर्म से फिर सुख होता है, किन्तु आजकल बजाय विनय आने के, सभ्यता आने के विद्यार्थियों में क्या आ रही है? जो आप विरोधी साहबान चाहते हैं कानून तोड़ना, अपनी ही बनायी हुई सरकार की बात को न मानना, जो अपने गुट में नहीं उसकी सायकिल पंचर कर देना आदि बातें आज हमें विद्यार्थियों में देखने को मिलती हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, नहीं, उनमें सचरित्र भी हैं, नेक भी हैं, लेकिन उनकी संख्या आज कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे विरोधी व्याख्यानदाताओं के पास सिवाय विद्यार्थी वर्ग, किसान, मजदूर के और कोई वर्ग नहीं है, जहां वह जाकर अपना सिक्का जमा सके, इसलिए कि इनके दिमाग साफ होते हैं। उनका माइन्ड साफ है और आपने जैसी बात समझा दी वही वह जल्दी ठीक ही समझ लेते हैं। हमारे दोस्त प्रोफेसरों में नहीं जाते, वकालतखानों में नहीं जाते, पढ़े लिखों में नहीं जाते, क्योंकि वहां फौरन् बहस होने लगे, इसलिए बल्कि जहां माइण्ड साफ है, वहां जाते हैं। किसान भाइयों के सामने कह दिया कि तुम्हारा लगान ज्यादा है, वह झट से उनकी बात मान लेते हैं। मजदूरों से कहते हैं कि मजदूरी कम है, बढ़नी चाहिए अतः हड़ताल कर दो।

श्री अध्यक्ष—और बातें हो रही हैं, आपका भाषण विधेयक के आस-पास चक्कर काटता रहा, लेकिन उसके अन्दर नहीं आया।

श्री सीताराम शुक्ल—तो मैं कह रहा था कि वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि मजबूर होकर यह विधेयक लाना पड़ा ताकि विश्वविद्यालय पोलिटिकल पार्टियों का क्षेत्र न बन जाय। आपके टोंकने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे नाज है कि श्रीमन ऐसे माननीय अध्यक्ष हमको मिला है कि जरा सी गलती करने पर टोकता है। अब जरा गौर फरमाइये कि पंडित पंत जी की स्पीच को लोग सुनना पसन्द करते हैं लेकिन चन्द रोज पहले लखनऊ युनिवर्सिटी की सभा में उनकी जो स्पीच हुई, उसको सभी ने पसन्द किया, लेकिन हमारे विरोधी दोस्तों को बड़ा बुरा मालूम पड़ा, फरमाया कि यहां उनकी स्पीच क्यों हुई, अतः वह पोलिटिकल पार्टी का एक क्षेत्र न बन जाय यह सोचकर हमारी सरकार यह विधेयक लायी है।

इसके बारे में मेरी गुजारिश है कि वहां प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थी की भर्ती होनी चाहिए। अगर यह शर्त रखी जाय कि उन्हीं को भरती किया जायगा, जो फर्स्ट पास हों, तो मैं समझता हूं कि हम अपने ध्येय में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर यह होता है कि लड़के अंग्रेजी पर अधिक जोर देते हैं, और हिन्दी के लिए कहते हैं कि वह तो हमारी भाषा है, वह तो आप से आप आयेगी। तो इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से लड़के हिन्दी में कमजोर रह जाते हैं। आज इसी कारण बहुत से ग्रैजुएट्स ऐसे नजर आते हैं कि जिनकी हिन्दी बहुत कमजोर है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि विदेशी भाषाओं को विद्यार्थी ऊंचे क्लासों में लें स्कूलों में न लें। ताकि एक भाषा के तो अवश्य विद्वान हो जायं।

अध्यापक वृन्द पढ़ाते हुए परीक्षा न दें। प्रोफेसर साहबान पढ़ाते भी जायं और परीक्षा भी देते जायं। यह बड़ा गलत होता है। पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और इम्तहान भी दे रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं किसी एम० एल० ए० के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अध्यापकों के लिए कह रहा हूं। वह विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाने में टाइम नहीं देते और जब क्लास में क्वेश्चन किये जाते हैं, तो जवाब मिलता है कि पढ़ कर जाओ, टचूटर रख लो। मास्टर साहब क्लास में तकरीह करते हैं या अपना कोर्स तैयार कर रहे हैं। अगर हम इनको मौका देते हैं तो गरीब विद्यार्थी का नुकसान होगा। हर कानून से कुछ का नुकसान होता है। देखने में यह होता है कि ज्यादों का नुकसान होता है या ज्यादे का फायदा होता है। मेरी गुजारिश यह है कि विद्यार्थियों से कहा जाय कि पढ़िये, मेहनत कीजिये, अच्छे कैरेक्टर वालों को जगह मिलेगी, तरक्की होगी तो मेरा ख्याल है कि इस से विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। अच्छा हो कि वहां पर असाम्प्रदायिकता के लिए भी शिक्षा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, पढ़ते तो इसलिए हैं कालेजेज और युनिवर्सिटीज में कि हम विद्वान बनें, लेकिन साथ-साथ दिमाग में होता यह है कि हम पावर में कैसे आयें, सेवा भाव की कोई नहीं सोचता। बल्कि पावर में कैसे आयें, यह सब सीखकर आज विद्यार्थी वहां से निकलते हैं। मैं अदब के साथ कहता हूं, मैंने किताब लिखी है, हिन्दू राज और मुसलमान। मुसलमानों ने बड़ी तारीफ की, कांग्रेस ने बड़ी तारीफ की। लेकिन कांग्रेस की तारीफ को मैं तारीफ नहीं मानता और मुसलमानों की तारीफ को तारीफ मानता हूं, जब तक कि हिन्दू सभाइस्ट तारीफ नहीं कर दे। एक हिन्दू सभा के लीडर ने कहा कि सीताराम, तुम्हारी किताब एक्सलेंट है, किन्तु मैं यह चीज आप को ही बतला रहा हूं। इस कमरे के बाहर उसे अच्छा नहीं कहूंगा। क्योंकि मुझे असेम्बली का टिकट चाहिए, किन्तु कांग्रेस टिकट नहीं देगी, क्योंकि मैं जेल नहीं गया था। अतः कम्युनलिज्म के प्रचार का सवाल पैदा होता है। हुजूर वाला, हिन्दू धर्म साम्प्रदायिकता नहीं सिखाता। लोग हिन्दू धर्म का अर्थ नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि शिक्षा वह दी जाय, जिससे साम्प्रदायिकता पैदा न हो। चाहे वह मुसलमान हों या हिन्दू हों, आज अपने को सच्चा मुसलमान कहने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी और माननीय मौलाना आजाद, गांधी जी के साथ रह सकते हैं, तो हर एक मुसलमान, हिन्दू भी साथ रह सकता है। एक बात और मैं कहूंगा, कि ४५ वर्ष से कम की उम्र वालों को अध्यापक न रखा जाय। यह क्या कि युनिवर्सिटी से निकले, जरा सी उमर है, और लेक्चरर और प्रोफेसर हो गये। २० वर्ष के स्टूडेंट हैं, और २५ वर्ष के प्रोफेसर साहब। इसीलिए स्टूडेंट्स पर कोई असर नहीं होता। अच्छा हो कि रिटायर्ड आफिसर्स को ट्रेनिंग देकर आनरेरी अध्यापक मुकर्रर किया जाय। इधर जमींदारी भी टूट गयी है। जमींदार नवजवान बहुत बेकार है, उनको भी काम मिल जायगा। आनरेरी अध्यापकों के स्थान पर वह पढ़ायेंगे, आपका पैसा बचेगा और उसका भी काम होगा।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि माननीय झारखंडे राय जी के सारगर्भित भाषण के बाद मैं कुछ ऐसा भाषण सुनूं, जिसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय[

युनिवर्सिटी की कुछ चर्चा होती। लेकिन माननीय सीतारःम जी का भाषण सुनकर मुझे उससे दुख तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक दो किताबों की चर्चा की और कभी मौका मिल गया तो किसी दूसरे दिन उसके ऊपर भी चर्चा हम कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर काफी लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है, और जिस विद्वत्तापूर्ण तरीके से हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी ने इस बिल पर बहस की उसका जवाब शायद इस सदन में मिलना मुश्किल ही होगा। मैं यह अवश्य समझता हूं अध्यक्ष महोदय, उनके उस भाषण की महत्ता और ज्यादा होती, अगर वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी के अन्दर जो बुराइयां आज पैदा हो गयी थीं, उनकी भी कुछ थोड़ी चर्चा कर दिये होते। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वह इतने प्रभावित हो गये कि अपनी पुरानी युनिवर्सिटी के बारे में उसकी खराबियों को छिपाने की कोशिश उन्होंने की, जिससे उनके भाषण की महत्ता नहीं रह गयी। मुझे एक अफसोस और है अध्यक्ष महोदय, और वह अफसोस मैं इस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बिलकुल स्वतंत्र विचार प्रगट कर रहा हूं। कोई पार्टी का ह्विप नहीं है। जो मैं ठीक समझता हूं वह मैं सदन के सामने कहूंगा। जो नोट आफ डिसेंट दिया गया वह अध्यक्ष महोदय, अपनी समझ में तो कुछ आया नहीं। उसका एक कारण था कि अगर वह हिन्दी में रख दिया गया होता तो मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत से माननीय सदस्य उसको समझ पाते। मैं यही आपके जरिये सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई टिप्पणी आगे किसी को देनी हो तो उसे ऐसा लिखा जाय कि जिसे सब लोग समझ सकें। मैं यह कहने के लिए अपने उपनेता माननीय रामनारायण जी और माननीय नारायण दत्त जी से क्षमा चाहूंगा, मैंने खुद डिक्शनरी उठायी, अध्यक्ष महोदय, कई दफे, उसे समझने के लिए और मैंने उनके भाषण को भी समझने की कोशिश की जब कि उन्होंने इस सदन में अपना भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, जिस खूबी के साथ माननीय नारायणदत्त जी ने इस पर अपनी बातों को रखा, मैं समझता हूं उससे अच्छी तरह और कोई भी नहीं रख सकता। पर मैं यह देख रहा था---हाउस में बिल पर बहस नहीं हो रही थी बल्कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी की तारीफ और उसके गुण गाये जा रहे थे। माननीय नारायण दत्त जी को और माननीय बहुगुणा जी जब आगरा युनिवर्सिटी बिल पर बहस हो रही थी, तब भी यही सिद्धांत थे। हमारी पार्टी की ओर से माननीय नारायणदत्त जी ने विरोध किया था, तब भी उन्होंने उन्हीं सिद्धान्तों को कहा। लेकिन आज जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी का बिल आ गया, तो चौंक गये कि गजब हो गया। इलाहाबःद युनिवर्सिटी की जो आज दुर्दशा है, मैं उसे आज छिपाना नहीं चःहता, मैं ऐसे ऐसे आंकड़े लाया हूं, अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने गिनाने के लिए कि जिनसे यह मालूम होगा कि वहां कितनी बुराइयां हैं, कितनी खराबियां हैं और आज मुझे शर्म मालूम होती है कि हिन्दुस्तान की उस युनिवर्सिटी की जिसमें बड़े-बड़े प्रोफेसरों का नाम लिया गया, बड़े बड़े वाइस चांसलरों का नाम लिया गया, आज उसकी इतनी खराब दशा हो गयी है। आज वह इतनी खराब हालत में पहुंच गयी है मगर फिर भी हम यह समझते हैं कि उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आटोनामी के नाम पर। क्या शब्द है आटोनामी? माननीय मन्त्री जी भी डरते हैं इससे और कहते हैं कि हम तो आटोमामी को रहने देना चाहते हैं। क्या है यह आटोमानी? आटोनामी के नाम पर किसी भी जगह जुल्म नहीं होने देना चाहिए। माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि साहब, अन्दर से कुछ होना चाहिए, यानी युनिवर्सिटी के खुद के लोग कुछ करें। सरकार क्यों हस्तक्षेप करे? अध्यक्ष महोदय, अगर यही होना होता, तो आज युनिवर्सिटी की यह हालत न होती। लेकिन माननीय मन्त्री जी कहीं यह न समझें कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, वह बहुत खुश न हो जायं, मैं उनके खिलाफ भी अभी बहुत सारी बातें कहने वाला हूं क्योंकि जिस बात को मैं सही समझता हूं, उसे कहे बगैर रहूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष---अब तो आप दूसरे रोज कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब हम उठते हैं और ११ अक्तूबर को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ११ अक्तूबर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३० सितम्बर, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)।

जिला हमीरपुर में श्रमदान द्वारा किये गये कार्यों का तहसीलवार विवरण

क्रम-संख्या	तहसील	नाम कार्य	सन् १९५३	सन् १९५४		विशेष विवरण
				गणतन्त्र सप्ताह २६-१-५४ से २-२-५४ तक	श्रमदान पक्ष १०-५-५४ से २४-५-५४ तक	
१	हमीरपुर ..	कच्ची सड़क निर्माण ..	१,०१,५४३ घ० फु०	५ मी० ४ फ० ५,४०,००० घ० फु०	२ मी०, २ फ० ३४,००० घ० फु०	
		कच्ची सड़क मरम्मत ..	६९,३१६ घ० फु०	१५ मी० ४ फ० १२,००,००० घ० फु०	७ मी० ३५,००० घ० फु०	
		अन्य कार्य ..	१,०८,४०९ घ० फु०	७१,४०० घ० फु०	..	
		१ तालाब की खुदाई ..	..	..	१,२०,०००	
		१५ तालाबों की सफाई	..	..	३,१०,७००	
		गूलों की सफाई तथा निर्माण	..	..	३ फर्लांग, २५,००० घ० फुट	
		१३० वृक्षारोपण के लिए गढ़े खोदे गये	..	..	९,८०० घ० फु०	
		१ पंचायत घर का निर्माण	..	..	३,००० घ० फु०	
		२ पक्के घाट का निर्माण ..	..	..	७३,००० घ० फु०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		४ पुलियां निर्माण	..	..	..	२४,००० घ० फु०
		२ कुओं निर्माण		..	..	२५,००० घ० फु०
					२१ मील	६ मील २ फर्लांग सड़क का कार्य ३ फर्लांग गूल की सफाई तथा निर्माण ।
			..			
			योग	२,७६,२६८ घ० फु०	१८,११,४०० घ० फु०	६,५६,५०० घ० फु० मिट्टी का कार्य
२	मौदहा	.. कच्ची सड़क निर्माण	..	२२,७४,६२०	२६ मी० ७ फ०	..
		कच्ची सड़क मरम्मत	..	५६,२००	१ फर्लांग	२ मील
					५०,०००	४५,०००
		पक्की सड़क निर्माण	..	..	६ फर्लांग,	..
					१,२७,१६,०००	..
		अन्य कार्य	..	५,८७,८००	२०,०००	..
		३३ तालाबों की सफाई	..	..	..	४,४६,३००
		४१५ वृक्षारोपण के लिए गड्ढे की खुदाई		..	..	८,४००
		६ पुलियों का निर्माण	..	..	..	४७,०००
		२ कुओं का निर्माण	..	..	..	४,८००
					२७ मी० ६ फ०	२ मी० सड़क का कार्य
			योग ..	२६,२१,६२०	१,२७,८६,०००	५,५१,५०० घ० फु० मिट्टी का कार्य ।
३	महोबा	.. कच्ची सड़क निर्माण	..	२४,००० घ० फु०	१ मी० ४ फ०	..
		पक्की सड़क निर्माण	..	..	१ मील	..
					५०,००० घ० फु०	

क्रम-संख्या	तहसील	नाम कार्य	सन् १९५३	सन् १९५४ गणतन्त्र सप्ताह २६-१-५४ से २-२-५४ तक	सन् १९५४ श्रमदान पक्ष १०-५-५४ से २४-५-५४ तक	विशेष विवरण
		कच्ची सड़क मरम्मत ..	४८,२०० घ० फु०	११ मी० १ फ० २३,२०० घ० फु०	६० गज ८,५०० घ० फु०	
		अन्य कार्य ..	१५,२०० घ० फु०	१,३२,२०० घ० फु०	...	
		१६ तालाबों की सफाई ..	..	..	१,२७,००० घ० फु०	
		१ बंधियों का निर्माण ..	..	..	१,४४,९०० घ० फु०	
		२०० वृक्षारोपण के गड्ढे खोदे गये	..	..	८,९०० घ० फु०	
		२ पंचायत घरों के निर्माण ..	..	..	२,००० घ० फु०	
		४ स्कूलों की मरम्मत	..	..	५,००० घ० फु०	
		१ पुलिया का निर्माण ..	..	..	१,००० घ० फु०	
		२ कुओं का निर्माण ..	..	..	८,००० घ० फु०	
		नहर का निर्माण ..	..	..	२०,९६० घ० फु०	
		पत्थर एकत्रित करना ..	..	..	५,०५० घ० फु०	
		योग ..	८७,४०० घ० फु०	१३ मी० ५ फ० २,०५,४०० घ० फु०	६० गज सड़क का कार्य ३,३१,३१० घ० फु० मिट्टी का कार्य	
४	चरखारी	कच्ची सड़क निर्माण ..	८९,४३७ घ० फु०	६० गज	१ मी० ४ फ० ११० गज ११,५०० घ० फु०	
		पक्की सड़क निर्माण ..	..	४ फ० ८० गज १०,२०० घ० फु०	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		सड़क मरम्मत	..	..	६ मी० ४ फ० ११० गज ४१,४०० घ० फु०			
		अन्य कार्य	..	२६,६०० घ० फु०	२,०६,६०० घ० फु०	..		
		६ तालाबों की सफाई	..	..	..	५७,०००	घ० फु०	
		गूलों की सफाई	..	..	..	१४,३००	घ० फु०	
		७ बन्धियों का निर्माण	..	..	..	३,३८,३४०	घ० फु०	
		२१५ वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदे गये	..	..	..	४,५००	घ० फु०	
		४ पंचायत घरों का निर्माण	..	..	..	..		
		२ स्कूल निर्माण	..	..	..	..		
		पत्थर इकत्रित किये	..	..	..	१,०५०	घ० फु०	
		५ कुओं की मरम्मत	..	..	..	८,३१०	घ० फु०	
		१ फ० नहर निर्माण	..	..	..	२१,२००	घ० फु०	
		११ घरों का निर्माण	..	..	..	४०,०००	घ० फु०	
					१० मी० १ फ० ३० ग०	१ मी० ४ फ० ११० गज		
		योग	..	१,१६,०३७ घ० फु०	२,६१,५०० घ० फु०	४,९६,२०० मिट्टी का कार्य	घ० फु०	
५	राठ	कच्ची सड़क निर्माण	..	२,१९,९६० घ० फु०	१ मी० ३ फ० २,३०,००० घ० फु०	..		
		कच्ची सड़क मरम्मत	..	३५,००० घ० फु०	२७ मी० ३ फ० १,५९,९६० घ० फु०	२३ मी० ४ फ० २,००,००० घ० फु०		
		अन्य कार्य	..	११,००० घ० फु०	१,५७,००० घ० फु०	..		

क्रम संख्या	तहसील	नाम कार्य	सन् १९५३	१९५४ गणतन्त्र सप्ताह २६-१-५४ से २-२-५४ तक	१९५४ श्रमदान पक्ष १०-५-५४ से २४-५-५४	विशेष विवरण
		३ तालाबों की सफाई	.. ..	..	३०,००० घ० फु०	
		१ पंचायत घर का निर्माण	.. ..	..	..	
		१ पुल का निर्माण	.. ..	..	..	
		२ कुओं का निर्माण	.. ..	..	१२,००० घ० फु०	
				२८ मी० ६ फ०	२३ मी० ४ फ० सड़क का कार्य	
		योग	.. २,६५,९६० घ० फु०	५,४६,९६० घ० फु०	२,४२,००० घ० फु०	मिट्टी का कार्य
६	कुल पहाड़	..				
		कच्ची सड़क निर्माण	१४,००० घ० फु०	..	..	
		कच्ची सड़क मरम्मत	.. ४१,९६० घ० फु०	..	..	
		अन्य कार्य	.. ४,००० घ० फु०	..	..	
		पत्थर का कार्य	.. १२,६३० घ० फु०	..	..	
		योग	.. ७२,५९०			
	जिला हमीरपुर का कुल योग	...	.. ३७,४२,८७५ घ० फु०	१,५६,१२,२६० घ० फु० मी० फ० ग० १०१ २ ३०	२२,५०,५१० घ० फु० मिट्टी का कार्य मी० फ० ग० ३६ २ १७०	३ फर्लांग गूलों की सफाई का कार्य

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

नैनीताल जिले की वह सड़कें, जिनकें बनाने में सेल्फहेल्प योजना के अनुसार सरकार सहायता दे रही है, की सूची

१—वीनायक से छम्पी तक मोटर रोड	लगभग	३ मील
२—मल्ला रामगढ़ से तल्ला रामगढ़ तक मोटर रोड	,,	साढ़े ४ ,,
३—सरगाखेत से पहाड़ पानी तक मोटर रोड	,,	१५ ,,
४—मनाधर से ओखालखंडा तक मोटर रोड	,,	१३ ,,(जंगल से होती हुई)
५—डंगरी से दुर्गापीपल और कुन्डल होती हुई छोरगालिया तक मोटर रोड	,,	२७ ,,(जंगल से होती हुई)।
६—वीजेपुर से ओखालडंगा तक मोटर रोड	,,	८ ,,
७—हल्द्वानी से टांडा होती हुई पठारछट्टा तक मोटर रोड	,,	१५ ,,
८—किच्छा से सितारगंज तक मोटर रोड	,,	१५ ,,
९—दोरहा से बाजारपुर और कलाबुंगी होती हुई मलगोली तक दोरहा से नैनीताल जाने वाली सड़क का भाग	,,	३ ,,
*१०—म्वाली से बच्छीखेत तक जाने वाली ब्रीडिल रोड	,,	२ ,,
११—बेटलघाट से खैरना तक ब्रीडिल रोड ..	,,	१० ,,
१२—छारा से पटकोट तक ब्रीडिल रोड ..	,,	६ ,,
*१३—भोरसा से पिरांव तक ब्रीडिल रोड	,,	५ ,,
१४—छोरलेख से जोशयोरा होती हुई महतोली तक ब्रीडिल रोड	,,	१० ,,
*१५—मुक्तेश्वर से दरीबा तक ब्रीडिल रोड	,,	४ ,,
१६—जोशयोरा से कछला कोठ तक ब्रीडिल रोड	,,	३ ,,
१७—गालनी से खान्सयून तक ब्रीडिल रोड	,,	३ ,,
१८—काला आगर से खान्सयून तक ब्रीडिल रोड ..	,,	४ ,,
१९—छमा से धर्मगढ़ तक ब्रीडिल रोड ..	,,	२ ,,
२०—कुन्टा से पटलोक तक ब्रीडिल रोड	,,	३ ,,
२१—दलकंया से अम्झार तक ब्रीडिल रोड ..	,,	४ ,,
२२—कुन्टा से लोगर तक ब्रीडिल रोड ..	,,	६ ,,
२३—अनुठी से गहना तक ब्रीडिल रोड ..	,,	३ ,,

*यह सड़कें बनायी जा चुकी हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर ।)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ में आयोजित विकास तथा सिंचाई के कार्य ।

कृषि

१--उन्नतिशील बीजों का वितरण--

	रबी (मन)	खरीफ (मन)
१९५१-५२	९,८७२	१,६९४
१९५२-५३	११,७१३	१,६३७
१९५३-५४	१०,१४५	२,६२५
१९५४-५५	१२,३००	१५,०००
१९५५-५६	१९,२००	२४,४००

२--खाद का वितरण --

	खली	फर्टिलाइजर (टन)	तैयार कम्पोस्ट खाद (टन)
१९५१-५२	६५५ मन	२०	१,८४,१४४
१९५२-५३	५२५ मन	२	४८,४०२
१९५३-५४	३३२ मन	३	२,४७,४०४
१९५४-५५	२५ टन	३१७	५,०००
१९५५-५६	३२ ,,	३१७	४,०००

३--उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण--

	उन्नतिशील यन्त्र	अन्य प्रकार के कृषियन्त्र
१९५१-५२	३७	४३८
१९५२-५३	६५	१५६
१९५३-५४	१७	१३६
१९५४-५५	९०	१५०
१९५५-५६	९०	१५०

४--हरी खादों के वास्ते बीजों का वितरण--

	मूंग म० से० छ०	सनई म० से० छ०	ढैंचा
१९५१-५२	१६-३९-२	३२-३०-४	२९-९-२
१९५२-५३	१०९-१०-०	१५-११-१२	३४-१५-६
१९५३-५४	३३६-२५-१२	२-३४-०	४८-१६-०
१९५४-५५	४ टन		
१९५५-५६	४ ,,		

५—किसानों के खेतों पर प्रदर्शन—	प्रदर्शन की संख्या
१९५१–५२	१,४३३
१९५२–५३	२५,५९६
१९५३–५४	१,४१,८७२
१९५४–५५	२,९४०
१९५५–५६	२,९४०

६—बागों के सम्बन्ध में कार्य—	पेड़ों की संख्या
१९५१–५२	२०,५४९
१९५२–५३	२५,५९६
१९५३–५४	१,४१,८७२
१९५४–५५	४०,०००
१९५५–५६	४३,०००

७—धान की फसल बढ़ाने के लिए ३१० एकड़ धान की खेती जापानी ढंग से इस चालू वर्ष में कराने की व्यवस्था की जा रही है।

सहकारिता

वर्ष	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
१—नवीन सहकारी समितियों का स्थापन—					
प्रारम्भिक	९१८	९८२	१,१६७	१,२८९	१,४२०
केन्द्रीय	४७	५२	६४	७२	८०
२—सहकारी ईंट भट्ठों की प्रगति एवं लक्ष्य	२	१९	३०	५०	६०
३—जिले में १० सहकारी नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है—					
४—सहकारी बीज भन्डार प्रगति एवं लक्ष्य	२१	२४	३०	३४	४०
५—सहकारी बीज भंडार, भवन निर्माण प्रगति एवं लक्ष्य	०	६	६	२५	३०

१८ सहकारी बीज भन्डार भवन निर्मित हो रहे हैं और उनके शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

२२,६०० मन रबी तथा ४,५२७ मन खरीफ के बीज विभिन्न सहकारी बीज भंडारों से बंटे हैं।

३,५०० बोरे अमोनियम सल्फेट, सन् १९५३–५४ में मंगाये गये और उनका वितरण हुआ। इसके अतिरिक्त हरी खाद के लिए ५० मन और ३ मन ढैंचे के बीज वितरित हुए।

६—कृषि यन्त्र वितरण—

सन् १९५१ से अब तक निम्नलिखित संख्या में कृषि यन्त्र वितरित हुए—

१—गुर्जर हल	..	२७२
२—मैस्टन	..	६४
३—चैफ कटर	..	३
४—डिबलर	..	३६१
५—उडेन बीन	..	५२४
६—स्पेयर शेयर	..	६१
७—उडेन हैन्डिल	..	५८०

इसके अतिरिक्त १२ बीज गोदामों पर १० स्पेयर्स दिये जा चुके हैं।

हरिजन-कल्याण

१—हरिजन जल कूप एवं गृह निर्माण जो हुए हैं, उनका विवरण निम्नलिखित है :—

		१९५२–५३	१९५४–५५
हरिजन	..	८ नवीन	४७ नवीन
हरिजन गृहनिर्माण	..	३ मरम्मती	११ मरम्मती

२—सन् १९५२–५३ में ३,९०० रुपया तथा सन् १९५३–५४ में ३,०५० रुपया हरिजनों को गृह उद्योगों के लिए नियोजन समिति से प्रदान किये गये।

जंगल

जनसमुदाय के कल्याणार्थ बन का होना नितान्त अवाश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त चालू पंच-वर्षीय योजना के अन्त अर्थात् सन् १९५६ ई० तक ४७८ एकड़ भूमि में जंगल लगाने का लक्ष्य रक्खा गया है।

विद्युत

इस जिले में केवल आजमगढ़ और मऊ में विद्युत व्यवस्था है। मऊ में एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे लगभग ५,००० की आबादी लाभान्वित हो सकेगी। इसका प्रसार और विस्तार विचाराधीन है।

यातायात

सन् १९५३–५४ में आजमगढ़-गाजीपुर को संयोजित करने वाली सड़क जो कि ३७ १/२ मील लम्बी है, लिये जाने की योजना थी और सन् १९५४-५५ में अहिरौला-दीदारगंज, आजमगढ़-मेहनाजपूर, आजमगढ़-मेहनगर तरवा, आजमगढ़-मेहनार और आजमगढ़-चन्दवक सड़क लिये जाने का लक्ष्य रक्खा गया है। इनमें से प्रथम चार जिले की सड़कें हैं और अन्तिम दो जिलों को संयोजित करने वाली हैं। सन् १९५५–५६ में केवल दो सड़कें लिये जाने का प्रस्ताव है, आजमगढ़-देवगांव और आजमगढ़-डोमी पहली ३१ मील लम्बी जिले की सड़क पड़ेगी और दूसरी ३९ मील लम्बी जौनपुर जिले को संयोजित करने वाली है।

जन-स्वास्थ्य

जिले में सम्प्रति १८ चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं परन्तु जिले की २२ लाख की बृहद जन संख्या को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या नगण्य सी प्रतीत होती है और पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी संख्या में चार पांच की वृद्धि करने का लक्ष्य रक्खा गया है। सन् १९५२ ई० तक ५ मिडवाइफरी केन्द्र जिले में खोले गये।

जिले में एक नेत्र चिकित्सालय स्थापित किया गया है, जो विगत दो-तीन वर्षों से सराहनीय जन सेवा कर रहा है, जो पूर्णतया स्थानीय चन्दे पर आधारित है। और हजारों नेत्र रोगियों की चिकित्सा भाव निःशुल्क से कर रहा है।

शिक्षा

सन् १९४५–४६ में प्राइमरी पाठशालाओं की जिले में ३६८ की संख्या थी, जिनमें १९५१–५२ तक ३५७ बालक एवं ७० बालिका प्रारम्भिक पाठशालाओं की अभिवृद्धि की गयी। १९५५–५६ के अन्त तक इसकी संख्या १९५० तक पहुंचाने का लक्ष्य रक्खा गया है, जिसमें से बालक पाठशालाओं की संख्या १८५० और बालिकाओं की १००पहुंचाने का लक्ष्य रक्खा गया है।

१९४५–४६ तक जूनियर हाई स्कूलों की संख्या ५४ थी जो १९५१–५२ में बढ़ कर ८७ हो गयी और बालिकाओं की भी पाठशालाओं की संख्या में १० की अभिवृद्धि हुई। इसी प्रकार १९५१–५२ के पूर्व जिले में केवल ८ उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें थीं, जिनमें अब तक २२ की अभिवृद्धि हो चुकी है, जिनमें से २ बालिका पाठशालायें हैं।

बोहरीघाट में एक प्रसार एवं शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें विकास सम्बन्धी कार्यों के प्रति ग्राम स्तर कार्य-कर्ताओं को विभिन्न विषयों में शिक्षित किया जाता है।

पशुपालन

१—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास क्षेत्र घोसी में स्टड रैम सेण्टर तथा क्वार्टर व चिकित्सालय भवन बन रहे हैं।

२—जनवरी १९५३ ई० से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी स्थापित किया गया है। सन् १९५३–५४ में ५४ गाय और भैंसों पर उक्त विधि का प्रयोग किया गया और सन् १९५४–५५ का लक्ष्य २०० का रक्खा गया है।

३—निम्नलिखित संख्या में विगत वर्ष गाय भैंस आदि सप्लाई किये गये और सन् १९५४–५५ का अनुमान भी निम्नलिखित है—

	गाय	भैंस	बैल	बकरी	मुर्गी	मुर्गा	बत्तक	अन्डे
१९५३–५४..	४७	३	५०	२७	१५०	१५०	१	२७२
१९५४–५५..	१००	२५	२००	१००	२५०	२५०	२०	४००

४—३१, ६२६ जानवरों को एच० एस० का टीका लगाया गया और आगामी वर्ष में इस का लक्ष्य ६०,००० रक्खा गया है। सन् १९५३–५४ में ७ फुट बाथ बने और आगामी वर्ष में इसका लक्ष्य ४७ का रक्खा गया है। विगत वर्ष में १५,०५० घोसी विकास क्षेत्र में मछलियां पाली गयीं और आगामी वर्ष में उसका लक्ष्य ४०,००० रक्खा गया है।

सिंचाई

(१) ट्यूबवेल---अब तक जिले में ६० ट्यूब वेल काम देने योग्य हो चुके हैं और आगामी कुछ मासों में इस संख्या में लगभग ४० की अभिवृद्धि होने की सम्भावना है। कार्य इन पर भी प्रारम्भ हो चुके हैं, परन्तु उनको अन्तिम रूप देने में कुछ मास और लगेंगे।

(२) सिंचाई के कुएं---गत वर्ष १,००० सिंचाई के कुओं के निर्माण की व्यवस्था जिले में की गयी थी। इस वर्ष ५४-५५ में १,३०० कुएं बनने जा रहे हैं।

(३) पम्प कैनाल---यह योजना लगभग २० लाख रुपये व्यय की है जिसके द्वारा जिले के विभिन्न भागों में निम्नलिखित पम्प कैनाल निर्मित होंगे :—

१---सलोना ताल योजना---चालू हो चुकी है।

२---पकड़ी तथा रतोय ताल योजना---इनमें भी पम्प कैनाल योजना लगायी जानी प्रस्तावित हुई है।

३---पिकिया नदी योजना---कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

४---बैसो नदी योजना---प्रारम्भ की जायगी, सर्वे हो रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र बादशाहपुर, जिला जौनपुर में ३१, जुलाई १९५४ तक विभिन्न मदों में व्यय होने वाले रुपयों की सूची

	रु०	आ०	पा०
१—वेतन और भत्ते	५,९८३	१५	०
२—बीज, कृषि यन्त्र, स्टोर्स, फर्नीचर तथा कार्यालय का सामान आदि	१३,७२१	१	६
३—सामाजिक शिक्षा	४,१४२	५	०
४—विकास कार्य के लिए अनुदान	२५,०००	०	०
५—छोटे सिंचाई कार्यों के लिए	१६,५००	०	०
योग . .	६५,३५७	५	६

नोट—२५,००० रु० में से जो कि स्थानीय विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में ब्लाक को दिये गये थे। इसमें से ३० जून, १९५४ तक २,०५६ रु० खर्च हुए हैं, शेष २२,६४४ रु० पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा है।

नत्थी 'घघ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र बादशाहपुर, जिला जौनपुर में ३१ अगस्त, १९५४ तक होने वाले कामों की सूची

१—कच्ची सड़क बनायी गयी ..	२३ मील ६ फर्लांग
२—सिंचाई के लिए बनाये गये पक्के कुओं की संख्या	३०
३—पुरानें कुएं, जिनकी मरम्मत की गयी ..	४०
४—गहरे किये गये तालाबों की संख्या ..	२०
५—नयी पानी की नालियां, जो बनायी गयीं ..	१ मील १०० गज
६—पानी पीने के नये कुएं, जो बनवाये गये ..	१६
७—आदर्श सोख्ता गड्ढे ..	५६
८—खाद के गड्ढे जो खोदे गये ..	३२१
९—पुस्तकालय व वाचनालय ..	४
१०—सामूहिक गृह निर्माण—	
(अ) पंचायत घर	१ (कच्चा)
(ब) पुस्तकालय तथा सामूहिक केन्द्र ..	६
(स) सीड स्टोर	१
११—अखाड़े	१४
१२—सहकारी समितियां	९५ (प्राइमरी)
१३—नया सहकारी सीड स्टोर ..	१
१४—बीज वितरण	३,१८५ मन
१५—रेडियो सेट	१
१६—सहकारी ईंटों का भट्ठा ..	१
१७—किसानों के खेतों में किये गये डिमांस्ट्रेशनों की संख्या	५१
१८—क्षेत्र जिनमें ऐसे डिमांस्ट्रेशन किये गये ..	१०.३ एकड़
१९—केमिकल फर्टिलाइजर की बिक्री ..	५७५ मन
२०—फर्टिलाइजर से प्रयुक्त क्षेत्र ..	२,३०० एकड़
२१—बैल बधिया किये गये	१४१
२२—वह जानवर जिनके टीका लगाया गया ..	३४,९४१
२३—पशुओं की चिकित्सा	१,१०२
२४—पशुओं के प्रदर्शन और मेले ..	२
२५—हैजा, चेचक तथा प्लेग के टीके जिन व्यक्तियों के लगे उनकी संख्या	३,८४८

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर

संख्या।	नाम विकास कार्य	पंचवर्षीय लक्ष्य (टार्गेट)	३१-३-५४ तक लक्ष्य प्राप्ति (अचीवमेंट्स)
१	सिंचाई के कुएं	३३५	२२५
२	पुराने कुओं की मरम्मत	१,२२४	४०
३	कुओं को बोरिंग द्वारा सुधारना	७६०	५०
४	कम्पोस्ट गड्ढा	२,१७७	१,४६६
५	मूत्र बिछाली	६६०	६६८
६	हरी खाद	१,४१७ एकड़	१०० एकड़
७	मेंड़ों को ऊंचा करना	५८० एकड़	१० एकड़
८	जलमग्न भूमि का कृषियोग बनाना ..	१०० एकड़	..
६	डिबिलिंग यन्त्र से बीज बोना ..	५८१ एकड़	२४ एकड़
१०	फलदार वृक्षों का लगाना ..	२२,२२०	१६,६४६ तथा २५६ एकड़
११	पुराने बगीचों का उद्धार ..	४० एकड़	१० एकड़
१२	तरकारी की खेती बढ़ाना ..	७० एकड़	५० एकड़
१३	सांड़ों की पूर्ति	१०	१०
१४	गायों की पूर्ति ..	५	..
१५	बैलों का बधिया करना ..	२,०००	२,४४७
१६	कृत्रिम गर्भाधान	२६०	..
१७	मवेशियों के पैर नहलाने के बक्स ..	२०	..
१८	मवेशियों के बीमारी से बचने के टीके ..	२०,०००	..
१६	मछली पालना	६० एकड़	..
२०	पानी पीने के नये कुओं का निर्माण ..	३४५	१७८
२१	पानी पीने के पुराने कुओं की मरम्मत ..	२४०	५०
२२	चेचक के टीके ..	१६,०००	..
२३	सोख्ता गड्ढा	२,७६०	५७
२४	दवाइयों के बक्स	१३०	..
२५	गावों की गलियों में लालटेनों का लगाना ..	११०	१०
२६	दाइयों का शिक्षण	५	..
२७	पंचायत घर का निर्माण ..	२२०	३६
२८	पाठशालाओं का निर्माण ..	१५	..
२६	औषधालय का निर्माण ..	२०	..
३०	नयी सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत ..	३३० मील	मी० फ० गज०
			३३ ६ २००
			८६ ४ ७६
३१	पुलियों का निर्माण ..	६०	७१

संख्या	नाम विकास कार्य		पंचवर्षीय लक्ष्य (टार्गेट)	३१-३-५४ तक लक्ष्य प्राप्ति (अचीवमेंट्स)
३२	शारीरिक विकास केन्द्र	..	१५०	२
३३	सामूहिक रेडियो सेट ..	..	१५	६
३४	वाचनालय की स्थापना	..	१००	४
३५	पुस्तकालय की स्थापना	..	१००	२
३६	प्रौढ़ पाठशाला ..	..	२०	..
३७	छिटपुट वृक्षों का लगाना	..	१२,०२०	४,०३१
३८	ट्रंच लैट्रीन ..	..	८०	..
३९	तालाबों का गहरा किया जाना	..	१५	४
४०	मिट्टी जो निकाली गयी	..	..	१८२,२,००० घन फुट
४१	नाली जो बनायी गयी	..	..	३०० गज
४२	नाली जिसमें सुधार किया गया	..	..	३६० गज
४३	गांधी चबूतरा जो निर्माण किया गया	..	..	९० (८२ कच्चे व ८ पक्के)
४४	ट्यूब वेल (नल कूप) ..	..	..	४ निर्माणान्तर्गत
४५	सहकारी ईंट का भट्ठा	..	..	१

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ व ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर।)

बरेली जिले की तहसीलवार विकास योजनाओं पर व्यय की विवरण सूची सन् १९५३

तहसील	योजना	विषय	धन		
			रु०	आ०	पा०
बरेली ..	हरिजनों की जल प्रदान योजना	कुओं का निर्माण	२,५५९	०	०
	पंचायतघरों का निर्माण		२,१००	०	०
	नलकूप ..	नलकूपों का निर्माण	४,०००	०	०
	विद्यालय भवन	विद्यालयों के भवनों का निर्माण ..	२,०००	०	०
	मधुमक्खी पालन योजना	मधु मक्खी पालन का विकास ..	१,०००	०	०
	बीज भंडार ..	सहकारी बीज भंडारों का निर्माण ..	४,५००	०	०
फरीदपुर ..	हरिजनों की जल प्रदान योजना	कुओं का निर्माण ..	३,६५७	०	०
	नलकूप ..	नलकूपों का निर्माण, जो सहकारी है ..	१,०००	०	०
	बीज भंडार ..	सहकारी बीज भंडारों का निर्माण ..	१,५००	०	०
बहेरी ..	हरिजनों की जल प्रदान योजना	कुओं का निर्माण ..	१,१७७	०	०
	पंचायत घर ..	पंचायतघरों का निर्माण	२००	०	०
आंवला ..	हरिजनों की जल प्रदान योजना	कुओं का निर्माण	२,८२२	०	०
	पंचायतघर ..	पंचायतघरों का निर्माण	३००	०	०
	बीज भंडार ..	बीजभंडारों का निर्माण	९,३५०	०	०
	खड़ंजा ..	खड़ंजों का निर्माण ..	१,०००	०	०
नवाबगंज ..	हरिजनों की जल प्रदान योजना	कुओं का निर्माण ..	१,६२५	०	०
	पुल ..	बेनारसिया पुल का निर्माण ..	१,०००	०	०

सम्पूर्ण बरेली जिले की विकास योजनाओं के साधारण कार्यों पर व्यय की विवरण सूची सन् १९५३

योजना	कार्यों का विवरण	धन		
		रु०	आ०	पा०
व्यायाम कार्य ..	ग्राम पंचायतों तथा प्रा० र० द० के खेल-कूद	६४९	१५	०
प्रसार कार्य ..	पैम्फलेट की छपाई, सभाओं तथा पेट्रोल का व्यय, सम्मेलन तथा प्रदर्शनी	१,७११	१४	६
बन लगाना ..	ग्रामों को प्रदान किये हुए बीजों का मूल्य	५१	०	०
वेटेरिनरी किट्स ..	वेटेरिनरी किट्स तथा औषधियों का मूल्य ..	९७०	०	०
श्रमदान कार्य ..	फावड़ा तथा पल्ला आदि के मूल्य तथा अन्य श्रमदानों के व्यय ..	२,६१६	६	३
मिश्रित कार्य ..	अन्य मिश्रित व्यय	३४८	७	०
सर्वश्रेष्ठ फसलों के पुरष्कार	डी० ए० ओ०, बरेली ..	१००	०	०

बरेली जिले में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर शासन द्वारा स्वीकृत किया हुआ धन सन् १९५३ के लिए

क्रम सं०	कार्य, जिसके लिए धन स्वीकृत हुआ	स्वीकृत धन		
		रु०	आ०	पा०
१	हरिजनों के मकानों के निर्माण की योजना ..	८००	०	०
२	हरिजनों की जल प्रदान योजना ..	१२,०००	०	०
३	राजकीय सेल्फहेल्प योजना ..	५८,६००	०	०
४	हरिजन सहायक उप समिति के व्यय ..	१,०००	०	०
५	डिस्क्रीशनरी निधियां ..	८,५००	०	०
६	शारीरिक व्यायाम ..	२,०००	०	०
७	सूचना निधियां ..	१,०००	०	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८० एल० ए० १९५४—८५०।